खण्ड-332, अंक-7
शनिवार, 9 वैशाख, शक संवत् 1900
(29 अप्रैल, 1978 ई0)

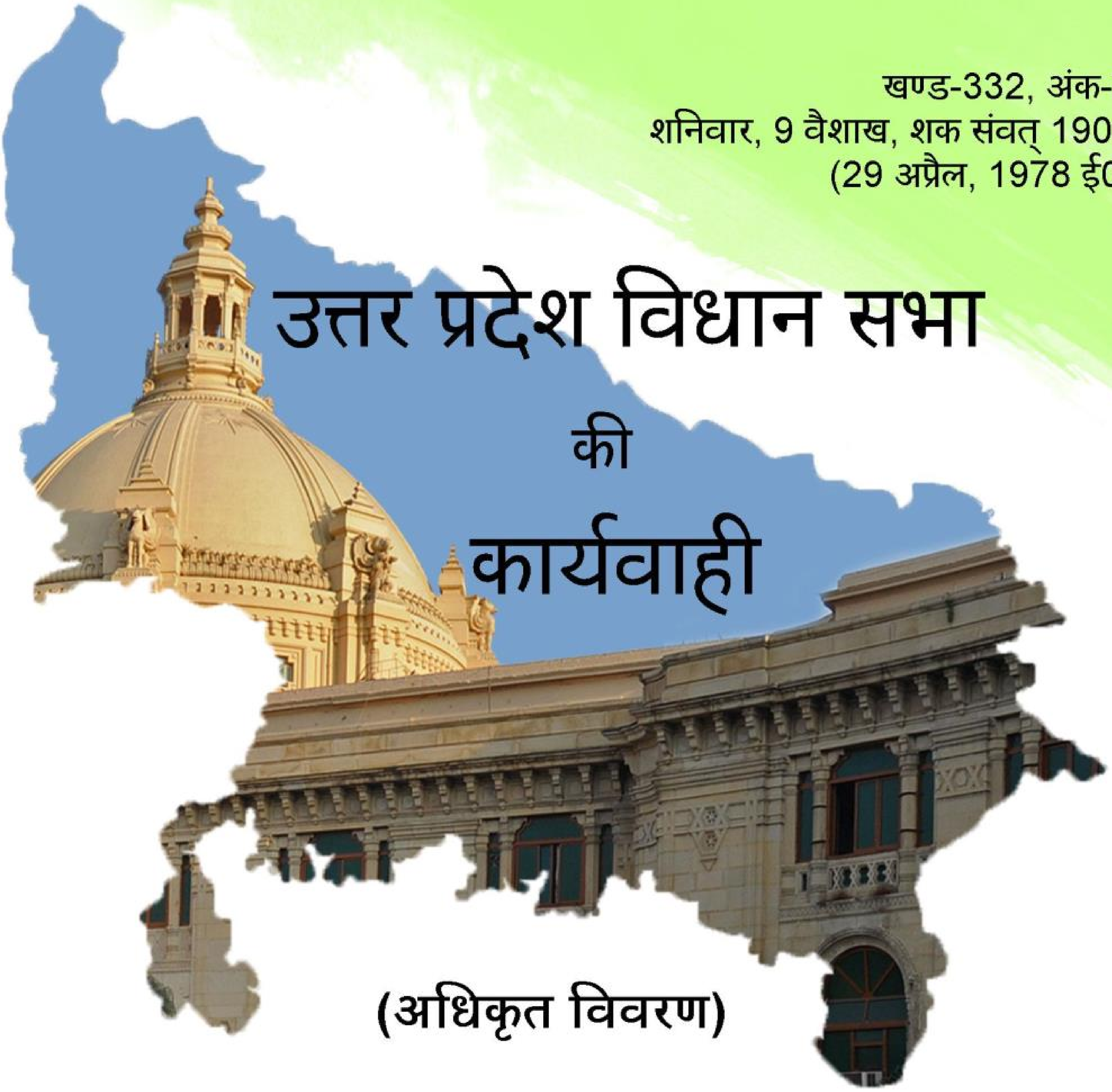

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 332 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	९४१–९४३
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) विधेयक, १९७८ में किये गये आनुषांगिक संशोधनों का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	९४५
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७८ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) ..	९४५
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) विधेयक, १९७८ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) ..	९४५
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) ..	९४५
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, १९७८ (श्री राज्य पाल की अनुमति की घोषणा) ..	९४६
उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) ..	९४६
उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषण) ..	९४६
उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७८ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) ..	९४६
नियम ३० १ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लायी जाने वाली सूचनाओं को न लेने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	९४७
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं ..	९ ७
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय हुए अशोभनीय व्यवहार के सम्बन्ध में गठित जांच समिति को कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	९४७–९५०
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	९५१
१९७८–७९ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ६१–राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य, अनुदान संख्या ६२–सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या ८५–सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ८६–बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	९५१–९९९

विषय	पृष्ठ संख्या
१९७८-७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ४-न्याय प्रशासन तथा अनुदान संख्या २२-कारागार (स्वीकृत) ..	९९९-१०२९
सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	१०२९
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं ..	१०२९-१०३०
लखनऊ विश्वविद्यालय ग्रीष्मावकाश के बाद १ जुलाई, १९७८ से खुलने को कुल सचिव की घोषणा के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	१०३०-१०३४
मत्री ..	१०३५

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, २९ अप्रैल, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में दिन में ११ बज कर ४ मिनट पर अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—२११

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कबूल सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरुप्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मराज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य

धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
नत्थू सिंह, श्री
नन्हे लाल कुरील, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पूरन लाल, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बद्दरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
ब्रज बल्लभ सिंह, श्री
बैचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भीषम, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम प्यारे, श्री
रामरति देवी, श्रीमती

राम सजीवन, श्री
रियाज़त हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लाल दास, श्री
लोलवत सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नय्यर, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
संगम लाल, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
हबीब अहमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—गन्ना विकास मंत्री, श्रीमती चन्द्रावती तथा विद्युत् मन्त्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही भी सदन में उपस्थित थे।

संसद पुस्तकालय

प्रदेश प्रदेश्या सभा

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) विधेयक, १९७८ में किये गये आनुषांगिक संशोधनों का विवरण

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६० के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) विधेयक, १९७८ म किये गये आनुषांगिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(संशोधनों के लिए देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०३५ पर) ।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक ४ अप्रैल, १९७८ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १४ अप्रैल, १९७८ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २९ अप्रैल, १९७८ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७८ का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक ५ अप्रैल, १९७८ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १४ अप्रैल, १९७८ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २० अप्रैल, १९७८ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७८ का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक १२ अप्रैल, १९७८ के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १९ अप्रैल, १९७८ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २० अप्रैल, १९७८ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७८ का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा न अपने दिनांक ७ अप्रैल, १९७८ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १९ अप्रैल, १९७८ की बठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २४ अप्रैल, १९७८ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७८ का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक १३ अप्रैल, १९७८ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १९ अप्रैल, १९७८ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २४ अप्रैल, १९७८ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७८ का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २० अप्रैल, १९७८ के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २५ अप्रैल, १९७८ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २६ अप्रैल, १९७८ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७८ का उत्तर प्रदेश का ११वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक ११ अप्रैल, १९७८ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २४ अप्रैल, १९७८ के उपवेशन म पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २६ अप्रैल, १९७८ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७८ का उत्तर प्रदेश का १२वां अधिनियम बन गया ।

नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लायी जाने वाली सूचनाओं को न लेने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । आप देखें कि नियम ३०१ में शून्य प्रहर की सूचनाएं नहीं ली गयी हैं । आज का दिन भी सदन का दिन है । नियम १५ की ओर आप ध्यान दें । उसमें यह है कि जब तक सदन अन्यथा निश्चित न करे शनिवार, रविवार तथा अन्य सार्वजनिक छुट्टियों के दिनों में कोई उपवेशन नहीं होगा । अन्यथा तय कर दिया और उपवेशन हो रहा है । आप ३०१ भी देखें । आपके सामने अगर माननीय सदस्यों न ३०१ की सूचनाय रखी हैं तो उनमें या तो आप किसी को ग्राह्य करेंगे या आप कोई नहीं लेंग, क्योंकि आज शनिवार का दिन है । यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा है जैसा आपने स्वयं ही कहा । नियम ३०१ में यह अनिवार्य नहीं है कि अध्यक्ष किसी सूचना को स्वीकार ही करें । शनिवार का दिन था और आज आप स्वयं देखते हैं कि ५ मिनट तक कोरम भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए म उम्मीद करता था और उसी के अनुसार ज्यादातर लोगों की सूचनाएं भी नहीं मिलीं और जो मिलीं उनको मैंने अस्वीकार कर दिया ।

श्री श्याम धर मिश्र--

कुछ तो मिलीं ।

श्री अध्यक्ष--

जो मिलीं, उनको मैंने अस्वीकार कर दिया और कारण देने की मेरे लिए आवश्यकता नहीं है ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

रवीन्द्रनाथ तिवारी जी का एक विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री के विरुद्ध मिला है । मैंने उसको स्पष्टीकरण प्राप्त करन के लिए उनके पास भेजा है ।

दूसरा, श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी का माननीय गन्ना विकास मंत्री के विरुद्ध सदन का अपमान करने से सम्बन्धित प्रश्न मिला है । यह पन्तनगर विश्वविद्यालय में १० लाख क्विन्टल गन्ना आरक्षित करन से गन्ना किसानों में भय व आक्रोश के सम्बन्ध में है । इसको मैंने माननीय गन्ना विकास मंत्री के पास भेज दिया है स्पष्टीकरण के लिए ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय हुए अशोभनीय व्यवहार के सम्बन्ध में गठित जांच समिति के कार्यकाल के बढ़ाने का प्रस्ताव

श्री शिवमंगल सिंह (जिला बलिया)--

मान्यवर, दिनांक १७ मार्च, १९७८ को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को श्री राज्यपाल द्वारा सम्बोधन के अवसर पर किए ।

[श्री शिव मंगल सिंह]

अशोभनीय एवं अवांछनीय व्यवहार की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी, उक्त समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए १५ दिन का अवसर दिया गया था, परन्तु जांच समिति अपना कार्य निर्धारित समय में नहीं खत्म कर सकी और सदन से अनुरोध करना पड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, इस बीच जांच समिति की १२ बैठकें की गई हैं और इस सन्दर्भ में कुल ३२ सदस्यों को साक्ष्य के लिए आमन्त्रित किया गया था, जिसमें से ११ के साक्ष्य हो चुके हैं और बाकी के साक्ष्य होने अभी शेष हैं। इन दिनों विधान सभा की बैठकें चल रही थीं। इसके अलावा सुबह के समय भी अनुदानों के अन्तर्गत होने वाली मीटिंग चल रही थीं, जिसमें माननीय सदस्यों को भाग लेना पड़ता है और साथ ही विधान सभा की बैठकें ६ बजे के बाद तक प्रायः चलती रही हैं। इसलिए समिति को अपना काम समाप्त करने के लिए उपयुक्त समय नहीं मिल पाया है कि हम तेजी के साथ इस कार्य को कर सकें।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों के सम्मुख निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—"दिनांक १७ मार्च, १९७८ को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को श्री राज्यपाल द्वारा सम्बोधन के अवसर पर किए गए अशोभनीय एवं अवांछनीय व्यवहार की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन सदन द्वारा दिनांक १७ मार्च, १९७८ को स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार इस निदेश के साथ किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन १५ दिन के अन्दर सदन को प्रस्तुत करें और उक्त समिति द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सकने के कारण सदन के ३० मार्च, १९७८ के निश्चयानुसार समिति का कार्यकाल एक माह के लिए बढ़ा दिया गया था और चूंकि समिति द्वारा उक्त बढ़ायी गयी अवधि में भी अपना प्रतिवेदन तैयार किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

अतएव यह सदन यह निदेश देता है कि उक्त जांच समिति द्वारा सदन को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय तीन माह और बढ़ाया जाय।"

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

किसी भी मसले को टालना हो तो एक समिति बना दी जाती है। आप जानते हैं कि जो दुर्घटना हुई थी और जो माननीय सदस्यों का मत था कि इस पर अविलम्ब कार्यवाही की जाय, तुरन्त कार्यवाही हो जाती, परन्तु १५ दिन का अवसर दिया गया, फिर भी एक महीने का समय बाद में बढ़ा दिया गया और अब तीन महीने और टाला जाता है। यह बड़े महत्व का विषय है इसलिए तीन महीने का समय देना उचित नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह सदन की अवमानना का प्रश्न है। यह कहा जा सकता है कि यह सदन के इतिहास में पहली घटना थी। मैं चाहता हूं कि मान्यवर, आप इतनी लम्बी अवधि के लिए न टालें, एक महीने में समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहें।

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

जहां तक "हमारा ख्याल है, जो अशोभनीय घटना हुई है और उसकी जिम्मेदारी लोगों ने महसूस किया है और उनके क्रिया कलापों में काफी सुधार हुआ है और माननीय सदस्यों ने शान्ति बनाये रखी है। उस पर सदन को फैसला कर लेना चाहिए कि गलती अनजान में हुई है और बेकार में समय बढ़ाते जाना ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आपने किसी प्रस्ताव का नोटिस नहीं दिया है इसलिए मेरे समक्ष यह विचारार्थ नहीं है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मेरा मत है कि जो प्रस्ताव अभी उस समिति के चेयरमैन माननीय शिवमंगल सिंह ने पेश किया है । मैं समझता हूं कि उस प्रस्ताव पर अब बहस करने की गुंजायश नहीं है । यह मेरी राय है । गलती हो सकती है, उस दिन उस पर काफी बहस हो गई, जब संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा था । अगर इसको रिओपेन करेंगे तो बहुत से माननीय सदस्यों की जो राय है वह भिन्न हो सकती है । जैसा कि माननीय वर्मा जी ने कहा, मेरी राय तो उसी दिन आ गई थी । हमने आपसे निवेदन किया था कि हमारा उस कमेटी में रहना ठीक नहीं है । इसको रिओपेन न किया जाय । वर्मा जी का प्रस्ताव नहीं है, नहीं तो उस पर विचार किया जा सकता था । अब इसको रिओपेन न किया जाय । चेयरमैन साहब ने समय मांगा है । उनको समय दे देना चाहिए । रिओपेन होगा, तो पूरा दिन इसी में चला जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय ऊदल ने जो अपनी राय दी है वह मुनासिब है क्योंकि किसी भी प्रश्न को प्रिजज नहीं करना चाहिए । जो इस समय प्रश्न उठा है वह असंगत है चूंकि सदन के सम्मुख कोई अपमान किसी सदस्य ने नहीं किया । राज्यपाल जिस समय दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष अभिभाषण देते हैं तो वह प्रक्रिया नियमावली के अनुसार विधिवत् सदन नहीं होता है । इसलिए उस समय जिन सदस्यों ने अभद्र व्यवहार किया उसके लिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि सदन के सामने सदन का अपमान हुआ, जिस पर नियम ६३, ६४ के अन्तर्गत सदन तुरन्त ही कार्यवाही कर सके । यदि ऐसा होता तो हम उसी दिन कार्यवाही कर सकते थे । यह जांच समिति इस लिए मुकर्रर की गई है कि सभी तथ्यों की जांच करें और साक्ष्य ले और यह देखे कि कौन व्यक्ति दोषी है और समिति अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे और प्रस्ताव सदन में आये तब विचार किया जा सकता है । यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है कि किसी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाय, तब तक किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता है । इसलिए इस प्रस्ताव के कारण और उद्देश्य और कारण पर बहस करने की अनुमति मैं नहीं देता हूं । जो सदस्य कुछ कहना चाहते हैं, वह एक शब्द में कह सकते हैं कि हम इसके विरोध में हैं । हम समय नहीं बढ़ाना चाहते हैं । जब कमेटी की रिपोर्ट नहीं होगी तो प्रस्ताव क्या आयेगा और जो माननीय सदस्य विरोध करेंगे वह भी उचित नहीं होगा । ऊदल जी ने जो सुझाव रखा है, वह ठीक है । मैं बहस की अनुमति नहीं दूंगा । श्री शिव मंगल सिंह के प्रस्ताव का संशोधन हो सकता है । कोई भी सदस्य संशोधन रख सकता है और यह कह सकता है कि हम विरोध में हैं ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)

माननीय वर्मा जी ने अपना विचार व्यक्त किया, वह उनका विचार था । लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर आपकी राय न होती तो कमेटी को

[श्री सुखपाल पाण्डेय]—

रिपोर्ट बहुत ही पहले आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाती। आप उदार हैं और उदारता बरत रहे हैं और इस कारण देरी हो रही है। आप भी इसी मत के हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप सुनिए। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। आप मेरिट पर जा रहे हैं। मैंने कहा कि संशोधन पेश कर सकते हैं या विरोध कर सकते हैं।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, आपने जैसा कहा....।

श्री अध्यक्ष—

(श्री सुखपाल पांडेय के खड़े होने पर) लिखकर अमेन्डमेंट दिया जाता है।

संसदी कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, इस मामले पर समिति बन गई है इसका कार्य काल बढ़ाने का इतना कारण है कि उसके सामने जो भी फैक्ट्स हैं वह विस्तार से आ जावें और उचित न्याय हो सके। इसी कारण समय बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी है तो इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिये। आप देखें कि १५ दिन का समय बाकी रहा है, फिर उसके बाद शायद सदन उठ जायेगा तो समिति के सामने जो दिक्कत है, समय को उसको ध्यान में रखते हुए अगर ३ महीने का समय दे दिया जाता है तो वर्षा कालीन सत्र में जब हम बैठेंगे तो उस पर विचार कर सकेंगे। इसलिए श्री शिव मंगल सिंह ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर किसी प्रकार एतराज नहीं होना चाहिये। वर्मा जी अपनी राय समिति के सामने रख सकते हैं, यदि वह राय देना चाहते हैं तो दे सकते हैं।

(श्री बाबू बदरे के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

ऐसे प्रश्नों पर कुछ नजाकत होती है। इस पर सभी माननीय सदस्यों का बोलना आवश्यक नहीं होता है। प्रश्न यह है कि—

"चूंकि दिनांक १७ मार्च, १९७८ को उत्तर प्रदेश विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को श्री राज्यपाल द्वारा सम्बोधन के अवसर पर किए गये अशोभनीय एवं अवांछनीय व्यवहार की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन सदन द्वारा दिनांक १७ मार्च, १९७८ को स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार इस निदेश के साथ किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन १५ दिन के अन्दर सदन को प्रस्तुत करे और उक्त समिति द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सकने के कारण सदन के ३० मार्च, १९७८ के निश्चयानुसार समिति का कार्य-काल एक माह के लिए बढ़ा दिया गया था और चूंकि समिति द्वारा उक्त बढ़ायी गई अवधि में भी अपना प्रतिवेदन तैयार किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा, अतएव यह सदन यह निदेश देता है कि उक्त जांच समिति द्वारा सदन को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय तीन माह और बढ़ाया जाय?"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।)

कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

श्री श्याम धर मिश्र ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा हिन्डालको को बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय से उत्पन्न विषम स्थिति के बारे में एक काम रोको प्रस्ताव दिया है ।

एक श्री देव बहादुर सिंह जी का है जिसमें कहा गया है कि दिनांक २८ अप्रैल, १९७८ को रात्रि को १० सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा फतेहगंज, लखनऊ में कुछ लोगों को मारा पीटा जाना तथा भूतपूर्व कांग्रेसी विधायक, श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव को पीटते हुए ले जाना ।

श्री श्याम धर मिश्र जी के प्रस्ताव पर मैंने निर्देश दिया है कि माननीय विद्युत् मंत्री जी एक वक्तव्य शीघ्र दें ।

दूसरे कार्य–स्थगन के प्रस्ताव को मैंने स्वीकार नहीं किया है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मैंने भी दिया था ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने उसको अस्वीकार किया है । एक–एक प्रश्न को लेकर यदि आप कार्य–स्थगन प्रस्ताव देते हैं तो यह सदन ३६५ दिन चलेगा ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, आशंका यह है कि १०–१५ आदमी उनके घर में घुसे और अपने को यह कहा कि वे पुलिस के आदमी हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप अल्पसूचित प्रश्न दे दीजिए ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैंने नियम ५१ में भी दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

जब उसका समय आयेगा, तो मैं देखूंगा ।

१९७८–७९ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान - अनुदान संख्या ६१–राजस्व से किये जानेवाले सिंचाई के निर्माण कार्य, अनुदान संख्या ६२–सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या ८५–सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ८६–बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (क्रमागत)†

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

---

†२८ अप्रैल, १९७८ की कार्यवाही से ।

श्री राम अधार—

इसके पूर्व कि मैं अपनी कुछ बातें सदन के सामने रखूं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के जमाने में १४०९ नलकूप लगाये गये जिनसे मैं समझता हूं कि पिछले वर्षों में जो नलकूप लगे, उन सब का रिकार्ड टूटा है। सिंचाई विभाग में वृहद् योजना, मध्यम योजना और लघु योजना, तीन प्रकार की योजनायें चलती हैं। लेकिन कई वर्षों से वृहद योजना में जो बड़ी-बड़ी नहरों के निर्माण पर जितना खर्च हुआ उसके मुकाबले में ऐसा लगता है कि नलकूपों के निर्माण की ओर भविष्य में सरकार का ध्यान कम जायेगा। नहरें भी हों लेकिन उनसे किसानों को उतना फायदा नहीं होता है जितना नलकूपों से। जितनी भी योजनायें हैं चाहे वह शारदा सहायक योजना हो, टिहरी बांध योजना हो, कोई भी योजना हो, अरबों रुपया खर्च होने के बावजूद भी गांवों में जितना पानी, सस्ता और समय से नलकूपों से मिल पाता है, नहरों से नहीं। नहरों के निर्माण का मैं विरोधी नहीं हूं लेकिन इनके निर्माण में कितनी जमीन जाती है, कितना पैसा खर्च होता है और कितनी बेकारी बढ़ती है? कांग्रेसी हुकूमत में भी हमने इस सवाल को उठाया था कि जहां पर नहर जा रही है वहां पर सड़क बने, चकबन्दी हो। हमारे आजमगढ़ जनपद में भी नहर बनने जा रही है। एक वर्ष हुआ अभी तक नहर का कार्य ठप पड़ा हुआ है। हम लोगों ने, हमारे मुख्य मंत्री जी जब पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोगों ने वादे किये थे कि नहर अभी बने जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जब चकबन्दी होगी। और हमने क्षेत्र की मीटिंगों में एलान किया था कि सिंचाई मंत्री सहमत हैं। लेकिन रेवेन्यू मंत्री से बातें हुई, उन्होंने भी सहमति जरूर दी। उन्होंने यह कहा कि कमेटी बनी हुई है। मुझे नहीं मालूम कि क्या उस कमेटी का हुआ? चाहे आजमगढ़ हो या और कोई जनपद हो, कहीं भी जहां नहर बनने जा रही है वहां इस ख्याल से कि किसान भूमिहीन न हो, किसान मारे न जायं इस लिए चकबन्दी अवश्य हो और आवश्यकता हो तो दोबारा चकबन्दी हो। उससे किसानों को भी फायदा होगा। लघु सिंचाई के अन्दर हम जरूर चाहते हैं कि नहर हों, लेकिन इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक नलकूप अवश्य लगाये जायं उससे ग्रामीण विद्युतीकरण को भी लाभ होगा और गांव को लाभ पहुंचेगा। नलकूप कम खर्च में लग जाता है और ग्रामों में बिजली लगाने के लिए किसान अपने घर में अगर बिजली लेना चाहता है तो ८-१० खम्भ बिजली नहीं लगा पाता है। नलकूप के लग जाने से बिजली भी सुलभ हो जायगी और कम खर्च में सुलभ हो जायगी। इसलिए नलकूप अधिक से अधिक लगाये जायं ताकि ग्रामों का विकास हो और यह जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य भी है।

दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि नलकूपों के आपरेटरों की कमी है। आजमगढ़ में डेढ़-सौ, पौने दो सौ ऐसे नलकूप हैं जहां जरूरत है। ३,००० के करीब यू० पी० में आपरेटरों की कमी है। साक्षात्कार लिया जाता है लेकिन नियुक्ति का पता नहीं चलता। नाली कटी पड़ी रहती हैं। नलकूप चलता है और पानी बह जाता है। मोटर बिगड़ जाते हैं। आने जाने के साधन नहीं हैं।

नलकूप विभाग में सिविल और मेकेनिकल दो कैडर होते हैं। नलकूपों की संख्या बढ़ गयी है। १९७१ में १० हजार थी अब वह १५,००० हो गई है लेकिन १९७१ और १९७७-७८ की जो रिपोर्ट है उससे मालूम होता है कि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता मेकेनिकल के २ थे और सिविल के ७ थे और १९७७ में वह संख्या २ और १५ हो गई। ट्यूबवेल तो १० हजार के १५ हजार हो

गये लेकिन मेकेनिकल इंजीनियरों की उपेक्षा होती रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि ट्यूबवेल के अन्दर जो वर्कशाप हैं उनमें रिपेयरिंग का काम ठीक नहीं हो पाता है। कारण यही है कि मेकेनिकल इंजीनियर्स और काम करने वाले अधिशासी अभियन्ता और सहायक अभियन्ताओं की उपेक्षा होती रही है। इमाल्यूमेंट्स में भी सिविल और मेकेनिकल का दुगने का फर्क है। तो जहां तक नलकूप और मशीन की बात है मेकेनिकल इंजीनियर्स की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए।

दूसरी सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्दर पर्वतीय उत्तर प्रदेश में जो लगाये गये हैं वह बहुत कम हैं। पश्चिमी यू० पी० में तो नहर ज्यादा हैं लेकिन १९७७-७८ में ५४६ पूर्वी प्रदेश में और ४८४ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगाये गये। तो नहर चूंकि बुन्देलखंड में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं हैं तो यहां ट्यूबवेल ज्यादा लगाये जाने चाहिये। जहां भी सिंचाई के साधन कम हैं वहां ट्यूबवेल लगाये जाने चाहिए।

तीसरी बात यह है कि पिछले वर्ष लोक-लेखा समिति ने भ्रष्टाचार के विषय में जो रिपोर्ट दी है, तो मैं यह नहीं मानता कि भ्रष्टाचार नहीं है लेकिन साथ ही यह भी मानने को तैयार नहीं हूं कि सारे इंजीनियर्स या अधिशासी अभियन्ता भ्रष्ट हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके विरुद्ध विजिलेंस के अन्तर्गत गबन के आरोप हैं। मैं सारे विभाग पर आरोप नहीं लगाता लेकिन इस दिशा में यह अवश्य है, कि जो कदम बढ़ाये गये उनको कार्यान्वित नहीं किया गया। मान्यवर, पिछली लोक लेखा समिति में यह आश्वासन अधिकारियों ने दिया था कि जिनके प्रति भ्रष्टाचार की जांच चल रही है उनको अपने कार्यालय में पो० ए० की जगह नियुक्त नहीं किया जायेगा, मगर उसका कोई ध्यान नहीं रखा गया। यहां पर ४-६ अधिकारियों का एक ग्रुप है मुख्य अभियन्ता का, वह कबिनेट तक के फैसलों की अवहेलना करता है। पिछले वित्तीय वर्ष में इस ग्रुप ने २० करोड़ रुपये एक ऐसे हेड में जमा किया था जो खर्च हुआ ही नहीं, वह विद्युत् परिषद् को चला गया, ३ करोड़ रुपया निर्माण परिषद् को चला गया। इससे साबित होता है कि इस विभाग में बड़ी धांधली है। बजट में जिसका कोई लेखा जोखा था ही नहीं, वह दूसरे विभाग में कैसे चला गया? इसके अन्दर एक बहुत बड़ी साजिश है। इस विभाग के अन्दर जातिवाद, लूटवाट आदि चरम सीमा पर है। आजमगढ़ जनपद में नहर का काम रुका हुआ है, मैं चाहूंगा उस नहर का काम जब शुरू हो तो वहां दोबारा चकबन्दी करायी जाय। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

अध्यक्ष महोदय, कल माननीय सिंचाई मंत्री जी ने अपने अनुदानों को प्रस्तुत करते हुये जो भाषण दिया उससे ऐसा लग रहा था कि माननीय मंत्री जी बहुत असहाय और निराश हों और ऐसा लग रहा था कि जो भी शिकायतें उनके पास जाती हैं उनका समाधान करने में वे अपने को पूर्ण रूप से असमर्थ पा रहे हैं। उन्होंने सतर्कता आयोग की बात कही थी और एक टेक्नीकल सेल की बात कही हाइ कोर्ट के जज के अधीन सतर्कता आयोग जैसा सेल वे बनायेंगे, हम तो चाहते

[श्री देव बहादुर सिंह]—

थे कि वे कल ही यह घोषणा करते कि हमने ऐसा सेल बना दिया है। अगर ऐसा होता तो मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती।

मान्यवर, इस बजट में काफी पैसा जो स्वीकृत था वह समर्पित किया गया है। यहां जो पैसा स्वीकृत किया जाता है वह यह मानकर किया जाता है कि उसकी आवश्यकता है और वह आप खर्च करेंगे। जो भी हमारे यहां कृषि योग्य भूमि है उसको सिंचाई की जरूरत है। आप उसकी व्यवस्था करें। मगर आप तो स्वीकृत पैसे को समर्पित कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो पिछली सरकार की बड़ी-बड़ी योजनायें चल रही थीं, जब यह सरकार आयी तो इसकी समझ में ही नहीं आया कि उनको कैसे पूरा करें। किसी योजना को प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिल पायी, कहीं काम छोटे-छोटे टुकड़ों में किया गया, कहीं काम शुरू ही नहीं हुआ, इसलिए काफी धनराशि समर्पित करनी पड़ी।

सीमेंट की भी काफी कमी रही। हमने देखा है कि आपके सिंचाई विभाग के इंजीनियर जिलाधीश के पास जाते थे और नागरिकों को मिलने वाला सीमेंट एलाट करवा लेते थे। जहां लाखों बोरा सीमेंट की जरूरत हो वहां नागरिकों को मिलने वाले सीमेंट से कहीं काम चल सकता है? आपको तो अपने काम के लिये अलग से सीमेंट का एलाटमेंट करवाना चाहिये।

मान्यवर, कहा गया कि एक रुपये में ६ हजार गैलन और १६ हजार गैलन पानी देंगे। ट्यूबवेल के कमान्ड के अन्दर कोई ट्यूबवेल लगाना चाहेगा तो उसको स्वीकृति दी जायेगी। यह कोई नयी बात उन्होंने नहीं कही है, यह तो पहले बजट में ही कही गई थी। आप नई ऐसी घोषणा करते जिससे किसान आकर्षित होता। भाभर की जमीन इतनी पथरीली होती है कि वहां जिस रेट से आप पानी देने की बात करते हैं उससे वहां सिंचाई बहुत ही महंगी पड़ रही है। वहां डेढ़ पौने दो सौ रुपये फी एकड़ में नलकूप से सिंचाई होती है। तो मेरा निवेदन है कि यह जो किसानों को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, यह न देना पड़े। इसके लिए ऐसी व्यवस्था करें कि जितना मैदानी इलाके में प्रति एकड़ सिंचाई का दाम देना पड़ता है, उतना ही भाभरी क्षेत्र नैनीताल में भी देना पड़े। हमारे जिले में जमरानी बांध बनाने की योजना है, लगता है कि वह बीरबल की खिचड़ी हो गयी है। १९७६-७७ में ५० लाख, ५६ हजार, १९७७-७८ में डेढ़ करोड़ और अब १९७८-७९ में ढ़ाई करोड़ की बात है। यह पैसा जमरानी बैराज के लिए ही है। जो पोषक नहरें बना रहे हैं जिसमें कि दुर्गाभगवानपुर आदि गांवों के सामने से ये नहरें बनाई जा रही है, जिसमें इन गांवो की सम्पर्क मार्ग जाता है, वह काटा जा रहा है और नहरों पर पुल न बनाने से ग्रामवासियों का आना-जाना बंद हो गया है। इसलिए इन नहरों पर अविलम्ब पुल बनाया जाय।

श्री अध्यक्ष—

देव बहादुर जी, अब आप समाप्त करें। कृपया एक मिनट में समाप्त करें।

श्री देव बहादुर सिंह—

ऐसे धर्म संकट में डाल देते हैं, मान्यवर....।

श्री अध्यक्ष—

सूत्र रूप में बोलें ।

श्री देव बहादुर सिंह—

दूसरी बात यह है कि १४५ मीटर ऊंचा जो बांध बनेगा, इसमें लगता भी नहीं है कि कब से शुरू होने वाला है । हम यह उम्मीद करते थे कि तीन वर्ष पूर्व वह चालू हुआ था , अब बन जायगा । पिछले साल हमारे क्षेत्र में ३० आर्टिजन वेल सरकार ने लगाने की योजना बनाई थी, जिसमें के ८ बनाये, २२ और बनने हैं । जब यह सरकार तशरीफ लाई, तो आते-आते इनके निर्माण को बन्द कर दिया, जिससे बड़ी असुविधा लोगों को हो गई । मैं अपनी जानकारी के आधार पर कह सकता हूं । इन आर्टिजन वेल से बहुत फायदा है, क्योंकि जिन नहरों में कम पानी है, उसका पानी उससे बढ़ाया जा सकता है और इसमें स्वतः पानी निकलता है, न मोटर की और न बिजली की आवश्यकता है । मेरा आप से निवेदन है कि हमारे हल्द्वानी क्षेत्र में नहरों की जितनी सर्विस रोड्स हैं उनको पक्का करने की कृपा करें, क्योंकि वहां गांव में आने-जाने का यही एकमात्र साधन है । पिछली सरकार ने इस योजना को स्वीकृत कर दिया था लेकिन वह सारी योजनाएं बंद हैं मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि पिछली सरकार ने जितनी योजनाएं स्वीकृत की थी, उसे पूरा करने की कृपा करें । हमारे गदरपुर ब्लाक में गूलरभोज एक जगह है, जहां सिंचाई विभाग के करीब १५० मैकेनिकल स्टाफ पड़ा हुआ है, उससे कोई काम नहीं लिया जा रहा है और न उनकी कोई सेवाशर्तें बनाई जा रही है, वे अनिश्चितता की अवस्था में पड़े हुए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनकी सेवा शर्तें बनाई जायं और उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाय ।

श्री राम गोबिन (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, सिंचाई एक ऐसा विषय है जिसका सीधा सम्बन्ध किसानों से है । इस देश में खाद्यान्न की स्थिति बड़ी दयनीय रही है और इसको देखते हुए यह जरूरी है कि कृषि उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए समुचित रूप में सिंचाई की व्यवस्था हो । सिंचाई मे दो-तीन साधन आते हैं-नहर, ट्यूबवेल और लघु सिंचाई । लघु सिंचाई के अन्दर लिफ्ट सिंचाई योजना है ट्यूबवेल आदि से सिंचाई होती है । नहरों से जो सिंचाई होती है, उसमें प्रायः यह देखा जाता है कि जब नहरों में पानी आता है, अगर किसान उस नहर से पानी ले या न ले, अगर वह कमांड एरिया के अन्दर आता है, तो पतरौल (सिंचपाल) अपने घर बैठे-बैठे पड़ताल कर देते हैं और किसानों के ऊपर लगान की वसूली भेज दिया जाता है । एक बार पानी ले, तब भी वसूली पूरे साल की होती है, दो-तीन बार पानी ले, तब तो वसूली होती ही है । नहर से पानी किसान जितना ले, उसका भी निश्चित पैसा, उसका निश्चित लगान बनाया जाय । एक बार पानी लेने पर कितनी धनराशि देना पड़ेगी और दो बार पानी लेने पर कितनी धनराशि देनी पड़ेगी । मेरा कहना है कि किसानों को बहुत कष्ट है और अगर कोई किसान अपने स्रोतों से भी पानी

[श्री राम गोबिन्द—]

लेता है तो पतरौल (सिंचपाल) लोग तत्काल पर्चियां भिजवा देते हैं और उनसे लगान की वसूली होती है ।

जब नई नहरें निकाली जाती हैं तो छोटे-छोटे किसानों के खेत नहरों में निकल जाते हैं जिससे यह परिणाम होता है कि वे छोटे-छोटे किसान कठिनाई में पड़ जाते हैं । जिनकी भूमि नहरों में निकल गयी है आज तक सिंचाई विभाग ने उनके खेतों का मुआवजा नहीं दिया है । तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि खेत लेने के बाद किसानों को खेत की पूरी रकम मुआवजे के रूप में दे दी जाय जिससे वह अपना पालन पोषण कर सके । मान्यवर, सिंचाई मन्त्री जी ने इसके पहले बजट में घोषणा की थी कि अगर नयी नहरें निकाली जायेंगी तो नयी चकबन्दी होगी जिससे किसानों को भूमि का बचाव होगा और उनकी सारी जमीन नहीं चली जायगी लेकिन आज तक यह व्यवस्था नहीं हो पायी इससे किसानों में घोर असंतोष है । अगर किसान के खेत ही नहीं रहेंगे तो किसके लिये सिंचाई की सुविधा दी जायगी इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि जहां चकबन्दी हो गयी है वहां दोबारा चकबन्दी की जाय जिससे भूमि की बचत हो । नहरें सार्वजनिक भूमि पर निकाली जायं जिससे किसानों की भूमि प्रभावित न हो ।

दूसरा सुझाव यह है कि मन्त्री जी को स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए थी कि यह प्रदेश पिछड़ा है, इस प्रदेश में आवागमन के साधन कम है इसलिए जो भी नहर इस प्रदेश में हैं उनकी पटरियों को थोड़ा और चौड़ा करके उनको पक्का कर दिया जाय। इससे आवागमन के साधन बढ़ने के साथ भी ग्रामीण विकास की योजना में भी वृद्धि होगी और लोगों को सुविधा मिलेगी ।

श्री अध्यक्ष—

आप एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री राम गोबिन—

मान्यवर, बलिया जिला तीन तरफ से बाढ़ से घिर जाता है । मान्यवर, हमारा क्षेत्र चिलकहर है, इस क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण सारा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है । खरीफ की फसले भी नहीं होती है जिससे किसानों को बहुत परेशानियां हो जाती है। यहां पर ड्रेनेज की समस्या है, इस समस्या का समुचित रूप से हल करने की व्यवस्था होनी चाहिये । मेरी धारणा है कि अगर बलिया जनपद में जल निकासी योजना को सफल किया जाय तो किसानों का लाभ सबसे अधिक हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री राम गोबिन—

मान्यवर, नागरा, आंवरा, बहेरा, नादी, गोपालपुर, खारी, जहुलाई, देवरिया लकड़ा ड्रेनों की जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री राम गोबिन--

हमारे यहां ८० प्रतिशत ट्यूबवेल बेकार हैं । वहां के अधिकारियों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है । बार-बार कहने पर भी मुख्य अभियन्ता भी बलिया जब गये थे, मैंने उनसे सम्पर्क स्थापित किया था । इसके सम्बन्ध में ।

श्री अध्यक्ष--

आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री राम गोबिन--

इसकी तरफ ध्यान दिया जाय । मैं यह जो बजट रखा गया है इसका समर्थन करता हूं ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)--

अध्यक्ष महोदय, आपने सिंचाई अनुदानों पर बोलने के लिये समय दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, मैं अपना यह दायित्व समझता हूं कि मैं मन्त्री जी के प्रति आभार व्यक्त करूं कि उन्होंने हमारे जनपद के लिये कुछ योजनायें स्वीकार की है । श्रीमन्, यह कार्य पूर्ति दिग्दर्शक १९७८-७९ का है। इसके २३३ पेज पर बरचौली लिफट कैनाल का जिक्र है, मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इसके लिये २० लाख रुपये का प्राविधान रखा है । इसी प्रकार से सहसों लिफ्ट कैनाल, बिडवा खुर्द कैनाल की भी योजनाएं स्वीकृत होंगी जिनका उल्लेख इस कार्य पूर्ति दिग्दर्शक में किया गया है । इसी प्रकार से हमारे यहां भोगनीपुर ब्रांच जो है वह अंग्रेजों के जमाने की है । मैं निश्चित रूप से मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने उसके आधुनिकीकरण के लिये २५ लाख रु० दिया है । इन योजनाओं के तहत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमन्, इसका केवल बजट में प्राविधान करने से कार्य नहीं बनेगा, बल्कि आपके यहां वित्त सैन्कशन कमेटी होती है उसके द्वारा भी इसको शीघ्र ही सैन्कशन कर दिया जाय तो विलम्ब नहीं होगा ।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान और माननीय सदन के सदस्यों का ध्यान एक तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के नक्शे को यदि आप देखें तो उसमें कहीं पर ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहां ५-५ नदियां इस तरह से मिलती हों जिस तरह की इटावा जनपद में है । पंजाब में भी इसी तरह ५ नदियां हैं जिसका नामकरण हुआ है, वहां एक स्थान से ५ नदियां निकलती है । लेकिन हिन्दुस्तान में इटावा से जमुना, चम्बल, कुंवारी और सिन्ध तथा पहूज एक स्थान पर मिलती है और उनके मिलने की कोलिजन की टेन्डेन्सी है जिस पर इंजीनियर बड़े लट्टू हैं । उनका कहना है कि हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में शायद नदियों के मिलने की इस तरह की टेन्डेन्सी नहीं है । मैं १९७४ में जब चुन कर यहां आया तो इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया और इसलिये वहां का सर्वेक्षण किया गया । मान्यवर, फतेहपुर में अथाह जल का प्रयोग करते हैं फतेहपुर की केबिनैट कमेटी ने पंचनद बांध की योजना को सिद्धान्ततः स्वीकार किया और एडवान्स सर्वे कराया जा रहा है । लेकिन जितनी प्रगति होनी चाहिये थी उसमें वह नहीं हुई है । इसके दो फीडर जायेंगे एक से भोगनीपुर ब्रांच, इटावा ब्रांच, कानपुर ब्रांच आदि नहरों को

[श्री गौरी शंकर एडवोकेट]

पानी सप्लाई होगा तथा दूसरी फीडर बुन्देलखण्ड जालौन आदि जिलों की सिंचाई करती हुई भाता टीला बांध को पानी देगी जिससे बिजली की समस्या हल होगी। इससे फतेहपुर, कानपुर, इलाहाबाद आदि को भी लाभ होगा। इसकी विशेषता है कि यह बांध पटना (बिहार) की बाढ़ को रोकने में सफल होंगे। मान्यवर, दुख इस बात का है कि अभी काम अच्छा नहीं हुआ है। वहां एक सर्किल या कम से कम एक डिवीजन खोलना चाहिए लेकिन अभी तक एक इंजीनियर पोस्ट किया गया है। हमारे जनपद में जितने इंजीनियर सिंचाई के हैं वह अच्छे हैं यदि इसी तरह दूसरे जिलों में हों तो काम में कोई दिक्कत नहीं होगी।

मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो भिंड का इलाका है वहां लोगों का जीवन दुखी है। वहां सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए सिन्डौख, जजपुरा, चौरेला, गड़ीमंग, कचहरी, करियावली निमरी, वंसरी, मिठौली, विडौरी, मरेहम हुआ सूड़ा आदि की जमुना, चम्बल, कुंवारी की बीच की पट्टी तथा दासपुर, मानपुर, खरका, बसंतपुर, सिहौली, सढ़रापुर, बोजलपुर, एआना, जुहीखा आदि की जमुना नदी की पट्टी और गुदरी, जुआ, मुड़ैना, फूटाताल, अजुआपूर, बल्लापूर, सौरी गढ़िया, मदन सिंह का पुरवा, सतहली, बयौरा, नवलपुर, ऊंचा पड़रिया और गड़मानिक चन्द की सेंगर नदी की पट्टी अत्यन्त अपेक्षित है जिनके विकास के लिये राजकीय नलकूपों की अत्यन्त आवश्यकता है। इस लिए मेरा निवेदन है कि यहां के लिए विशेष एलाटमेन्ट नलकूपों का करें जिससे यह पट्टी विकसित हो सके।

मान्यवर, पं० जवाहर लाल नेहरू के जमाने में अल्बर्ट मायर यहां आये थे और गोबिन्द बल्लभ पन्त जो उस समय मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने प्लानिंग के लिये इटावा जनपद का अजीतमल क्षेत्र चुना था जिसको पाइलट प्रोजेक्ट अजीतमल के नाम से जाना जाता है। इसलिए मान्यवर, इस अग्रगामी विकास योजना अजीतमल के विकास के लिये शासन को इस क्षेत्र में सिंचाई आदि की विशेष योजनाएं लागू करनी चाहिये। जो प्लानिंग की जाती है उस तरफ ध्यान दिया जाय। इस प्रकार की प्लानिंग इस प्रदेश से महाराष्ट्र और दूसरे प्रदेशों में पहुंच गई है और वहां पर इस बारे में विशेष ध्यान दिया जाता है। मेरा अनुरोध है....

श्री अध्यक्ष—

गौरी शंकर जी अब समाप्त करें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

इन सारी योजनाओं को सफल बनाने के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा खर्च लगता हो उसे स्वीकृत किया जाय और जितनी जल्दी हो सके इस को पूरा किया जाय। मैं समझता हूं कि हमारी जितनी भी योजनायें सफल नहीं हो सकी हैं वे शासन की अकर्मण्यता की वजह से नहीं हो सकी। पानी एक ऐसी चीज है जिसकी कमी से कृषि का उत्पादन नहीं हो सकता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बोलने का अवसर दिया और सिंचाई बजट का समर्थन करता हूं।

श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत थोड़े समय में माननीय सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान एक ही बात की ओर केन्द्रित करना चाहता हूं।

मान्यवर, यह सभी जानते हैं कि बुन्देलखण्ड सबसे अधिक पिछड़ा हुआ भाग है उत्तर प्रदेश का सिंचाई के मामले में। इस बुन्देलखण्ड में भी हमीरपुर सबसे अधिक पिछड़ा है और उसी प्रकार से झांसी और बांदा भी हैं। इस सम्बन्ध में एक विशेष बात की ओर आप के माध्यम से माननीय सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह गौर से मेरी बात को सुनने की कृपा करें। हमारे यहां हमीरपुर जिले में विशेषतया और दूसरे जिलों में भी सन् १९७०-७१ के लगभग एक सर्वेक्षण हुआ था जो जुलोजिकल सर्वे आफ इंडिया के लोगों ने किया था। उस वक्त उन्होंने एक नक्शा बनाया। उस नक्शे में उन्होंने एक लकीर खींच दी जिसकी वजह से कुछ हिस्से को उन्होंने सदैव के लिए कन्डम कर दिया यह कह कर कि यहां पर तो नलकूप हो नहीं सकते। श्रीमन्, निवेदन मेरा यह है कि अब जो कुछ इस बीच में एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वेल बनाये गये उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि उनको सर्वेक्षण गलत था। मुझे सेन्ट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकारी यहां पर हैं उन्होंने आ कर नक्शा दिया है जिसके मुताबिक अब जिस जगह पर पहले कहा था कि यहां पर ट्यूब वेल्स नहीं बन सकते उन्होंने मान लिया कि हां ट्यूब वेल यहां पर हो सकते हैं और वहां पर ट्यूब वेल लगाये गये और कामयाब हो गये। इसको देखते हुए मेरा माननीय मंत्री जी से यह बड़ा नम्र निवेदन है कि आप एक मरतबा फिर से इसका सर्वेक्षण न कराये बल्कि थोड़ी-थोड़ी दूर पर एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वेल्स लगा कर के, खुदवा कर के यह वास्तव में देख लें कि वहां पर पानी है कि नहीं क्योंकि जहां पर पानी नहीं है कहा गया था वहां पर पानी मिल गया है।

मेरा यह भी निवेदन है कि इस के लिए जो रिग मशीन हैं खास तौर से डीप रिग मशीन हैं उन्हें केवल बुन्देलखण्ड इलाके के लिए और उस इलाके के लिए जहां पर यह कहा जाता है कि जमीन के नीचे ग्रेनाइट है और उसकी वजह से वहां पर ट्यूब वेल नहीं बनाये जा सकते इयरमार्क कर दें विशेषकर क्योंकि दूसरे जगहों पर इनकी आवश्यकता नहीं है। मैंने पेय जल निगम की तरफ से जो ट्यूब वेल खुदवाने के लिए रिग मशीन लगी है उनके बारे में मैं अधिकारियों से बात की है और बात करने के बाद आप से यह निवेदन कर रहा हूं कि उन्होंने कहा है कि कैसे ही ग्रेनाइट होगा हम उसको तोड़ कर पानी निकाल देंगे। एक मरतबा हमको मौका तो दीजिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तीन चार रिग मशीन उस क्षेत्र में लगायी जायं। माननीय मन्त्री जी को यह सुन कर ताज्जुब होगा और कदाचित विश्वास भी नहीं होगा कि महोबा जहां से मैं आता हूं वहां आज तक एक भी ट्यूबवेल नहीं है जब कि निश्चितपूर्वक वहां एक ऐसी जगह पर है जहां पानी मिल सकता है और आज तक वहां एक भी ट्यूबवेल इसलिए नहीं बन सका क्योंकि पुराने नक्शे में एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि वहां पर ट्यूब वेल लगा ही नहीं सकते। आपके पास में हाजिर हो जाऊंगा यदि आप चाहें या आप मुझे बुला लें या इजाजत दें तो मन्त्री जी से मिल लूं। मैंने कुछ नक्शे बनवायें हैं, कुछ नक्शे केन्द्र से भी मुझे भेजे गये हैं। मैं उन नक्शों को दिखला कर मन्त्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वहां पानी मिल सकता है, केवल वहां पर परीक्षाओं और प्रयास की कमी है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

कल माननीय सिंचाई मन्त्री जी का बजट भाषण में बड़े गौर से सुन रहा था। माननीय सिंचाई मन्त्री जी ने बातें तो बहुत कहीं लेकिन कल उनके भाषण से कुछ निराशा ही जाहिर हुई और उनका जो निर्णय सन् १९७० में हुआ था वह आज तक लागू नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया उसके लिए उन्होंने कहा कि आगे प्रयास करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि भ्रष्टाचार, गबन या जो दुरुपयोग हो रहा है उसको कैसे रोका जाय। उसके लिए उन्होंने विचार व्यक्त किया कि हाई कोर्ट के किसी माननीय जज की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जाय। आयोग तो बहुत से बने हैं देश और प्रदेश में लेकिन उनकी रिपोर्ट बहुत दिनों बाद आती हैं और फिर उन पर अमल कितना होता है यह विचार करने की बात है।

माननीय रियासत जी ने एक सवाल किया था पुर्जों के स्टोर, खरीद फरोख्त के बारे में और दूसरा था स्टोर और वर्कशाप बनाने के बारे में। माननीय मंत्री जी का कहना है कि सन् १९७० में फैसला लिया था। फैसला लिया गया था और शासनादेश भी है लेकिन आपने उसको लागु नहीं किया है। सवाल यह है कि कैसे लागू होगा। मैं चाहता हूं कि आप सामान के रख-रखाव के लिए, वर्कशाप के लिए जो कंट्रोलर नियुक्त करना चाहते हैं उनकी घोषणा आज करें। वर्कशाप बनाने के लिए, स्टोर में पुर्जों के रख-रखाव के लिए जिसे हर वक्त सामान वहां मिल सके इसके लिए भी मन्त्री जी की तरफ से आज घोषणा हो जानी चाहिए। आप जब कंट्रोलर की बात कहते हैं तो मैं देखता हूं कि इस बजट में एक पैसा भी आपने उसके लिए नहीं रखा है, तो आप बतलायेंगे कि बिना बजट के इस काम को किस प्रकार करेंगे? जहां तक नलकूपों ले लिए पुर्जों की खरीद फरोख्त का सवाल है तो उस दिशा में आवश्यक कदम उठाया जाय। मेरा कहना है कि पांच छः चीजों की आवश्यकता है। पहला है नलकूपों के लिए पुर्जों की आवश्यकता का सही आकलन अच्छे स्तर के पूर्जों के क्रय की व्यवस्था। पुर्जों के स्टोर की ठीक व्यवस्था। इनके उपयोग पर समुचित नियंत्रण। क्रय करने की ठीक नीति का निर्धारण। आधुनिक क्रय प्रबन्ध के तरीकों का लागू किया जाना। अब १५ हजार के करीब ट्यूबवेल हो गये हैं लेकिन नैनीताल स्टाक में वृद्धि नहीं हो पायी है प्रति वर्ष कितना सामान लगेगा, कितने कल पुर्जों की आवश्यकता होगी इसका सही आकलन पहले से होना चाहिए तभी हम सही खरीद फरोख्त कर सकते हैं और अनियमितताओं से बच सकते हैं। अभी तक कोई ऐसा आकलन नहीं किया गया अच्छे स्तर के कल पुर्जों की खरीद के लिये जिनका कि जिक्र किया गया है, उसके लिये टेकनिकल कमेटी की जरूरत है जो इसकी जांच करे और जो निर्माता है उनसे खरीदे या बिक्रेता की जो बड़े-बड़े एजेन्सीज हैं उनसे खरीदे जायं स्टोर में कल पुर्जों की कितनी जरूरत है इसको भी जानने की आवश्यकता है। इसके ऊपर समुचित नियंत्रण कैसे होगा इसके बारे में भी विचार करने की जरूरत है। क्रय करने की ठीक नीति जिसके बारे में माननीय मन्त्री जी और उप मन्त्री जी जिक्र करते हैं मैं उनसे सहमत हूं, जल्द से जल्द उस नीति के कार्यान्वयन करने की आवश्यकता है।

मैकेनिकल और सिविल का ऐसा सवाल है कि इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। जिस तरह से आई० सी० एस०, आई० ए० एस० लोग पी० सी० ए० पर हावी रहते हैं और उनकी उपेक्षा करते हैं वही हाल सिविल के लोगों का है यह लोग जो हमारे मेकेनिकल के अधिकारी और कर्मचारी हैं इनके ऊपर हावी रहते हैं। इस बारे में शासन ने १९५० में फैसला लिया ७० में फैसला लिया और १९७१ में फैसला लिया लेकिन आज तक यह लागू नहीं हुआ है। यह कहा गया था कि सभी प्रकार मेकेनिकल कार्य के लिये मेकेनिकल आदमी रक्खे जाने चाहिये लेकिन यह बात

आज तक लागू नहीं हुई है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नलकूप के बारे में उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है। मैं इस बारे में आपको बतलाना चाहता हूं कि मुख्य अभियन्ता और सिविल के अतिरिक्त मुख्य अभियन्तागण चाहते हैं कि प्रदेश में नलकूप न लगें। यह मेरा निश्चित मत है। यह मेरे सामने की बात है माननीय मन्त्री जी ने एलाटमेन्ट के बारे में मिटिंग बुलायी थी जब वाराणसी के ट्यूबवेल के एलाटमेन्ट का सवाल आया तो मन्त्री जी श्री बलबीर सिंह चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवेल्स दिये जायं। लेकिन मुख्य अभियन्ता भी मीटिंग में बैठे थ और वह कह रहे थे १५ दिये जायं। मैं बड़ा अभारी हूं कि इस पर मन्त्री जी ने दखल दिया और कहा कि पुरानी सरकार ने ६३ नलकूप दिये हैं और अगर हम १५, २० ही देंगे तो ठीक नहीं होगा क्योंकि हम लोग जनता सरकार के अवश्य हैं लेकिन भेदभाव नहीं करना चाहते हैं। मन्त्री जी ने वाराणसी को ७० नलकूप दिये। इसके लिये मैं उनको पुनः बधाई देना चाहता हूं।

आप देखें कि ट्यूबवेल्स से कितना फायदा है। आप प्रदेश का औद्योगीकरण करना चाहते हैं या नहीं, गांवों का विद्युतीकरण करना चाहते हो या नहीं? आपके जितने ट्यूबवेल्स हैं उससे २०, २५ गुने ज्यादा प्राइवेट वालों के हैं तो उनके लाइन कहां से मिली है। आपके जो ट्यूबवेल्स हैं उन्हीं से मिली है। ९० प्रतिशत लघुउद्योग और नलकूपों को आपकी लाइन से बिजली के कनेक्शन मिले हैं, इसलिये आप को इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। श्रीमन्, दूसरी बात यह है कि नलकूप से फायदा ६ महीने के अन्दर पहुंच जाता है जबकि नहरों से ५, ६ साल में पहुंचता है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि शारदा सागर डैम जो बना, उससे जौनपुर के हिस्से को और वाराणसी के हमारे हिस्से को केराकत माइनर, चौबेपुर माइनर और देवदासपुर माइनर निकल कर गयी हैं। लेकिन १६ साल हो गये उस नहर को, लेकिन एक बार भी पानी नहीं मिला। अगर मिला हो तो जो दण्ड देना चाहें, मैं लेने को तैयार हूं। माननीय उप मंत्री जी ने एक मीटिंग में मुझे बुलाया था। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता शारदा सहायक को भी बुलाया था, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने उसमें कहा कि इस साल १९७८ की जून तक उसमें पानी दे देंगे क्योंकि उसको शारदा सहायक योजना में ले लिया गया है। मैंने उनसे कहा कि आप जून, १९७८ तक नहीं दे सकते। १९८० तक भी पानी दे दें तो जो जुर्माना या दण्ड आप लगा सकते हो, मैं उसे सहन को तैयार हूं। १९८० तक पानी नहीं दे सकते। मेरा निश्चित मत है कि ८० तक पानी नहीं दे पावेंगे।

इसी तरह से दूसरी योजना मड़ियाहूं से चिरई गांव शारदा सहायक में लिया है। मैंने उसके लिये बार-बार कहा कि उसमें दुबारा चकबन्दी कर लें। सरकार जमीन ले ले। इसके लिये कमेटी बनी थी। १९७४ में, १९७५ में, १९७६ में उसमें रेवेन्यू विभाग, चकबन्दी विभाग, सिंचाई विभाग सबने मीटिंग की शासन की तरफ से और यह नीति तय हुयी कि जहां-जहां बड़ी-बड़ी नहरें बनेंगी, वहां पुनः चकबन्दी करायेंगे। लेकिन, मान्यवर, आज तक उसमें निर्णय नहीं हो सका। अतः निवेदन करना चाहता हूं कि ट्यूबवेल की नीति को आप मजबूती से पकड़ें। मेरी तो धारणा है और जसाकि राम अधार जी ने कहा, इसका अलग से संगठन बनाया जाय और इसमें शासन के प्रति जिम्मेदार बनाया जाय। इसका अलग से प्रोग्राम बनाया जाय और ट्यूबवेल का संगठन अलग करके इसकी कार्यप्रणाली अलग बनायी जाय और अगर

[श्री ऊदल]

इसमें कोई गलती करता है तो उसे दंडित करना चाहिये । इसका अलग से मुख्य अभियन्ता बनाया जाय और कई अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, बनाये जायं जो शासन के प्रति जिम्मेदार हों । अब तक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता अपने मुख्य अभियन्ता के यहां प्रत्येक कार्य के लिए जाता है और मुख्य अभियन्ता शासन के पास जाता है । जितना श्रम भी लगता है और कार्यों की उपेक्षा होती है । इस तरह से मुख्य अभिन्यता ही पूरी तरह से नहरों और ट्यूबवेलों का मालिक है और इसलिये हर चीज को दबा दिया जाता है । इसलिये ट्यूबवेल का संगठन हर स्तर पर बिल्कुल अलग से किया जाय और ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवेल लगाने के बारे में सरकार को सोचना चाहिये ताकि प्रदेश का औद्योगीकरण हो, गांवों का विद्युतीकरण हो और लोगों को कनेक्शन मिल सकें और जल्द से जल्द सिंचाई हेतु उपलब्ध हो सकें ।

एक बात और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं । मान्यवर, यह मेरा निश्चित मत है कि आयोग बनाने से काम नहीं चलेगा । इन्हीं अधिकारियों में से तीन के नाम मैं बता सकता हूं कि जिनका जांच कमीशन बना दें । वे साल भर के अन्दर रिपोर्ट दे देंगे । मैं जानता हूं कि ये अधिकारी ऐसे हैं कि जो किसी को क्षमा नहीं कर सकते हैं । यदि आपने आयोग बनाया तो उसमें ८/१० साल रिपोर्ट देने में लग जायेंगे । फायदा नहीं हो पायेगा अतः निवेदन है कि इन्हीं तीन आदमियों की कमेटी बनायी जाय जो भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच करें ।

इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसका समर्थन करने के लिये और जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो सिंचाई विभाग का बजट प्रस्तुत किया है, वह बजट बहुत ही कल्याण-कारी बजट है और उस बजट के माध्यम से प्रदेश के किसानों को बहुत लाभ होगा ।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मैं आपके बस्ती जिले की परिस्थितियों की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब से बस्ती जिले में ११० किलो मीटर दूर दक्षिण और ८६ किलोमीटर पूर्व पश्चिम क्षेत्रफल है, तो मैं आपके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि उस जिले में नलकूप की संख्या नहीं के बराबर है । बस्ती जिले का आधा भाग बाढ़ घाघरा कटान और राप्ती कटान से पीड़ित है और उस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा नहीं है । मान्यवर, जिले में जो ट्यूबवेल आवंटित किये जाते हैं, उनकी संख्या अगर देखी जाय, बिल्कुल शून्य है । पिछले वर्ष २० ट्यूबवेल आवंटित किये गये, उसके बाद शासन से ३० ट्यूबवेल और एलाट किये गये और वहां पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये गये ये नहरी क्षेत्र में ट्यूबवेल लगाये जायंगे और उसको एडवाइजरी कमेटी पास करेगी । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस किस्म के प्रतिबन्ध से आपस में मनमुटाव और मतभेद पैदा हो जाता है । मैं चाहूंगा कि अगर बस्ती जिले में वे उसके क्षेत्रफल को देखते हुए, उसके पिछड़ेपन को देखते हुए, अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, १५०० ट्यूबवेल आवंटित किये जायं, तो उस जिले का विकास होगा, उस जिले का कल्याण होगा। यह मेरा एक सुझाव है, जिससे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। मान्यवर, जो निर्देश उसमें हैं, तो कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाय।

एक बात मैं आपके माध्यम से मान्यवर, और पूछना चाहता हूं, हम लोग तो उस क्षेत्र के हैं, जहां घाघरा का कटान, जो ९६ किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की तरफ से कटा है, जो प्रतिवर्ष कटता जा रहा है। मैंने मान्यवर, माननीय मंत्री जी से और माननीय उप मंत्री से अनुरोध किया, उन्होंने स्वयं जाकर उसका निरीक्षण किया है उप मंत्री ने और वहां के लिए मान्यवर, जब माननीय मंत्री जी बजट पेश कर रहे थे, तो हर जिले का नाम लिया, बस्ती जिले का नाम नहीं लिया बस्ती जिले का इसलिए नाम नहीं लिया कि उसमें जो धन आवंटित किया गया था, वह कम था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां पर राप्ती और घघारा की कटान से पीड़ित क्षेत्र है, वहां अनेक योजनायें होनी चाहिए। अभी वहां के लिये कोई कमेटी बनी थी, वहां की योजनाओं को स्वीकृत करने के लिए और ७ मार्च तथा १४ मार्च को उसकी मीटिंग थी। सौभाग्य कहिये या दुर्भाग्य, हमारे चीफ इंजीनियर साहब ने वहां की कोई योजना नहीं स्वीकार की। इसका कारण क्या था? वहां पर हमारे माननीय उप मंत्री जी ने स्वयं निरीक्षण किया था, घाघरा के कटाव को देख आये थे, दयनीय दशा को देख आये थे। आप जानते हैं, मान्यवर, यह बात सही है कि चाहे हमारे मंत्री हों, यह जो अध्यक्ष के दाहिने बैठ जाते हैं तो उनकी अकल, इन अधिकारियों के हाथ में चली जाती है और जब अध्यक्ष के बायें बैठते हैं, तो अकल दुरुस्त रहती है, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको एसे फंदे में डालकर यह चाहते हैं कि यहां पर कोई ऐसा काम न हो जो जनहित में है। मैं जानता हूं कि ये योजनायें बेची जाती हैं। किसी सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर को नियुक्त किया जाय, किसी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को नियुक्त किया जाय तो कम से कम यह करिये। उन योजनाओं को तो जाने दीजिये, बेच लीजिए, हमको एतराज नहीं है। आपके विभाग में यह नलकूप जो खराब हैं, उनकी क्या हालत है? उसमें खराब पुर्जे मंगाकर लगा दिये जाते हैं और जो असली पुर्जे हैं, उनको बेच दिया जाता है। फिर खराब पुर्जों की रिपेयरिंग पर खर्च किया जाता है। नालियां ऐसी खराब हैं, जिससे पानी किसान नहीं पाता है, उनके ऊपर फर्जी दिखाया जाता है, किसान परेशान है और उनसे सिंचाई शुल्क वसूल किया जाता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से वहां पर जो नियुक्ति आपरेटरों की होती है, इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। वहां के आपरेटर काम नहीं करते हैं, रुपया नहीं है इसलिए इसका माननीय मंत्री जी कोई बड़ा नियम बनायें जिससे आपरेटर वहां अपनी ड्यूटी दें, अगर ड्यूटी नहीं देते हैं, तो उनको सेवा से मुक्त कर दिया जाय। किसानों के हित के साथ खिलवाड़ न किया जाय। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले में जो ट्यूबवेल बने हैं, वे आज तक चालू नहीं किये गये हैं, १९७६-७७ तथा १९७७-७८ के ट्यूबवेल चालू नहीं किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष--

पाण्डेय जी अब समाप्त कीजिये

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि बाढ़ के बारे में हमारे यहां कोई योजना नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि इसके लिये अतिरिक्त योजना बनाकर सुरक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। आपके सिंचाई विभाग में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके लिए आप यहां पर सेक्रेटरी की नियुक्ति कीजिए, उच्च अधिकारी की नियुक्ति कीजिए। एक सुझाव और देना चाहूंगा सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए टेकनिकल लोगों के साथ-साथ विधान मण्डल के सदस्यों की भी एक कमेटी बनाई जाय जिससे कि इस पर नियंत्रण रखा जाय। मेरा आपके माध्यम से एक सुझाव यह भी है क्योंकि आपके अधिकारी जब भी उनको चिट्ठी लिखी जाती है। उसका जवाब देते हैं कि योजना स्वीकृत नहीं है। इस प्रकार से चिट्ठी लिखकर टाल देते हैं। अगर उनसे टेलीफोन पर बात करने का प्रयत्न किया जाता है तो कह देते हैं कि गुसलखाने में हैं या पूजा कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष--

पाण्डेय जी अब आप समाप्त करें।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

इन शब्दों के साथ मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और सिंचाई विभाग में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके लिए मेरा अनुरोध है कि उसको समाप्त करने के लिए विधायकों की एक मिली-जुली कमेटी अवश्य बनाने पर विचार करेंगे।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, आपने सिंचाई विभाग के बजट के अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं सिंचाई विभाग के बजट का समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव है उसका विरोध करता हूं। सन् १९६७ में जो सिंचाई विभाग की क्षमता थी, जो कर्मचारियों की स्ट्रेन्थ थी, वह बढ़ गई है देखा जाय तो आज भारी संख्या में सिंचाई विभाग की परियोजनाओं और उसके अधिकारियों की बाढ़ आई हुई है। इनमें काफी अन्तर हो गया है। सन् १९६७ में २३ सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर थे और आज एक सौ से अधिक हो गये हैं। उस समय एक मुख्य अभियन्ता थे और आज भी एडीशनल मुख्य अभियन्ता हैं लेकिन २३ के अनुपात हैं, उचित व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं चाहूंगा कि ४ मुख्य अभियन्ताओं की व्यवस्था की जाय जिससे परियोजनाएं समय के पहले कामयाब हो सकें। ऐसा देखा गया है कि सिंचाई विभाग में बड़ा भारी असन्तोष है। जाति के आधार पर अधिकारीगण कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं और पूरब और पश्चिम की बात को लेकर परियोजनाओं को गर्त में डाल रखा है। मैं चाहूंगा कि इस मामले में पूरब और पश्चिम के विवाद को समाप्त करने के लिए चार मुख्य अभियन्ताओं की नियुक्ति की जाय। सन् १९७७-७८ में बजट में जितना धन स्वीकृत किया गया था उसमें भारी मात्रा में समर्पण किया गया है। गोरखपुर के एस० ई० का काम है कि कभी नारायणी डिवीजन को मधुबनी डिवीजन में ट्रान्सफर करना है कभी मधुबनी डिवीजन को नारायणी डिवीजन में ट्रान्सफर करना है। एक पैसों का भी काम नहीं हुआ है। जो भी धन खर्च हुआ है वह केवल टी० ए० और तनख्वाह में खर्च हुआ है। इसी तरह गोंडा में सोलंकी साहब हैं। उन्होंने भी एक पैसे का काम नहीं किया है भारत वर्ष कृषि प्रधान देश

है। आज भारतवर्ष की स्थिति सिंचाई के उपयुक्त साधन के कारण ही इतनी अच्छी हुई है कि अन्न के मामले में हम आत्म-निर्भर हो चुके हैं। खेत में फसल के लिए बीज दें, उर्वरक दें, लेकिन अगर सिंचाई का उचित साधन नहीं है तो एक छटांक भी अन्न होने की सम्भावना नहीं है। मैं चाहूंगा मान्यवर, कि जो अधिकारियों के बीच में असन्तोष है उसे दूर किया जाय और कम से कम चार मुख्य अभियन्ताओं की नियुक्ति की जाय। हर साल डिवीजन बढ़ाये जा रहे हैं, सर्किल बढ़ाई जा रही हैं लेकिन ट्यूबवेल का कोई मुख्य अभियन्ता नहीं है, इस तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

आज हर साल से भारी मात्रा में जूनियर इंजीनियरों की नियुक्तियां हो रही हैं और यह कार्य जाति के आधार पर हो रहा है। मंत्री महोदय ने कहा था कि मेरिट के बेसिस पर यह नियुक्तियां हो रही हैं और ७० परसेन्ट वालों की नियुक्ति कर रहे हैं। उसके साथ एक चीज और जोड़ दें कि ६५, ६६ तथा ६७ के जो विद्यार्थी हैं उनकी आयु समाप्त हो रही है, लेकिन पढ़ाई में कड़ाई की वजह से मार्क्स कम हैं उनको नियुक्त न करके ७१-७२ के विद्यार्थियों को नियुक्त किया जा रहा है जिनके ७२ परसेन्ट मार्क्स हैं। मेरा सुझाव है कि ईयर-वाइज मेरिट बेसिस पर नियुक्ति की जाय।

यह कहा गया सिंचाई विभाग के अधिकारियों के कन्फर्मेशन के लिये शासनादेश हो गये हैं, लेकिन पूछने पर बताया गया कि रूल बनाये जा रहे हैं। रूल पहले बनेंगे या शासनादेश पहले होगा? यह केवल बेईमानी को प्रोत्साहन देने के लिये तथा सरकार को बदनाम करने के लिये ऐसा किया जाता है। मैं मानता हूं कि हमारे प्रमुख अभियन्ता तथा सचिव ईमानदार हैं, लेकिन जातीयता के आधार पर नियुक्ति करना, किसी के साथ अन्याय करना भी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। मुख्य अभियन्ता की चापलूसी करने के खातिर इस विभाग के ४०० अभियन्ता सस्पेंड हैं। अगर बहाल नहीं करना है तो सतर्कता विभाग को उनकी जांच दे दी जाय। माननीय मंत्री जी स्पष्ट घोषणा करें कि इंजीनियर्स जिनसे सेवा नहीं ली जा रही है और पैसा दिया जा रहा है और वे सचिवालय का तथा मिनिस्टरों के दरवाजों का चक्कर लगाते हैं उनको या तो तत्काल बहाल किया जाय और अगर दोष पाया जाय तो सीधे तत्काल उनको डिसमिस किया जाय क्योंकि ऐसा न करने से बदनामी हो रही है। हमारे यहां छोटी-छोटी नदियां हैं जैसे बिल्वाघाट, खिखड़ानाला वहां पानी जमा रहता है। वह जमीन कृषि के योग्य है। अगर पानी को हटाने की व्यवस्था की जाय तो कम से कम उस जमीन का इस्तेमाल हो सकेगा और किसान का भी भला हो सकेगा।

हमारे यहां एक बन्धा है जो दो किलोमीटर तक नहीं बन सका है। अगर उसे बना दिया जाय तो जो जमीन हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है वह नहीं होगी। इसी तरह से चन्दन नदी है उस पर पुल है। उसके पास लक्ष्मीपुर हरिजन बस्ती है। वहां पानी हर साल जमा हो जाता है। अगर पानी के निकालने की व्यवस्था कर दी जाय तो किसान को सुविधा हो जायगी और उनकी तबाही नहीं होगी। गन्ने की पोजीशन यह है कि काश्तकारों को ४, ५ रुपये क्विन्टल दाम मिल रहा है जिससे किसान तबाह हो रहा है। अगर मंत्री जी सिंचाई की सुविधा उसे दे दें और रेट कम कर दें तो उसे राहत मिल जायगी और गन्ने के किसान को

[श्री शारदा प्रसाद जायसवाल]

परेशानी कुछ हद तक खत्म हो जायगी । इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । सिंचाई की दृष्टि से देखा जाय तो कई प्रकार के स्रोत हैं उनमें कुछ राजकीय स्रोत हैं । बुन्देलखंड को अगर उस दृष्टि से देखा जाय तो बहुत पिछड़ा हुआ है । वहां राजकीय लघु योजनाओं के अन्तर्गत जो नलकूप लगे हैं वे केवल २५५ हैं जब कि पूर्वी क्षेत्र में ६६१७, पश्चिमी क्षेत्र में ७५६८, मध्य क्षेत्र में १४४४ तथा पर्वतीय क्षेत्र में १०२ नलकूप लगे हैं । किन्तु बड़ा दुर्भाग्य है कि लगभग ३२ लाख हेक्टर भूमि को सिंचाई करने के लिए राजकीय योजनाओं के अन्तर्गत इस प्रकार की उपेक्षा का भाव बरता जाए, जो इसमें बरता गया है, तो यह बड़े ही दुख की बात है । हमारे क्षेत्र ललितपुर में एक ज्योलाजिकल सर्वे हुआ था, उसमें ४ ट्यूबवेल्स मंजूर हुए थे, किन्तु उसमें से केवल एक हाथ में लिया गया और उसमें भी ११३ फुट बोरिंग करने के बाद उसे बन्द कर दिया गया और शेष का तो कुछ पता ही नहीं चला । रिग जो मशीन है, उसमें केवल ३३२ रुपया खर्च होना था, लेकिन वह रुपया उस कार्य में नहीं खर्च किया गया, बल्कि ३-४ हजार रुपया टी० ए०-डी० ए० में अवश्य खर्च कर दिया गया है । किन्तु ३३२ रुपया नहीं खर्च किया गया । मैं अधिकारियों को भ्रष्ट और अकर्मण्य नहीं कहता हूं, लेकिन उपेक्षा का पूरा भाव उस क्षेत्र के प्रति बरता जा रहा है ।

हमारे यहां बुन्देलखंड में प्राकृतिक स्रोतों के अन्तर्गत बहुत सी नदियां हैं, जिनके द्वारा बहुत सी सिंचाई योजनाएं लागू की जा सकती हैं । जामुनी, सहजाद, सजनाम, नारायणी, रोहणी, उटारी और कौड़ी नाम की ये नदियां हैं । इसके अलावा हमारे क्षेत्र में बहुत से नाले बरूवा, बरजरिया, बियाना, जामढ़ार नदी का नाला, जामुन धान का नाला आदि हैं । इसके अलावा चन्देलों के समय के बने हुए बहुत से तालाब जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं, उनका सुधार करके उनसे सिंचाई का काफी काम लिया जा सकता है । लघु सिंचाई के लिए योजना के अन्तर्गत बड़े-बड़े बांध बनाए जाते हैं, टरबाईन वगैरह चलाए जाते हैं, लेकिन गरीब किसान को पानी देने का यही एक महत्वपूर्ण साधन है कि उनको लघु योजनाएं दी जांएं । मेरे यहां जो सहजाद डैम है, उसमें सन् १९७४ में जो स्कीम चली थी और जो १८ करोड़ की थी, वह ७४ से प्रारम्भ हुई सन् १९८१ में पूरी होनी थी, किन्तु बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि १९७८ तक उसका एक बटा तीन भी कार्य पूरा नहीं हुआ है । अब मेरी समझ में नहीं आता है कि यह कार्य सन् ८१ तक कैसे पूरा हो पाएगा । सहजाद डैम से २०२३३ हेक्टर भूमि सिंचित होनी है, उसमें इस तरह की देर की जाएगी, तो कैसे योजना पूरी होगी । जो राजघाट योजना है, १६९ करोड़ की यह योजना है । जिसमें ढाई किलोमीटर अपने प्रदेश में और ७·७ मध्य प्रदेश में हैं, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश के २६ और मध्य प्रदेश के २२ गांवों के निवासी विस्थापित हो रहे हैं । लेकिन विस्थापितों को बसाने के लिए कोई सरकार की योजना नहीं है । सिंचाई विभाग में जो नियुक्तियां होती हैं, उन लोगों के जो ६६ परसेन्ट मार्क्स हैं, नौकरी नहीं मिल सकती है । अतः वहां के विस्थापित लोगों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को बनाया जाए और उनके लड़कों को वहां पर विभाग में नौकरियां दी जाएं। यहां पर जो बोर्ड बना है, उसमें स्टाफ पूरा नहीं गया है। बड़े-बड़े इंजीनियर पहुंच गये हैं। आप पूरा स्टाफ वहां पर भेजने की कृपा करें।

वहां पर एक रोहणी डैम है, उसकी एक स्कीम है, वह ७५-७६ में चालू हुई, लेकिन उसके टेन्डर्स ७७-७८ में मांगे गये, तो अब उसका कार्य ७८-७९ तक कैसे पूरा होगा। इसमें १७०० हेक्टर भूमि सिंचित होनी है और ६७ लाख की स्कीम है। यदि सब पैसा देने के बाद यह सब फंड सरेन्डर किये जाते हैं, जो नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपने लाल बती जला दी है तो यह किसी प्रकार ठीक नहीं है। सजनाम डैम की स्कीम में १२४५ हेक्टेयर भूमि सिंचित होनी है, उसमें पेयजल की योजना भी शामिल है। यह ४३२ लाख से स्कीम चालू होने वाली है। किन्तु इसमें भी कुछ काम शुरू नहीं हो पाया है, मेरा सुझाव है कि नदियों में चेक डैम्स बनाए जाएं और उनके द्वारा लिफ्ट इरीगेशन किया जाए, ताकि हजारों एकड़ असिंचित भूमि सिंचित हो सके और उस पर अन्नोत्पादन हो सके।

हमारे यहां की जो पिपरी बासा स्कीम है, वह ५२ में प्रारम्भ हुई, किन्तु उस पर २ लाख रुपया व्यय करने के बाद उसे स्थगित किन्हीं कारणों से कर दिया गया जिससे काम रुका पड़ा है और रुपया भी बर्बाद चला गया। सतर बासा बांध के कार्य को भी सर्वे के बाद रोक दिया गया। बरूवा नाला के सर्वे के बाद भी कुछ पता नहीं चला कि वह कार्य होगा या नहीं। मेरा निवेदन यह है कि उपेक्षित क्षेत्र की जिसकी ३० वर्षों से उपेक्षा होती रही है, अब और उपेक्षा न की जाये। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट में बेईमान और ईमानदार दोनों प्रकार के अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। मैंने बेईमान कर्मचारियों के प्रति सख्ती की, उनके बारे में समय-समय पर शिकायतें की, छापे डलवाये और सीमेन्ट की बोरियां भी पकड़वाई, लेकिन इस सबके बावजूद अभी तक दोषी व भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ कोई भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वे जन-प्रतिनिधियों की बात को महत्व दें और उनका कहना मानकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और कम से कम उनका स्थानान्तरण अवश्य किया जाए और स्थगित पड़ी स्कीमों को चालू करने में अधिक सतर्कता बरती जायें। इसके साथ में मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री राम कृष्ण (जिला जौनपुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सदन में मुझे इस विषय पर विचार करने का अवसर दिया। यह खेतिहर देश है और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पोर्टफोलियों सिंचाई विभाग का होता है। इस विषय की चर्चा में हम दो दिनों से लगे हुए हैं और यहां पर काफी कुछ सुनने को मिला है। हमारे जो मंत्री हैं--रावत जी वह एक नवयुवक मंत्री हैं, वह अपने बड़े दिलोजान से विभाग के काम में लगे हुए हैं। वह इसको जल्दी से जल्दी समुन्नत करना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम कृष्ण]

चाहते हैं। किसी भी पोर्टफोलियों में जब सबका योगदान मिल जाता है तो उसमें अच्छी सफलता मिल जाती है। नहरों की योजना चल रही है, हमारे जौनपुर में शारदा सहायक केनाल का रजबहा है, उसका सर्वे कई बार इंजीनियरों ने किया है, लेकिन वहां जो छोटे अधिकारी हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, उन्होंने मनमाने तौर पर नये नक्शे बनाकर, प्रभावशाली लोगों के असर में आकर गलत खोदाई शुरू करा दी है। जब उनके बारे में उनसे कहा तो मुझे बताया और पहले राठी साहब के यहां भेजा, फिर मंत्री जी से भी कहा। इस विषय में कोई चर्चा नहीं हुई। उनकी सफलता के लिए मैंने कदम उठाए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरी समझ में नहीं आता है कि जब आप ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे तो कैसे इसमें सफलता ले आयेंगे? हमारे जो छोटे अधिकारी हैं और जो मंत्री जी हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि जो पुरानी सरकार रही है, उसने जो योजनायें बनाई, उनको ठीक ढंग से आप संचलित करें, जो नलकूप टूटे पड़े हैं, जिन नहरों में पानी नहीं आया है, हाहाकार मचा हुआ है, कोई आपरेटर अपने डियुटी पर नहीं रहता है, इन तमाम चीजों को आप ठीक करें।

हमने देखा है कि हमारे क्षेत्र में कई स्थानों पर नलकूपों की नालियां सड़ी-गली पड़ी हैं, कोई जाता नहीं है, ठीक करना तो दूर रहा, उनको आप दुरुस्त करावें। आपकी किताबों में बड़ी अच्छी-अच्छी योजनायें छपी हैं, बजट आप पास कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करुंगा कि यह इस पर निर्भर करता है कि वे योजनायें कितनी जल्दी पूरी होती हैं और किसानों को उससे कितनी सुविधा मिलती है। हमारे क्षेत्र में शारदा सहायक कैनाल की नहर जाती है, उसको फिर से आप देखें और सर्वे करायें। मैंने पहले भी बजट के समय कहा था, आज ४ महीने हो गये, आपने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं आपसे बार-बार निवेदन करता हूं जो मंगलमयी योजना वहां पहले से चलाई जा रही थीं, उसको आप संचालित करें उसके बाद इस नये विकास के कदम को रखें। मैं जानता हूं, सरकार ने भविष्य को उज्जवल करने के लिए बहुत बेहतर कदम उठाये हैं लेकिन सफलता की भावना नहीं दिखायी देती है, जिससे प्रदेश की दस करोड़ जनता का सम्बन्ध है। इन शब्दों के साथ मैं अपने मित्र, साथी जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है समर्थन करता हूं और उनकी मांग का असमर्थन करता हूं।

*श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष जी, जो अनुदान मंत्री जी ने सिंचाई के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पहली बात यह है कि हमारे क्षेत्र में नारायणी कैनाल का जाल बिछा हुआ है। लेकिन कुछ एसे इलाके में जहां पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है। कितने गांव ऐसे हैं वहां पर नहरें नहीं जा सकती हैं। वहां पर ट्युबवेल की आवश्यकता है। मैं निवेदन करूंगा, मैंने लिखकर भी दिया था कि पांच मुकामों पर ट्यूबवेल लगाये जांय। बड़हरा, लक्ष्मीपुर, ब्लाक मोतीपुर चक, बहड़रा बुबीवार के पास, ब्लाक कप्तान गंज, परवरपार, ब्लाक रापकोला, निड़ारी, ब्लाक रामकोला और कप्तानगंज के पूर्वी हिस्से में। वहां पर नहर किसी प्रकार नहीं जा सकती है। उन गांवों में सिंचाई का साधन नहीं है।

दूसरी बात यह है कि जहां पर नहर की आवश्यकता नहीं है वहां पर नहरें बनायी जा रही हैं जब कि उन गांवों की चकबन्दी हो चुकी है। लोग अपनी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जमीन पर काबिज हो गये हैं ऐसे लोगों के खेत निकल रहे हैं। उनके पास केवल उतनी ही जमीन है। वह नहर में पड़ जाती है। मैं निवेदन करूंगा कि कप्तानगंज के पास सोहनी गांव है। पचास ट्यूबवेल उस क्षेत्र में लगे हुए हैं। एक बड़ी नहर जा रही है उसमें तमाम हरिजनों के खेत निकल रहे हैं। मंत्री जी के पास अप्लीकेशन भी दिया था। उन्होंने कहा नहर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वह काश्तकारों का प्रार्थना-पत्र पता नहीं कहां चला गया। जितने भी आदेश मंत्री जी करते हैं सारे आदेश मुख्य अभियन्ता सिंचाई, अपने पाकेट में रख लेते हैं। इसी तरह से पिछली योजना में ८५ लाख रुपया वापस कर दिया था। सिंचाई का कोई काम नहीं हुआ। मैं निवेदन करूंगा कि इस मुख्य अभियन्ता को सिंचाई विभाग से निकाल देना चाहिए। कहीं अन्य जगह चले जांय जिससे सिंचाई विभाग का कार्य सुचारु रूप से चले। जो जमीन नहर में निकल रही है उस जमीन के लिए जिससे वह बिना जमीन के हो रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था हो रहा है। राजस्व मंत्री जी से भी निवेदन किया था जो बचत की जमीन चकबन्दी में निकली हुई है, चूंकि वह नहर में निकल रही है बचत की जमीन में दे दी जाय ताकि उनके परिवार के पालन पोषण की व्यवस्था हो सके।

एक बात यह भी है कि हमारे जिले में मौन नाला है जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र से गुजरता है। उसको खोदा जा रहा है। लेकिन मौके पर कहीं गहरा नहीं हो रहा है। ऊपर से केवल फावड़े से थोड़ा-थोड़ा बराबर करके सारा सिंचाई विभाग का पैसा लेकर अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता मौज कर रहे ह। काम नहीं हो रहा है। इसलिए मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसकी जांच कराए। जो नाले की खुदाई हो रही है, मौके पर जाकर देखें कि कितनी खुदाई हुई है। अनेक नहरें टूट कर गांवों को जलमग्न कर देती हैं जिससे किसानों की फसल और घर वाले बरबाद हो जाते हैं। सिंचाई विभाग के कर्मचारी मौके पर जाते नहीं हैं। नहरों को देखते नहीं है कि नहरें कहां पर टूट रही हैं। यह इन्जीनियर मौज से बंगले पर रहते हैं। पडरौना में कई अभियन्ता रहते हैं और कसिया में भी कई अभियन्ता रहते हैं, लेकिन मौके पर कोई नहीं जाता है। यह मौज कर रहे हैं और किसान परेशान है। मैं आपके माध्यम के सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह इन पर कड़ाई के साथ कार्य करावें और कड़ी निगाह रखें।

जो नहरें हैं और उनके पानी से जो खेत सींचा जाता है उस पर सिंचाई का महसूल लगना चाहिय। लेकिन हो यह रहा है कि जो उनके कमान्ड में एरिया होता है उससे सिंचाई का महसूल लिया जाता है, चाहे किसान उससे सिंचाई करें या न करे। मान्यवर, यह नहीं होना चाहिए, यह किसानों के साथ ज्यादती है। पतरौल और जिलेदार को आदेश देना चाहिये कि जो नहरों के पानी से सिंचाई नहीं करता है उसको सिंचाई महसूल देने के लिए विवश न करें। सोहराना, माडेराव में इसी तरह से पड़ताल हुई है। सिंचाई नहीं हुई है और उनको सिंचाई का महसूल देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। अहरौलो एक गांव है जिसमें एक व्यक्ति है जिसके पास एक डेसिमल भी जमीन नहीं है और उस पर ७५ रुपये का सिंचाई मा महसूल वसूल किया जा रहा है। तो मैं निवेदन

[श्री बांके लाल]

करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें और जो इस प्रकार से गरीब किसानों से सिंचाई का महसूल वसूल किया जाता है उसको बन्द किया जावे ।

अन्त में मैं नलकूपों की बात कहना चाहता हूं । हमारे क्षेत्र में नलकूपों की संख्या बहुत ही कम है और अनेक स्थानों पर नलकूपों की बड़ी आवश्यकता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि नलकूपों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिये । अगर नलकूप नहीं होंगे तो वहां का वाटर लेबिल बढ़ जायेगा जिससे किसानों का नुकसान होगा और फसल भी ठीक से नहीं होगी । हमारे जिले में नलकूपों की बहुत कमी है और जो नलकूप हैं वह बहुत ही बिखरे हुए हैं और वह पानी नहीं दे रहे हैं । इन शब्दों के साथ जो सिंचाई मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं सिंचाई विभाग की जो अनुदान है उसका समर्थन करता हूं । हमारे यहां प्रतापगढ़ से इलाहाबाद जो शारदा सहायक परियोजना है उसमें मान्यवर बहुत ही अनियमिततायें हैं । दो-तीन बार माननीय मंत्री जी गये भी थे और उसका स्वयं निरीक्षण भी किया था हमने कई बार कहा । वहां पर मुख्य अभियन्ता कह देते हैं कि यहां पर २ इंच जमीन नीची है और यहां पर २ इंच जमीन ऊंची है । यह कह कर नहरें टेढ़ी कर दी जाती हैं नहरों में किसी का निजी ट्यूबवेल चला जाता है । एक करारी भदैली गांव है नहर सीधी गयी थी लेकिन उसको उस गांव के बगल से कर दिया और अब वहां के अभियन्ता इस पर अड़े हुए हैं कि हम उसकी सीमारेखन करेंगे और तब बतायेंगे कि किस तरह से ले जायेंगे । मेरा निवेदन है कि गरीब किसानों के जो कुंए और खेत पड़े उनको छोड़ दिया जाये और जहां पर आवश्यकता हो नहरों को थोड़ा टेढ़ा भी कर दिया जाये । मैंने २-३ बार कहा और माननीय मंत्री जी ने आश्वासन भी दे दिया था । यह मामला करारी भदैयली गांव का है जो हंडिया तहसील में पड़ता है । एक अमोलवा गांव है जहां पर सरकारी तीन नलकूप हैं । नहर तीनों नलकूप के बगल से १० गज के दूरी से जा रही है । मान्यवर, जहां पर शारदा सहायक नहर जा रही है उन क्षेत्रों का पुनः चकबन्दी कराने की कृपा करें । वे कहते हैं कि इधर से ले जाने में आपको यह फायदा होगा कि नलकूपों में ज्यादा पानी हो जायगा क्योंकि अगर ५० गज पर ऊसर रहेगा तो ठीक न होगा । अमोलवा के पास एक गांव है जो पूरे का पूरा हरिजनों का है जहां पर समतल जमीन है । वे उस गांव की पूरी की पूरी जमीन को लेना चाहते हैं जिसमें से उनके पास केवल एक-एक बीघा जमीन है । इससे उनके पास कोई जमीन नहीं बच पायेगी । मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी इस ओर ध्यान दें । बगल में एक गांव बिल्हाबाद है जहां पर सड़क और गांव के बीच में १०० गज का फासला है और बगल में नहर है इधर गरीब आदमियों के घर हैं और उधर बड़े-बड़े आदमी रहते हैं । विभाग वाले गरीबों के घरों को तोड़ करके नहर ले जाना चाहते हैं । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उधर दिलाना चाहता हूं ।

फूलपुर क्षेत्र में इतने कम ट्यूबवेल्स हैं कि सिंचाई नहीं हो सकती है और असिंचित होने की वजह से परती पड़ी रह जाती है । वहां पर केवल एक फसल धान की ही होती है । मेरी प्रार्थना है कि इस पूरे क्षेत्र की सिंचाई की ओर माननीय मंत्री जी ध्यान दें ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं ।

श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा जो अनुदान की मांग प्रस्तुत की गयी है, मैं उनका समर्थन करता हूं ।

मान्यवर, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां की ८६ प्रतिशत जनता ग्रामों में रहती है और करीब ७० प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं । अच्छी खेती के लिये अच्छ खाद और अच्छे बीज और सिंचाई की बहुत ही आवश्यकता होती है । हमारे प्रदेश में मान्यवर, तीन प्रकार से सिंचाई होती है, नहरों से, ट्यूबवेलों से और लिफ्ट इरीगेशन से । हमारे प्रदेश में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां के लोग केवल भगवान के सहारे रहते हैं । मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री जी ऐसी जगहों का सर्वेक्षण करावें कि कहां पर वास्तव में ट्यूबवेल की आवश्यकता है और जहां पर जरूरत महसूस की जाय वहां पर नये ट्यूबवेल्स की तत्काल व्यवस्था की जाय ।

जनता सरकार का जो यह नारा है कि "गांवों की ओर चलो" हमारी सरकार इस तरफ प्रयत्नशील है और प्रयास कर रही है । मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है, पिछले बजट में यह प्रस्ताव किया गया था कि देहातों की ओर काफी ध्यान दिया जाय लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि लगभग २८ करोड़ रुपया अधिकारियों की लापरवाही से लैप्स हो गया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के अधिकारी जिन्होंने इस कार्य को पूरा नहीं किया, अपनी या जिम्मेदारी को निबाहा नहीं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये ।

मान्यवर, सिंचाई विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है । जिस प्रकार से यह बड़ा विभाग है उसी हिसाब से इसमें भ्रष्टाचार भी कम नहीं है । मैं तो यह कहूंगा कि यह भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार के जमाने से पनप रहा है । इसको कम करने के लिए हमारे माननीय सिंचाई मंत्री जी को काफी ध्यान देने की आवश्यकता है । जहां तक निर्माण कार्य का प्रश्न है, ५० से ७० फीसदी तक रुपया निर्माण कार्य में लगाया जाता है और बकिया पैसा अफसरों के कमीशन में उनकी मौज मस्ती में और फर्जी भुगतानों में खर्च होता है । इस तरफ भी माननीय मंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिये । इसके अतिरिक्त मान्यवर, नहर विभाग के अन्दर जीपों का भंडार है । कोई ऐसा अधिकारी नहीं जिसके पास अनेकों जीपें न हों । मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि मई, १९७७ में लखनऊ के अधिशासी अभियन्ता श्री गोयल, सरकारी जीप को लेकर कैपिटल सिनेमा में पिक्चर देखने पहुंचे परिवार के साथ । वह जीप वहीं से चोरी चली गयी । आज तक उसका पता नहीं चला । जहां तक मेरी जानकारी है, नहर विभाग के अफसर उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं । तो मैं चाहता हूं इस सम्बन्ध में सरकार तुरन्त ध्यान दें ।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि सिंचाई की समस्या बहुत ही जटिल समस्या है । देहात में जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं, मैं सरकार और मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उनकी देख-रेख के लिए कोई कर्मचारी नहीं रहते हैं । मालूम करने पर पता चला है कि कई ट्यूबवेलों को एक ही आदमी देखता है जिनसे ट्यूबवेल भली प्रकार नहीं चल पाते हैं ।

[श्री प्रदीप कुमार यादव]

एसा मालूम होता है कि वे अपने घर पड़े रहते हैं या ट्यूबवेल की चाबी अपने किसी खास आदमी को देकर चले जाते हैं। इस तरह खेत सूख जाते हैं और ट्यूबवेल आपरेटर का पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। तो आपरेटरों की भर्ती अधिक से अधिक तादाद में हो ताकि देख-रेख और रखवाली ठीक हो सके और समय-समय पर मालूम होता रहे कि वास्तव में ट्यूबवेल चल रहे हैं और किसानों को पानी मिल रहा है या नहीं। तभी ट्यूबवेल अच्छे चल सकते हैं जब उनको समयानुसार सुचारु रूप से बिजली मिले। यह सबसे बड़ी दिक्कत है कि ट्यूबवेल लगे हुए हैं लेकिन बिजली की कमी के कारण समय से पानी नहीं दे पाते हैं। अगर बिजली में कोई खराबी है तो समय से बिजली अधिकारी दुरुस्त नहीं करते हैं। इसलिये बिजली विभाग के अफसरों से भी कहना चाहिये कि इस ओर विशेष ध्यान दें।

देहातों में फसली कोलाबे नहरों में बहुत लगाये जाते हैं। फसली कोलाबे न लगाकर उचित होगा कि वे परमानेंट कर दिये जायं और यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कोलाबों को लाने, लगाने की जिम्मेदारी सरकारी अहलकारों पर होनी चाहिये। आज होता यह है कि जो आदमी कुलाबा लगवाना चाहता है उसी को परेशान किया जाता है। वह अगर लाद कर ले जाय तभी लगता है। तो यह जिम्मेदारी किसान पर न होकर सरकारी अहलकारों पर होनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त स्थानान्तरण की नीति की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि जो अहलकारान इस डिपार्टमेन्ट में बड़े अफसर हैं उनके लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है और गरीबों को यही बड़े अफसरान तंग करते हैं। अगर उनके ट्रांस्फर के लिये किसी तरह से कोई बात करता है तो उनको बुरा लगता है। मैं निश्चित तौर से कहना चाहता हूं कि बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर होते हैं तो हम लोगों के माध्यम से मंत्रियों को ये परेशान करते हैं। तो माननीय मंत्री जी इस सिलसिले में कोई निश्चित नीति निर्धारित करें।

श्री अध्यक्ष--

अब समाप्त कीजिये।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

बस, एक मिनट।

मान्यवर, जहां तक बाढ़ों को रोकने का सवाल है, उसके लिये सरकार की तमाम योजनायें उसी वक्त शुरू की जाती हैं जब बाढ़ आने का खतरा सामने दिखायी देता है। ऐसे समय जब काम होता है तो अधिकारियों को बहुत सा पैसा खाने का अवसर मिल जाता है क्योंकि वे यह कह देते हैं कि बाढ़ आयी, उसमें तमाम मिट्टी आदि बह गयी। यह कहने की गुन्जायश उनके लिये बनी रहती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि बाढ़ रोकने का काम निरन्तर होते रहना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिये कि समय पर ही काम हो। साल भर बराबर इसका काम चलते रहना चाहिये। इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री हामिद रजा खां (जिला बरेली)--

अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ है। यह रस्म सी है जिसको मैं निभा रहा हूं सिंचाई विभाग के बजट को देखने

के बाद निराशा कम हुई है और आशा अधिक बढ़ी है। मैं अपने जिले की बात जानता हूं कि वहां नहरों से पानी मिला है और मैं मुतमइयन हूं कि हमारे जिले में कुछ काम हुआ है। मगर जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि हम किसी योजना को विचार विमर्श के बाद चलाना चाहते हैं, यह ठीक है, मगर साथ ही आप जिलों में जो परामर्श समितियां बनी हुई हैं उनको आप और अधिकार दीजिये। जब उनको आप ताकत देंगे तभी काम अच्छा हो सकेगा।

मंत्री जी ने फरमाया कि जो योजनायें पिछली सरकार की थीं, हम उन्हीं की बुनियाद पर काम कर रहे हैं। मेरे जिले में बल्ली और अनन्तपुर म लिफ्ट की एक योजना थी वह ४-५ साल तक पड़ी रही, उस पर कोई काम नहीं हुआ। कुछ सामान जो खरीदा गया वह भी पड़े-पड़े खराब हो गया। इस साल के बजट में उसके लिये प्रावीजन है और मुझे उम्मीद है कि उससे नहर में अब पानी मिल जायेगा। मेरे क्षेत्र में कुछ गांव मूड़ पर ऐसे हैं जहां पानी की व्यवस्था नहीं है। वहां पानी नहीं पहुंच पाता है। बिजली के खम्भे लगे, पर वे लेट गये क्योंकि उसमें तार नहीं लगा सरकार अगर ट्यूबवेल्स लगाने की व्यवस्था करा दे तो वहां गांव को पानी मिल जायेगा। मैं सरकार का ध्यान नवाबगंज तहसील की तरफ दिलाना चाहता हूं। वहां नकटीनारायणपुर तथा कुछ अन्य गांवों में टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा है। उसके पड़ोस में कई गांव ऐसे हैं जहां पानी टेल पर नहीं पहुंचता है। उससे जमीन का कटाव होने लगता है। अतः सरकार की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं।

(इस समय १ बजकर २ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेमसिंह चौहान पीठासीन हुए।)

बल्ली की लिफ्ट योजना का सवाल है। वह अब मन्जूर हुई है।

एक सदस्य--

कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी।)

श्री हामिद रजा खां--

राम गंगा के खादर में इनके ट्यूबवेल लगे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

रजा साहब रुकिये, कोरम नहीं है।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री हामिद रजा खां--

तो मैं अर्ज कर रहा था कि वह टेरा बांध पहले कच्चा बनाया जाता था, उसमें भी अगर कोई लिफ्ट योजना उस इलाके के लिए हो जाय, तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा भोजीपुरा ब्लाक में कई गांव हैं, जिसमें एक नहर धौरा से निकाल दी जाय, तो अच्छा होगा। तो मैं रामगंगा खादर का बता रहा

[श्री हामिद रजा खां]--

था कि उसमें जो ट्यूबवेल की नालियां हैं, मैं तो कई बार कह चुका हूं, लेकिन वह बताते हैं कि उस नाली में से पानी बहता ही रहता है। जो पानी नालियों से निकल रहा है उस पानी को खेतों में इस्तेमाल किया जाय, वह पानी बेकार जाया न हो। इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं, जो खटक रही थी, लेकिन वह अपना तौर तरीका नहीं था, लेकिन माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी का भाषण सुना मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, उन्होंने हेलीकाप्टर का जिक्र किया कि सिंचाई विभाग ने खरीदा था और उसका गलत इस्तेमाल हुआ। तो जनाबवाला अभी गलत इस्तेमाल हेलीकाप्टर का हुआ, महाराष्ट्र के एलेक्शन में, कर्नाटक के एलेक्शन में इस्तेमाल के लिए गया। मैं तो यह कहता हूं कि--वामन को जरा देख, जरा बड़े कद्दा-देख। इससे अब मेरा ख्याल है कि इससे काम नहीं चलने वाला है। ऐब निकालते चलें और ऐब पर पर्दा डालते चलें। तो मैं इन अल्फाज के साथ माननीय रियासत साहब के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। जहां तक साहित्यों को देखने से और माननीय मंत्री जी के बजट भाषण को सुनने से जानकारी मिली है उससे यह बलपूर्वक कहा जा सकता है कि जनता सरकार सिंचाई विभाग को प्रगतिशील बनाने में काफी प्रयत्नशील है। मान्यवर, पिछले दस महीनें में चाहे सिंचाई के साधनों के प्रसार का काम हो या जो साधन पहले से उपलब्ध रहे हों उनके सुधार का काम हो, उसको देखने के बाद गांव के किसानों के मन में इस विभाग के प्रति आशा बंधी है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अगर यह क्रम जारी रहा तो आने वाले दिनों में हम उस लक्ष्य को पूरा करेंगे, हम अपने उस ऐलान को सफल करेंगे, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश के हर खेत को पानी देने का बचन लिया है। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तावित अनुदान का समर्थन करते हुए इस विभाग से सम्बन्धित कुछ अपने सुझाव देना चाहता हूं।

साथ ही आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे सुझावों को जनहित में मानते हुये इन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की कृपा करेंगे।

मान्यवर, जहां तक सिंचाई साधनों के प्रसार का सवाल है इसमें काफी प्रगति दिखाई दे रही है। लेकिन जितने साधनों की आवश्यकता है उतने अभी नहीं हो पाये हैं। तो मेरा सुझाव है कि जितने साधन पहले के हैं पहले उन साधनों को सुधारा जाय जिससे सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो सके। हमारे बस्ती जिले में इस साल ५० ट्यूबवेलों को आबंटित किया गया था और पचासों लग गये हैं। मैं अपने जिले की ओर से दोनों सिंचाई मंत्रियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि ३० सालों के अन्दर यह पहली बार बस्ती को मौका मिला है और इतने ट्यूबवेल लगे हैं। आपके माध्यम से मंत्री जी से एक बात और कहना चाहता हूं कि बस्ती जिले में जो पहले से ट्यूबवेल लगे हैं उसमें से ८० फीसदी ट्यूबवेल आज काम नहीं कर रहे हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि साधनों का प्रसार किया जाय लेकिन उसके सुधार की भी व्यवस्था की जाय।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जो योजनायें चालू की जायं वह अधूरे में न छोड़ी जायं, उनका कोई लक्ष्य होना चाहिये। ऐसे अनेक उदाहरण हैं मेरे बस्ती जिले

में लेकिन मैं केवल एक योजना को सामने रखकर अपनी बात कहूंगा। हमारे बस्ती जिले में चंवर ताल की समस्या है। इससे हजारों एकड़ जमीन में पानी भर जाने के कारण बुवाई नहीं हो पाती है। मैंने सवाल किया था और ३ दिन पहले मुझे उत्तर मिला है। जी हां, हजारों एकड़ भूमि पानी भर जाने के कारण बुवाई से वंचित रह जाती है। मैंने पूछा कि समस्या का हल क्यों नहीं किया जा रहा है तो जवाब मिला कि परियोजना तैयार की जा रही है। मान्यवर, यदि परियोजना तैयार होने पर ही काम प्रारम्भ होगा तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सन् १९७३ से ७७ तक के बीच में उस ताल से पानी निकालने के काम पर लाखों रुपया खर्च क्यों किया गया ? मैं पूछना चाहता हूं उन अधिकारियों से और इस विभाग से, आपके माध्यम से कि अगर परियोजना को स्वीकार करने के बाद काम कराना था तो इस ताल से पानी निकालने म लाखों रुपया क्यों खर्च किया गया ? इसलिये मेरा सुझाव है कि परियोजना जो चालू की जाय वह अंत तक पूरी की जाय और अधूरी न छोड़ी जाय।

तीसरा सुझाव जमींदारी बन्धों के बारे में है, विभाग ने जमींदारी बंधों के बारे में अपनी नीति अभी तक स्पष्ट नहीं की है। लाखों रुपये इन बंधों पर खर्च किये गये लेकिन जब बाढ़ से यह बंधे टूट जाते हैं और विभाग से जवाब-तलब किया जाता है तो विभाग कहता है कि वह बांध मेरे नहीं है। इसलिये मेरा सुझाव है कि जो भी जमींदारी बांध हैं उनको विधिवत् अपने हाथ म ले और उनके रख रखाव का प्रबन्ध करे। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में मदरहवा असोगवा बांध है, उस पर लाखों रुपये ३ वर्षों म खर्च किये गये है लेकिन दो रेगूलेटर न बनने के कारण पूरा इलाका बाढ़ से डूब जाता है। मैंने रेगूलेटर बनाने के लिये कहा, अधिकारी ने कह दिया कि अभी परियोजना स्वीकार नहीं हुई है क्योंकि वह बांध जमींदारी बांध है। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अंत में केवल एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में बाणगंगा नदी है जो नेपाल से निकलती है और हमारे जिले में आती है बाणगंगा नदी नेपाल से निकलने के बाद और ५ कि० मी० भारत में आने के बाद उस पर बांध बना है और नहर निकाली गयी है।

श्री अधिष्ठाता---

अब आप समाप्त करें।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय---

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि बाणगंगा नहर के बारे में एक विस्तृत जांच कमेटी बनानी चाहिये जो बाणगंगा नहर के बारे में विस्तृत जानकारी करके शासन को रिपोर्ट दे। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री महोदय के अनुदानों का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सिंचाई मंत्री द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, कृषि इस सूबे की व्यवस्था की रीढ़

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रवीन्द्र सिंह]

है। कृषि उपज में वृद्धि हो इसलिये सिंचाई की यहां अत्यन्त जरूरत है। मान्यवर, यह सही है कि पिछली सरकार की अपेक्षाकृत सिंचाई के साधन जुटाने और अधिकतम खेती को सिंचाई की सुविधा बढ़ाने में वर्तमान सरकार ने प्रशंसनीय काम किया है। मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि १९७८ के अन्त तक केवल ३३.६ फीसदी राजकीय सिंचाई की सुविधा इस राज्य को दी जा सकती है इसलिये एक तरफ तो मन्त्री जी के मन में चाह है कि ३३.६ फीसदी की सिंचाई का प्रतिशत बढ़ाया जाय और दूसरी तरफ म कहना चाहता हू कि १८ जनवरी को राम गगा, शारदा और गंडक परियोजनाओं के प्रशासकों की बैठक में यह बात प्रकाश में आयी कि १९७.१३ लाख रुपये कुल खर्च किया गया ३१ दिसम्बर तक। यह कुल निर्माण खर्च का १७.५३ प्रतिशत था। ११६ करोड़ रुपये सारे निर्माण कार्य के लिये ३० मार्च तक खर्च करना चाहिय था जबकि ३१ जनवरी तक ५६ करोड़ रुपया खर्च किया गया। शेष रुपये शेष महीनों में दूसरे विभागों के माध्यम से खर्च किया गया। मान्यवर, ८० हजार टन गेहूं के बदले काम के अधीन योजना के अन्तर्गत सिंचाई विभाग को केन्द्र ने देना निश्चय किया था। यदि यह ८० हजार टन गहूं लिया होता तो २०० किलोमीटर नहरों की पटरियां पक्की हो सकती थीं जिससे यातायात में जनता को सुविधा होती लेकिन इन्होंने केवल ३ हजार टन गेहूं लिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि विभाग न और रुपया मांगा होता निर्माण के काय के लिये तो यह तारीफ की बात थी, लेकिन जितना रुपया निर्धारित हो उतना ही आपके अधिकारी खर्च न कर पायें तो यह आपके विभाग की अदूरदर्शिता की बात है। इसलिये मन्त्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस विषय में देखें और जितनी धनराशि निर्धारित हो उससे अधिक खर्च करने की बात हो तो ठीक है, लेकिन उससे कम खर्च होता है तो यह अफसोस की बात है।

मान्यवर, सिंचाई विभाग में एक तकनीकी सलाहकार समिति है। जैसे मन्त्री जी को आपने छूट दे रखी है कि जिस सवाल का जवाब न देना हो तो कह दें कि वह जनहित में नहीं है, उसी प्रकार तकनीकी सलाहकार समिति को छूट है। यह समिति बाढ़ आदि की रक्षा के लिये निर्णय लेती है। यह यदि पक्ष में निर्णय देती है तो निर्माण कार्य हो सकता है और यदि संस्तुति न हो तो निर्माण कार्य निरस्त हो जायगा। मान्यवर, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में एक नदी पड़ती है तो पिछली सरकार ने एक योजना प्रस्तावित किया था कि उसके दोनों तरफ बंधे बनाये जायं। यह गोरखपुर के सिंचाई विभाग ने प्रस्तावित किया था लेकिन तकनीकी सलाहकार समिति ने उस योजना को निरस्त कर दिया। कुछ दिन हुये फिर पता चला है कि वह योजना प्रगति की ओर है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस समिति में योग्य व्यक्ति रखे जायं और उनकी दृष्टि जनहित में होनी चाहिये और चीफ इंजीनियर की इच्छा नहीं होनी चाहिये।

मान्यवर, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से चुनकर आया हूं। वहां बाढ़ की समस्या है। ४० करोड़ से एक अरब की फसल का नुकसान प्रति वर्ष बाढ़ से होता है। बाढ़ की वजह से वहां न कोई ट्यूबवेल लगाना चाहता है, और न इंडस्ट्री ही प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में लगाना चाहता है और न सड़कें ही बनती हैं। इसके अलावा कमजोरों की सहायता के लिये जो कर्ज बैंक देते हैं वे बैंक इन लोगों को कर्ज नहीं देना चाहते। मान्यवर, शासन के द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित हुई है उत्तर प्रदेश में प्रगति के नये इसमें शासन कीर्तिमान न कबूल किया है कि शारदा एवं राप्ती नदियों पर बहु उद्देशीय बांध बनाया जाय तो विद्युत् उत्पादन एवं सिंचाई क्षमता में अत्यधिक वृद्धि की जा सकती है तथा बांध बाढ़

की विभीषिका को रोकने में अत्यधिक लाभदायक होंगे । मान्यवर, इस सरकार के जमाने में भालूभांग बांध, मनाली बांध, पंचेश्वर बांध भी प्रस्तावित हैं । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन योजनाओं पर पूरा प्रयास किया जाय ताकि पूर्वान्चल को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सके ।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि १४ करोड़ रुपये सूबे के खजाने से और ६ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार से खर्च करने का प्रस्ताव है । मेरी सूचना के मुताबिक बाढ़ की रोकथाम के लिए यह सहायता कम है । जब बाढ़ आ जाती है अगस्त-सितम्बर के महीने में तो शोर मच जाता है । मैं कहना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग ने निर्धारित नियोजन करना चाहिये और जो बजट रखा है बाढ़ के रोकथाम के लिए उस खर्च को पूरा करना चाहिए ।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, एक मिनट में समाप्त करता हूं । अभी मैंने अखबार पढ़ा कल भी और परसों भी पढ़ा कि डिप्लोमा इंजीनियर्स सिंचाई विभाग के पहली मई से से आन्दोलन के पथ पर जा रहे हैं । उनकी कुछ दिक्कतें हैं परेशानियां हैं । बिजली विभाग के इंजीनियर्स भी हड़ताल पर हैं । जो डिप्लोमा इंजीनियर्स पहली तारीख से हड़ताल के पक्ष पर जाने वाले हैं मैं माननीय मंत्री जी निवेदन करूंगा कि निश्चित प्रयास करें कि उनकी बात पूरी हो, उनकी दिक्कतें दूर हों और वे हड़ताल के रास्ते पर न जायं ।

श्री अधिष्ठाता--

अब समाप्त करें ।

श्री रवीन्द्र सिंह--

आखिर में असिस्टेन्ट इंजीनियर्स के प्रमोशन की बात. . . ।

(श्री अशर्फी लाल जी यादव का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री रवीन्द्र सिंह--

इन शब्दों के साथ जो कमान्ड एरिया है उसको डेढ़ सौ पौने दो सौ किया जाय इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जो सिंचाई का अनुदान प्रस्तुत हुआ है इसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, खेती हमारे देश की अर्थ व्यवस्था का मूल आधार है और ७० फीसदी लोग खेती पर निर्भर हैं । पानी खेती की पहली आवश्यकता है । लेकिन मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है, सन् १९४७ में जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय जितनी जमीन में हमारे देश की खेती होती थी उसकी साढ़े सतरह फीसदी जमीन में पानी का प्रबन्ध था और तीस साल के अन्दर २५ फीसदी जमीन पर अब पानी

[श्री अशर्फी लाल यादव]

का प्रबन्ध हो पाया है। कितनी खेदजनक बात है कि खेती हमारी आर्थिक व्यवस्था का मूल आधार है लेकिन हम कुल जमीन के लिए पानी का प्रबन्ध नहीं कर पाये हैं।

जहां तक नहरों का सवाल है हमारी निश्चित राय है कि नहरों के बजाय अगर इस देश में सिंचाई के लिए छोटी-छोटी योजनायें जैसे नलकूप, रहट या लघु सिंचाई की योजनायें हैं, इन्हें चलाया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। नहरों के कारण न जाने कितने लाखों-करोड़ों एकड़ जमीन बरबाद हुई। नहरें नदियों से निकाली जाती हैं और नदियों में रेत बालू रहती है और रेत खेत में जाती है पानी के जरिये, तो हमारी जहां तक राय है आगे चल कर एक लम्बे समय के बाद यह रेत खेत में इकट्ठा हो जायगी और खेत रेगिस्तान बन जायेंगे। सिंचाई के लिए नलकूप या दूसरी छोटी-छोटी योजनाओं का संचालन करना चाहिए।

जहां तक सिंचाई का प्रबन्ध है नहरों द्वारा तो उसमें जहां तक मैंने देखा, वह यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो जबरदस्त लोग हैं वह जबरदस्ती नहर का पानी काट लेते हैं और जो कमजोर और गरीब हैं उनको पानी नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि इस नहर के पानी को लेकर प्रदेश में हर साल दो चार कत्ल हो जाते हैं। हमारे यहां ढेखवा कांड हुआ जिस पर यहां प्रश्न भी उठाया गया था कि दो हरिजन मारे गये। वह हरिजन और सवर्ण जाति का झगड़ा नहीं था बल्कि यहीं नहर के पानी का झगड़ा था। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं और विभागीय अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि सिंचाई का माकूल प्रबन्ध किया जाना चाहिए, जिससे गरीब लोगों को पानी मिल सके। आपके यहां से ओसराबन्दी होती है लेकिन उसका पालन नहीं होता।

जहां तक इस विभाग में भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, बहुत से माननीय सदस्यों ने उस पर कहा। मैं भी जानता हूं कि इस विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। सैकड़ों हजारों बोरी सीमेन्ट और सरिया, शारदा सहायक परियोजना को बेच दी गयी। ठेकेदारों से इनका परसेन्टेज बंधा होता है। कहीं दस परसेन्ट, कहीं १५ परसेन्ट और कहीं २० परसेन्ट तक तय रहता है। हमारे बाराबंकी जिले में तीन पम्प कैनाल ढेखवा, अलीनगर और बहराम घाट पम्प कैनाल हैं। इन पर १० लाख ५७ हजार ३२७ रुपया खर्च हुआ लेकिन ये तीनों बन्द कर दी गयीं। जब सवाल उठाया तो बताया गया कि घाघरा का पानी हट गया इसलिए यह बन्द कर दी गयी। इतना ज्यादा रुपया इन पर खर्च हुआ। इन नहरों पर अगर ट्यूबवेल बोरिंग हो जाती तो यह दिक्कत न होती। वहां पर बिजली की लाइन भी है और नालियां बनी हुई हैं। जो बिकौली पम्प कैनाल है वहां पर नालियां टूटी पड़ी हैं। कई बार लिख कर दिया लेकिन ध्यान नहीं दिया गया।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

आपने मुझे समय दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। यह विभाग सफेद हाथी है और सैकड़ों करोड़ों रुपया का बजट, चाहे यह सरकार हो पिछली सरकार रही हो, कर्मचारियों को पालने के लिए ही खर्च होता है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि समय कम है। टिहरी की योजना को देखें। केन्द्र के

मंत्री आये थे। उन्होंने कहा कि जंगलात से जमीन लेकर इनको बसाया जायगा। आप सैकड़ों साल तक करोड़ों रुपया इस योजना में लायेंगे और गांव का किसान जंगलों में मारा-मारा फिरेगा। अब तक आपने उनको बसाने की कोई योजना नहीं बनाई है और न ही राहत दी है। मैं मानता हूं कि सिंचाई मंत्री जी बहुत ही शरीफ और सज्जन हैं और रावत जी कैसे मिले हैं उसी तरह से जैसे इक्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ कैनाल का जिलेदार। मान्यवर, सिंचाई विभाग में जो जितना करप्ट है उतनी ही जल्दी तरक्की पाता है। जो मंत्री जी की दरबारगीरी कर सकता है और भाई भतीजों को सर्विस दिला सकता है, तरक्की मिल जाती है। मेरे गांव के पास एक गांव मिर्जापुर है। मैंने देखा कि वहां का आपरेटर अकुशल था और बहुत भ्रष्ट था। अब वह पम्प केनाल का जिलेदार बना दिया गया है। मैंने पूछा कि पाइप कहां चला गया तो पता चला कि उसने पाइप बेच लिए हैं। उसके बाद उसकी आपरेटर से तरक्की कर दी गई है। दुनियां की सबसे बड़े नदी ह्वांगहों की बाढ़ रुक गई लेकिन टिहरी बांध के लिए १०० साल लगेंगे। वहां के गरीबों का आपको कोई ख्याल नहीं है। मान्यवर, मैं आपको नलकूप के आंकड़ों में नहीं ले जाना चाहता हूं, लेकिन आप देखें कि वह आवश्यकता के अनुपात में कितने कम हैं। लाल बत्ती हो गई है...

श्री अधिष्ठाता—

आप दो मिनट और बोल लें।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

सलाहकार समिति आपकी है लेकिन वह जो फैसला करती है उसको बदल दिया जाता है। जन प्रतिनिधियों की बात नहीं मानी जाती है और इस विभाग में लोग केवल पैसा कमाना जानते हैं। इसमें भाई भतीजावाद भी खूब चल रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मैंने जन प्रतिनिधियों की हैसियत से आरगूमेन्ट किया तो मेरे विरुद्ध नारे लगवाये गये। जो बात सलाहकार समिति में तय हुई थी उसको नहीं माना गया। मैं इस बारे में लिखित शिकायत सिंचाई मंत्री जी को दूंगा और प्रार्थना करूंगा कि वे इसकी जांच कराकर रिपोर्ट मंगा लें और जो ट्यूबवेल्स के मामले में दोषी हों उनको निलम्बित किया जाय और सजा दी जाय।

*श्री अवधेश नरायन (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि अपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुदान का समर्थन करता हूं और सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जैसा जनता पार्टी का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश नरायन]

घोषित नारा था कि हर एक खेत को पानी, दरअसल उसी के अनुसार कार्य किया जा रहा है। सिंचाई विभाग की १९७८-७९ की कार्य पुस्तिका जो वितरित की की गई है, उसे देखकर जो पहली धारा है कि सरकार की नीति विकास के क्षेत्र में असंतुलन को दूर करने की नहीं है, उसको पुनः बल मिलता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जी का ध्यान उस पुस्तिका की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसके अनुसार जो सिंचाई का क्षेत्रफल पूर्वान्चल में है, वह ९५ हजार हेक्टर है और पश्चिमी अंचल में २० लाख ९४ हजार हेक्टेयर है। मान्यवर, पंच-वर्षीय योजना के अंतिम चरण में भी आज भी वह विषमता जो २० लाख हेक्टर की है, वह ज्यों की त्यों बनी हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई उद्योग धंधे नहीं हैं। वहां उद्योग धंधों का सर्वथा अभाव है। खेती के अलावा वहां जीवकोपार्जन का कोई साधन नहीं है और खेतों को पानी चाहिये, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है नियोजन शुरू होने से पहले जो सिंचाई विभाग में कमी थी, आज भी उस कमी को दूर करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं हुआ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश को गरीबी से बचाना है तो वहां सिंचाई की पूरी व्यवस्था करें। सिंचाई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई विशेष योजना पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए प्रस्तुत करें कि जिससे यह जो २० लाख हेक्टर का अन्तर है, दोनों जोन में, वह घट सके और विषमता घटा सके।

मान्यवर, मैं सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे गाजीपुर में दो महत्वाकांक्षी योजनायें चल रही हैं---देवकली पम्प केनाल और जमानिया पम्प केनाल। मेरा सिंचाई मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन है कि वहां पर चक-बन्दी कर दी जाय। मेरा निवेदन है कि विशेषकर ये जो महात्वाकांक्षी योजनायें हैं और इनकी जो नहरें विभिन्न क्षेत्रों में चल रही हैं, उन क्षेत्रों में चकबन्दी हो जाय नहीं तो कुछ ऐसे किसान होते हैं कि जिनकी सारी की सारी जमीन नहर में चली जाती है। इसी के साथ माननीय सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध है कि योजना की जो निर्धारित अवधि है उस निर्धारित अवधि में ही योजना पूरी हो जाय। इसी के साथ एक अनुरोध और भी करना चाहता हूं कि जो नहरों की पटरियां हैं, माइनर या मुख्य केनाल की, उनको पक्की कराने की भी माननीय सिंचाई मंत्री जी शीघ्र व्यवस्था करायें। इससे उनमें जो गांव पड़ते हैं, वे सड़कों से जुड़ जायेंगे और उनको विकास मार्ग खुल जायेगा।

इसी के साथ निवेदन है कि गहमर पश्चिम को गहमर स्टेशन के रेलवे लाइन को पार करा दिया जाय कि जिससे वहां जो धान का क्षेत्र है, वह सिंचित हो जाय। इसी तरह से वीरपुर का इस प्रकार से विस्तार किया जाय कि शेरपुर की जमीन जो असिंचित है, वह सिंचाई की परिधि में आ सके।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पानी के लगाव की समस्या की ओर भी सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं इसके लिए माननीय सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग में उसके लिए अलग से डिवीजन खुलें। नालियों के बनाने के लिए अलग से डिवीजन खुलें। मान्यवर, पिछले वर्ष यह प्रयास हुआ कि करहिया, सिवरई, देवल और नकसल, जो पानी के लगाव के क्षेत्र हैं, वहां पानी के निकास का प्रयास किया जाय लेकिन उसकी फिर गाजीपुर में ड्रेन का काम देवकली पम्प केनाल को दे दिया गया। मान्यवर, देवकली पम्प केनाल के पास स्वयं का बहुत काम है और

इतना काम है कि वह इस योजना को नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग ड्रेन के लिए अलग से डिवीजन खोलें कि जिससे यह सारा काम हो सके।

मान्यवर, मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान शेरपुर की तरफ खींचना चाहता हूं। पिछले वर्ष शेरपुर में जो कटाव रहा उससे ५०० एकड़ से अधिक जमीन गंगा के पेटे में चली गयी। कटाव जिस गति से चल रहा है, शेरपुर का गांव जो प्रदेश का सबसे बड़ा गांव है, उसकी आबादी को इससे खतरा न पैदा हो जाय, इसलिए कृपा करके उस गांव की ओर ध्यान दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

समाप्त करिये।

श्री अवधेश नरायन--

माननीय मंत्री जी उस कटाव को रोकने के लिए अविलम्ब व्यवस्था करें। मान्यवर, मेरी अन्तिम बात है, गाजीपुर को पिछले वर्ष केवल २५ नलकूप मिले, तो मुझे यह अनुरोध करना है कि इस वर्ष जो गाजीपुर को नलकूप दिये जायं, तो उसमें न्याय किया जाय। इन शब्दों के साथ माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

*श्री लीलवत सिंह (जिला मुरादाबाद)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का चांस दिया। मैं सबसे पहले जो हमारा बजट पेश हुआ है, उसके पक्ष में बोलता हूं, जो अनुदान है और इस सिंचाई का जो विभाग है, इसका हमारे देश में बड़ा महत्व है और जैसा कि हमारे देश के अन्दर ठीक समय से वर्षा नहीं होती, इसलिए इस विभाग की तरफ पूरा ध्यान देना पड़ेगा और मुझे बड़ी खुशी है और मैं बड़े जोश के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे विभाग के जो मंत्री हैं, वे ऐसे योग्य आदमी ह, उन्होंने इस विभाग में वह कर दिखाया है, जो ३० साल में कांग्रेस शासन में नहीं हो सका। इन्होंने इस विभाग के अन्दर, जिसको देखकर हमारी जनता विभाग से डरने लगी थी और यह सोचने लगी थी, इस विभाग का क्या इस देश का बिल्कुल पटरा हो जाय और किसी को पानी न मिल सके, इसमें उन्होंने बहुत सी छूट दी हैं। जैसी कि डिमांड थी अगर कमांड एरिया के अन्दर कोई आ जाए, तो उसे पानी देना पड़ता था, तो इन्होंने सबसे पहले इस छूट को दिया। इसके बाद में जो ६ हजार गैलन तक एक रुपया था उसको बढ़ाकर १६ हजार गलन कर दिया, जिसको कि कृषक लोग चाहते थे कि पानी लें, तो उसको उत्साहित किया, जो कि एक बहुत बड़ी चेंज है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट ऐसा जिन्दगी में नहीं कर पाती। उन्होंने इस विभाग को ऐसा कर दिया था कि पानी लेने के लिए लोग नहीं आते थे।

इसके साथ ही साथ में यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ इस विभाग के द्वारा सिंचाई की जाती है तो इसमें ट्यूबवेल और नहरें दो बड़े साधन हैं। इनमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लीलवत सिंह]

कुछ ट्यूबवेल ऐसे हैं, जिनकी दशा अच्छी नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि उन ट्यूबवेलों को ओवरहाल किया जाय और जो इसे ठीक करने के लिए औजार आदि हैं, उनको रखने के लिए व्यवस्था ठीक नहीं है। वे समय पर ठीक नहीं हो पाते और पानी उनका गिरता जा रहा है, बहुत कम सिंचाई कर रहे हैं। जहां पर ट्यूबवेल हैं, सिंचाई कम कर रहे हैं। दूसरा इनको ठीक कराया जाय, इसका सर्वे कराया जाय। ट्यूबवेल कुछ क्षेत्रों में कम हैं और दूसरे जो नहरें हैं, उनकी सिंचाई अच्छी नहीं है, समय पर पानी नहीं मिलता और नहरों, में जो कुलावें हैं इसे समय पर नहीं बनाया जाता है, जिससे पानी नहीं मिलता है। हमारे कालागढ़ में भी इसी तरह की समस्या है, उसको ठीक कराकर वहां पानी की व्यवस्था की जाय।

*श्री गुरू प्रसाद (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन तो करता हूं लेकिन सिंचाई के विषय में सुझाव देना चाहता हूं। सिंचाई किसानों के लिए बहुत मुख्य साधन है और खेती के लिए खेत, जोत, बीज और उसके बाद जल-सिंचाई इन पांच वस्तुओं के होने पर हमारे अन्न की अच्छी तरीके से पैदावार बढ़ती है। मान्यवर, आज जो नयी वैरायटी का गेहूं है, इनका नियम है हर २५ दिन पर इनको पानी दिया जाय, इनको २५ दिन पर पानी मिलना चाहिए। और पूरा फसल तैयार होने पर चार पानी उनको मिलेगा तभी गेहूं और धान की फसल अच्छी होगी। हमारी जो राजकीय पानी देने का साधन है वह तीन प्रकार का है जैसे जल, जैसे लिफ्ट नहर और ट्यूबवेल हैं। मान्यवर, जहां तक लिफ्ट का प्रश्न है वह बड़े अच्छे ढंग से पानी देता है और जिस गांव में लिफ्ट लगी है जैसे हमारे करछना जिला इलाहाबाद में लगी है। वहां पर गांव के लोग बड़े सुखी हैं और उन्हें समय पर पानी मिलता है और आवश्यकतानुसार पानी देता है। दूसरे नम्बर पर नलकूप आता है वह भी समयानुसार पानी देता है और किसानों को उससे सुविधा मिलती है। गड़बड़ी वहां पर होती है जब नलकूप किसी कारण से खराब हो जाता है या उसकी नाली नहीं बनी होती है तब गड़-बड़ी होती है। तीसरी योजना नहर के द्वारा पानी दिये जाने की है जो बहुत ही गड़बड़ है। हमारे मंत्री जी और उपमंत्री जी बैठे हैं। हमारी तहसील में एक नहर यमुना पम्प नहर बन रही है। उसका प्रारम्भ सन् ७४ में हुआ था। बीच में उसके निर्माण में अवरोध उत्पन्न हो गया और आज तक अवरोध उत्पन्न हो रहा है। पता नहीं क्यों अवरोध है माननीय मंत्री जी तथा उपमंत्री जी बैठे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उस नहर को यथाशीघ्र तैयार कराने का प्रयत्न करें। दूसरा सुझाव यह है कि नहर के अगल-बगल दोनों किनारे जहां नहर निकलती है यमुना पार में तहसील करछना और मेजा में दोनों तरफ पानी का पसीजन रहता है जिसके कारण हजारों एकड़ जमीन खराब हो जाती है।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपने सुझाव जल्दी दे दें और समाप्त करें।

श्री गुरु प्रसाद--

या तो उस जमीन का लगान माफ कर दें या कोई ऐसा उपाय करें जिससे जमीन खराब न हो। तीसरा सुझाव नहर के पतरौल के बारे में है। वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पनियावन इस ढंग से लिखता है कि उससे किसानों को बड़ी परेशानी होती है। गांव में एक जगह बैठ कर लिख देता है। सुझाव यह है कि जुलाई से लेकर अभी तक काफी पानी बरसा है। तो इस साल का पनियावन बिल्कुल समाप्त कर दें। पानी नहीं दिया है तो पैसा किस बात का लेंगे ? इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री इन्द्र मणी बाड़ौनी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में ८० प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं और ७० प्रतिशत खेती करते हैं। सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है। वैसे सिंचाई मंत्री जी की ईमानदारी और सत्यता में हमें पूरा विश्वास है, लेकिन श्रीमन्, सिंचाई मंत्री जी का जिस तरह का बजट होना चाहिये था वह ठीक ढंग से नहीं हो पाया मैं तो यह कहता हूं कि आप वरिष्ठ मंत्री हैं और आपको यह घोषणा करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा तमाम नदियां बहती हैं। जहां पर ५० फिट खोदकर पानी निकाल लिया जाता है उस प्रदेश में आज तक सिंचाई का साधन पूरा नहीं हो पाया। अगर जनता पार्टी को जीवित रखना है तो आपको घोषणा करना चाहिए कि पांच साल के अन्दर आप हर काश्तकार के खेत में पानी देंगे। यह घोषणा इस बजट के द्वारा होती तो हम इसका स्वागत करते। इसमें तो यही है कि इतने प्रतिशत पानी ट्यूबवेल से देंगे, इतने परसेन्ट उससे देंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप निश्चित कर दें कि इतने साल के अन्दर कोई भी खेत पानी के बिना नहीं रहेगा। ऐसा कर दें तो सिंचाई मंत्री जी का नाम सदैव उत्तर प्रदेश में जीवित रहेगा।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं मेरे कुछ साथियों ने इस विभाग के कर्मचारियों की बाबत बड़ी बातें कही हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं। जनतंत्र में नेता खाली पालिसी बनावेंगे, लेकिन उसको एक्जिक्यूट सरकारी अधिकारी करेंगे। हमारे ये हाथ हैं, उसको पंगु बना देंगे तो जनतंत्र चल नहीं सकता। इसलिए जिन साथियों ने व्यक्तिगत नाम लेकर इस हाउस में कुछ बातें कही हैं यह अनुचित है। किसी से उनके शिकायत है तो मंत्री जी से कहिये, मंत्री जी उस पर ऐक्शन लेंगे, लेकिन इस तरह की बातें यहां पर कहना इस हाउस की मर्यादा के खिलाफ है। टेहरी बांध के सम्बन्ध मे मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि विस्थापितों के सम्बन्ध में मीटिंग बुलाई गयी है और उनके बसाने के लिए पूर्ण सहयोग देने की बात कही गयी, लेकिन हमारे कुछ साथी हैं जो कहते हैं कि अगर यह बांध बनाया जायगा तो सारा उत्तर प्रदेश तथा बिहार डूब जायगा। इसे तो इंजीनियर ही ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, उसका एक्सपर्ट मैं नहीं हूं, लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा कि हम पहाड़ वालों ने आपको पानी व प्रकाश दिया तो विस्थापितों की समस्या को आप मानवीय दृष्टिकोण से देखें। पहाड़ में आप सिंचाई के लिए बिजली भी ज्यादा देने की व्यवस्था करें।

एक बात सारे प्रदेश के फायदे के लिए और मैं कहना चाहता हूं। किसी की हैजा हो जाय तो इंजेक्शन दिया जाता है। ऐसा कोई उपाय क्यों नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री इन्द्रमणी बड़ौनी—]

किया जाता कि बीमारी ही न हो हैजा न हो। इसी तरह से बाढ़ आने के कारण क्या हैं? इस पर विचार किया जाय । जंगलों का विकास हो यह कहा जाता है । पर्वतीय प्रदेश में छोटी-छोटी नदियां हैं जो हजारों टन मिट्टी काट कर ले आती हैं, उसको रोकने का प्रबन्ध होना चाहिये लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं किया गया । आपने कहा कि बांधों को बनवा देंगे, इससे बाढ़ नहीं रुकेगी । बाढ़ तो रुकेगी कि नदियों के जो कैचमेंट एरियाज हैं उनको ठीक करना । आपको इसलिए निश्चित घोषणा कर देना चाहिए इस हाउस में कि इतने साल के अन्दर बाढ़ न आने की व्यवस्था कर देंगे, उत्तर प्रदेश के हर खेत में पानी दे देंगे और बिजली की व्यवस्था कर देंगे।

*श्री नारायण सिंह भैंसोरा (जिला पिथौरागढ़)—

मान्यवर, मैं मंत्री जी के ज्ञान में यह बात लाना चाहूंगा कि विगत तीस वर्षों में पर्वतीय जिलों में केवल २ प्रतिशत सिंचाई हुई है और इस प्रकार से अगर सिंचाई में समय लगा तो बहुत लम्बा समय लगेगा जबकि यह देश व प्रदेश कृषि प्रधान है। सिंचाई के सम्बन्ध में तीव्र गति से साधन सुलभ हो सके इसके लिए मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूं :

पर्वतीय प्रदेश में पानी का शोर्स भिन्न-भिन्न ऊंचाईयों पर होता है, खेती भी अलग-अलग ऊंचाईयों पर होती है इसलिये टैंकों में वर्षा के पानी को संकलित किया जाय और उस संकलित पानी से सिंचाई की व्यवस्था की जाय । पर्वतीय क्षेत्रों में नदियां नीचे तलहटी में होती हैं लिहाजा पानी को अपलिफ्ट करके सिंचाई की व्यवस्था की जाय । इसके अलावा देखा यह जाता है कि बिजली के अभाव में, पेट्रोल और डीजल के अभाव में जो उद्योग एवं मशीन लगी हुयी हैं वे निष्क्रिय पड़ी हुई हैं और काश्तकार को जो ऋण मिलता है उसको उसके लिए ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो पाती है । इसके लिए बिजली की व्यवस्था सरकार को करना चाहिये ।

सिंचाई विभाग में ठेकेदारी की प्रथा है । पर्वतीय क्षेत्र में ठेकेदारी प्रथा भी रोजगार का साधन हो गयी है । लेकिन जो एस्टीमेट ठेकेदारी के लिए बनाये जाते हैं वे टेक्निकल आदमियों द्वारा बनाये जाते हैं लेकिन ले मैन कुछ नहीं जानते और वे न्यून दरों पर टेंडर डाल देते हैं । वास्तव में वह काम अत्यधिक निम्न स्तर का बनता जा रहा है जिससे उत्पादन घट रहा है और सिंचाई योजनाएं ठीक से नहीं पनप रही हैं । इसलिए श्रम समितियों या ग्राम समितियों के द्वारा ही काम करवाया जाय ।

तीसरा निवेदन यह है कि पर्वतीय क्षेत्र में विषम परिस्थिति आवासों की है । अधिकारियों और कर्मचारियों के आवासों के लिए बहुत कठिनाई है । इस लिए माननीय मंत्री जी से विशेष निवेदन करूंगा कि वहां पर विभाग के समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आवास की व्यवस्था कराएं । अपने जनपद में समस्त जिलों में जो सर्वेक्षण के लिए डिवीजन खोला है, आज वह निर्माण का कार्य कर रहा है। स्टाफ की कमी है । उन डिवीजनों को निर्माण डिवीजन बना दिया जाय और स्टाफ दे दिया जाय । मैं आपका आभारी हूं कि आपने समय दिया और जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री ब्रजबल्लभ (जिला बदायूं)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे दो मिनट का समय कृपा करके दिया। मेरे जनपद बदायूं में सिर्फ ट्यूबवेल हैं कैनाल्स नहीं हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे यहां, जैसा कि सुन रहा रहा हूं, ट्यूबवेल की क्षमता अच्छी है। हम इस तरह से बड़े भाग्यशाली हैं। हम कैनाल से वंचित हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से थोड़ा सा अनुरोध है। मेरे यहां ट्यूबवेल की जो अनियमितताएं चल रही हैं उस ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मंत्री जी उस पर अपना पूरा ध्यान लगाने की कृपा करेंगे। मुझे विश्वास है कि लाखों करोड़ों रुपये की बचत मंत्री जी और इस डिपार्टमेंट की होगी। जो भी ब्रिक भट्ठे से खरीदते हैं, नजदीक से न खरीद कर, दस-दस किलोमीटर दूर से ली जाती हैं। इस तरह से मुहकमे को क्षति पहुंचती है। वह रोकी जा सकती है। मंत्री जी आदेश दें और जांच करवाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो भी कार्य ट्यूबवेल या गूलों के निर्माण का हो रहा है, खुली छूट है, बिकने की। मैं कितनी ही बार माननीय मंत्री जी को लिख भी चुका, जिलाधीश को लिखा। महान दुख है कि आज तक किसी तरह की कार्यवाही नहीं की गयी। करेनी इंस्पेक्शन हाउस पर ८० कारूगेटेड शीट्स बेच दी गयी। जांच हुई। ए० डी० एम० पी० ने जांच की और स्पष्ट पता चला। आज तक कोई समुचित कार्यवाही नहीं हुई। उन अधिकारियों के विरुद्ध। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इसमें वह थोड़ा सा ध्यान देने की कृपा करें और देखें। जब मंत्री जी बिलसी तशरीफ ले गये थे तो मैंने शिकायत की थी। तो माननीय मंत्री जी ने कटाक्ष करके शायद कहा कि इस नाम का कानपुर का जूनियर इंजीनियर बड़ा बेईमान है, उस नाम की शिकायत की गयी थी। मुझे महान दुख हुआ। मैंने मंत्री जी को लिखा भी। मैं स्वयं इस तरह से कह चुका हूं। आप को याद दिला चुका हूं। इस तरह की तमाम अनियमितताएं, बेईमानियां खुले आम हो रही हैं। फिर आप के जैसे कर्मठ, ईमानदार व्यक्ति जिसको सम्पूर्ण हाउस ने बताया, आप बड़े ईमानदार हैं, बड़े कर्मठ हैं और उनके बाद अगर यह बेईमानी आपके संरक्षण में पलें, आपके विभाग में पलें, तो यह महान दुख की बात है। मंत्री जी उस तरफ ध्यान देने की कृपा करेंगे। वह देखें कि मेरे यहां खंड दो में, जो मेरे क्षेत्र में पड़ता है उसमें लूट हो रही है कोई कार्य नहीं हो रहा है। दस बोरी ठेकेदार को दी जाती हैं सीमेंट की तो एक बोरी, जैसा कि मुरादाबाद में हिसाब है, डिपार्टमेंट को छोड़ देंगे। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे मेरे दिये गये सुझावों पर ध्यान दें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि ....

श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

पूर्वान्चल के बजट में जिस तरह से भेदभाव किया गया है उसी प्रकार से यहां पर उधर के माननीय सदस्यों के साथ किया जा रहा है, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। मैं अपनी बात २ मिनट में समाप्त कर दूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

समय नहीं है ।

श्री हरि केवल प्रसाद--

मान्यवर, इतने समय में तो मैं अपनी एक बात समाप्त कर लेता । जिस मुख्य अभियन्ता ने प्रदेश की जनता पार्टी का मुख धूमिल कर दिया है कि जो बजट था उसको खर्च नहीं किया । उसके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये । दूसरी बात यह है कि इस विभाग में कोई कायदा कानून नहीं है । १० हजार रुपया लेने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है और जो एक रुपया ले लेता है उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है । मैं कहता हूं कि अगर कोई भी घटना होती है तो ३ महीना उसके निस्तारण में लग जाता है ।

श्री बाबू सिंह (जिला अलीगढ़)--

मुझे भी एक मिनट का अवसर प्रदान कर दें । मेरे सामने तो लाल बत्ती और लाल टोपी दोनों ही है ।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने मेरे कटौती के प्रस्ताव पर बहस में हिस्सा लिया उनका आभारी हूं । मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा केवल २-३ बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । ३०० करोड़ से ज्यादा का बजट माननीय मंत्री जी ले रहे हैं और वह इस माननीय सदन से स्वीकृत भी हो जायेगा, लेकिन मुझे सन्देह हो गया है कि वह खर्च भी कर पायेंगे या नहीं । क्योंकि इस समय इस्तीफों की प्रक्रिया निकल चुकी है । बिग फाइव के लीडर ने इस्तीफा दे दिया है ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर और शोर करने पर) मैं एक्जीक्यूटिव और पार्लियामेंटरी बोर्ड की बात कर रहा हूं ।

अब मैं ३-४ बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । आप इस बात पर सोचें कि आखिर मुख्य अभियन्ता आपके विभाग के चीफ स्कैंडल वाले आफीसर्स को क्यों सपोर्ट करते हैं । ८५ हजार के एक्सेस पेमेन्ट गुलाम हुसैन ठेकेदार, २४ लखीमपुर को कर दिया । १० हजार रुपया रेत के एक्सेस पेमेन्ट में और ७४ हजार रुपया बजरी में । आप इस बात पर भी विचार करें । पूरे सदन का यह मत था कि नलकूप विभाग को अलग किया जाय और उसका मुख्य अभियन्ता अलग से रखा जावे जिससे यह विभाग सही तरीके से काम कर सके । आप अपने विभाग के ही आंकड़ों को देखें तो ज्ञात होगा कि १० हजार पहले नलकूप थे और १५ हजार हो गये हैं । आप १९७१ में देखें कि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता मेकेनिकल २ थे और २ सिविल में थे और उस वक्त सिविल में २ ही थे । वर्ष १९७१ में ११ अधीक्षण अभियन्ता थे मेकेनिकल में लेकिन वर्ष १९७७-७८ में २१ हो गये यानी ड्योढ़ी तादाद हो गयी ।

अब आप अधिशासी अभियन्ताओं को ले लें । ये मेकेनिकल में वर्ष १९७१ में ८६ थे जो वर्ष १९७७-७८ में बढ़ कर ११० हो गये । सिविल में २२१ अधिशासी अभियन्ता थे जो बढ़ कर वर्ष १९७७-७८ में ४५३ हो गये, इनमें भी १०० प्रतिशत की वृद्धि हो गयी जबकि मेकेनिकल में २५ प्रतिशत वृद्धि हुयी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सहायक अभियन्ताओं का जहां तक प्रश्न है वे वर्ष १९७१ में ३८५ थे मेकेनिकल साइड में, जो बढ़ कर ४८० हो गये अर्थात् २५ प्रतिशत की वृद्धि हो गयी। जबकि सिविल साइड में वर्ष १९७१ में वे १,०२८ थे तो वर्ष १९७७-७८ में वे १९७९ हो गये अर्थात उनमें ९० प्रतिशत की वृद्धि हो गयी। आपके सिविल विभाग के जो अधिकारी हैं वे मेकेनिकल विभाग के ऊपर बड़े हावी हैं और यही कारण है कि ट्यूबवेल विभाग ठीक ढंग से काम नहीं कर सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप ट्यूबवेल विभाग का अलग से कन्ट्रोल कीजिए।

अब मैं ३-४ सुझाव देकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। इस समय आपकी एक डिवीजन में ४५० से ५०० ट्यूबवेल आते हैं। इनकी संख्या अधिक से अधिक ३०० होनी चाहिये। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि आपके विभाग में जो रेवेन्यू विभाग है उसकी ओर माननीय मंत्री जी ध्यान दें। उनकी तन्ख्वाहों की ओर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरा सुझाव मेरा यह है कि साइट पर रजिस्टर या जो आर्डर बुक होती है वह रखी जाय और उसकी रेग्युलर चेकिंग होनी चाहिये जो वहां पर काम होता है। आज आपके मुहकमें में ५० लाख रुपये के केसेज कोर्ट में चल रहे हैं, ठेकेदारों के केसेज, जो अधिकारियों को मांगों को पूरी न करने के कारण कोर्ट में चले गये। आपको सम्बन्धित अधिकारियों की रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स करनी चाहिये क्योंकि अगर वे कोर्ट में केसेज जीत जाते हैं तो क्या होगा ?

अब एक बात आपसे और कहना चाहता हूं टी० ए० बिल्स के बारे में। आपके बरेली के दफ्तर में एक बाबू हैं, लेकिन वे एक-एक महीने में ७२० रुपये तक के टी० ए० बिल्स बनाते हैं जबकि लखनऊ और बरेली का फासला जितना है उसका किराया १० रुपया होता है। मालूम नहीं कि कौनसी शक्ल में वह ७२५ रुपये के टी० ए० बिल्स बनाता है और वे एप्रूव हो कर मंजूर भी हो गये हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप इन फर्जी टी० ए० बिल्स को बन्द कीजिए, इस ओर विशेष ध्यान दीजिए।

एक मई से आपके विभाग के ६ हजार डिप्लोमा इंजीनियर्स की हड़ताल की आशंका है। ये लोग सारे काम की रीढ़ होते हैं क्योंकि इनको फील्ड पर काम करना होता है। इसलिए अगर ये पहली मई से हड़ताल पर जाते हैं तो जो बजट आप मांग रहे हैं, वह सब तहस नहस हो जायेगा। उनकी जितनी भी मांगें हैं, जो अभी तक आप तक भी पहुंच गयी हैं, उचित हैं, उनमें कोई भी अनुचित नहीं है। आप उनको बुलाकर उस मामले का समाधान करें ताकि उनकी मांगें पूरी हों और जो प्रदेश में संकट आने वाला है, वह टले।

हैवी मशीन का जहां तक ताल्लुक है आपके विभाग में २५ करोड़ रुपये की लागत की वर्ष १९६५ से पड़ी हुई हैं, उसके लिए ५० लाख रुपये के स्पेयर पार्ट्स भी आये हुये पड़े हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है और विभाग में जो काम है वह ठेकेदारों के जरिए से कराया जा रहा है। आपके पास इम्पोर्टेड मशीनें हैं, लेकिन फिर भी ठेकेदारों के जरिए से काम कराया जा रहा है। एक बार फिर माननीय मंत्री जी, जैसा कि आपके अन्दर माननीय सदस्यों ने विश्वास प्रकट किया है और जिसके साथ यह माननीय सदन आपका ३०० करोड़ से

[श्री रियासत हुसैन—]

ज्यादा की रकम की स्वीकृति दे रहा है, मैंने पिछले साल भी एक शिकायत की थी कि जब बजट का सेशन चल रहा था तो मैंने अपनी तकरीर में यह बात कही थी कि ३१ मार्च तक सर्फ में आप इतनी बड़ी रकम नहीं ला सके, फरजी तौर से मस्टर रोल भर करके रुपया सरेंडर करना पड़ेगा, अब फिर चेतावनी देना चाहता हूं कि ३०० करोड़ से ऊपर की रकम ३१ मार्च तक सही तरीके से ईमानदारी के साथ प्रदेश के इंटेरेस्ट में सिंचाई की योजनाओं को चलाने के लिए अगर अधिकारीगण खर्च कर दें, यह आशा करते हुए कि आपके नेतृत्व में यह संभव होगा, इसको समझ कर फिर मांग करता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि मालूम नहीं क्या सियासी हालात पैदा होंगे। इसलिए कटौती के प्रस्ताव को फिर एक बार पेश करता हूं।

एक सदस्य—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा नाम लिस्ट में था और डेढ़ बजे आपका उत्तर आ गया कि आपको बुलवाया जायेगा, इस पर भी मुझे अवसर नहीं दिया गया।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठ जायं, माननीय सदस्य समय के अभाव के कारण नहीं बोल सकते।

*श्री बलवीर सिंह (सिंचाई मंत्री)—

अधिष्ठाता महोदय, कल से यह बहस शुरू हुई और अब इसका अन्त होने जा रहा है। काफी माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। बहुत अच्छे कीमती सुझाव दिये। इनमें से कुछ ऐसे हैं कि जिन पर पूरी गम्भीरता से विचार किया जायेगा। जो बाकी हैं उन पर भी विचार जारी रहेगा। जिन माननीय सदस्यों के सुझाव आये हैं और जिन माननीय सदस्यों ने डिबेट में हिस्सा लिया है, उन सब का मैं आभारी हूं।

मान्यवर, सुझाव बहुत सारे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, समय का अभाव है। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए, जो सुझाव मान्यवर, आये हैं, उन का मैंने अलग-अलग वर्गीकरण किया है। क्योंकि एक ही बात, एक ही सुझाव और जो बहुत बहुमूल्य सुझाव हैं। यह कई-कई माननीय सदस्यों ने उनपर रोशनी डाली है और चाहा है कि उनका जवाब दिया जाय।

मान्यवर, तदर्थ नियुक्तियों की बात कही गयी है। मैंने पिछले साल घोषणा की थी असिस्टेंट इंजीनियर्स के संबंध में कि ऐड-हाक नियुक्तियां सिंचाई विभाग में आइंदा नहीं होंगी। कुछ माननीय सदस्यों ने, इधर मेरे पास बैठे थे, यह कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, विभाग चल ही नहीं सकता बिना एड-हाक नियक्तियों के। मैंने इधर बैठे हुये साथियों से कहा कि शायद हो जाय, हम इसका प्रयास करेंगे। तो मान्यवर, मैं सूचना देना चाहता हूं कि वह तदर्थ नियुक्तियां तो बन्द कर दी गयीं, नहीं हुई हैं। लेकिन जो अबतक हो चुकी थीं, उनका क्या किया जाय? तय यह किया था कि पब्लिक सर्विस कमीशन से उनको अप्रूव कराया जाय। लेकिन उसमें भी देखा कि दिक्कतें पैदा होंगी, क्योंकि १०-१०, १२-१२

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साल से वे लोग नियुक्त है, कम्पटीशन होगा, वहां रिटिन टेस्ट भी होगा, इम्तहान भी होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो उन लोगों को ऐसा लगा कि जितने हम हैं, हमारा चांस या तो किसी का होगा ही नहीं या उसमें आने का चुने जाने का बहुत कम होगा, क्योंकि नये लोग जो आयेंगे, लिखने-पढ़ने की योग्यता का जहां तक संबंध है, उस संबंध में उनकी योग्यता ज्यादा होगी, क्योंकि वह यूनिवर्सिटी से आयेंगे, इसलिये हम पीछे रह जायेंगे। तो मान्यवर, इस पर फिर विचार हुआ। मैंने बराबर इस बात पर जोर दिया कि इन लोगों को, इस तरह के जो लोग हैं, उनको रेगुलर कर दिया जाय बगैर पब्लिक सर्विस कमीशन में भेजे या इम्तहान लिये। मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि यह सवाल बार-बार उठाया गया है, माननीय सदस्यों को शायद इसकी जानकारी नहीं है। तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि शासन ने यह निर्णय ले लिया है, यह जी० ओ० है मेरे पास। इस संबंध में बात चलते-चलते, मामला यहां तक पहुंचा कि सिर्फ असिस्टेंट इंजीनियर की ही नहीं बल्कि जितने भी तदर्थ नियुक्ति वाले एड्हाक एप्वाइंटमेंट हुए हैं, किसी भी विभाग में, कहीं भी हुए हैं, तो यह शासन ने निर्णय ले लिया है। इसका मैं थोड़ा सा भाग अगर आप इजाजत दें तो पढ़कर सुना देना चाहता हूं। "जो भी कर्मचारी १-१-७७ से पूर्व किसी पद पर नियुक्ति हुए हों और तब से निरंतर सेवारत हों (चाहे वे पद लोक सेवा आयोग की परिधि में हों अथवा उसके बाहर), उन सभी को जैसे-जैसे उनके सेवाकाल के ३ वर्ष पूरे होते जायं, नियमितीकरण की कार्यवाही की जाय। इस कार्यवाही के अन्तर्गत केवल जो व्यक्ति अर्हता, चरित्र-पंजिका एवं कार्य के अधार पर उपयुक्त हों तथा जिनका कार्य अच्छा रहा हो, उन्हें नियमित कर दिया जाय, जो अनुपयुक्त पाए जायं, उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जायं। उपरोक्तानुसार नियमितीकरण हेतु आयोग की परिधि में आने वाले पदों एवं आयोग की परिधि से बाहर वाले पदों के संबंध में दो नियमावलियां भी बनाई जा रही हैं और उन्हीं के प्राविधानों के अनुसार नियमितीकरण की कायवाही की जायगी।" थोड़ा सा और इसका हिस्सा है। उनका क्या होगा जो १-१-७७ के बाद आयेंगे। "१-१-७७ तथा उसके बाद की गयी तदर्थ नियुक्तियों से संबंधित पदों पर नियमित चयन प्रत्येक मामले में ३० जून, १९७८ तक अवश्य करा लिया जाय" १-१-७७ तथा उसके बाद की गयी तदर्थ नियुक्तियों से सम्बन्धित पदों पर जो १-१-७७ के बाद में लिये गये हैं, उनके लिए इसमें नहीं आया है। लेकिन उनके लिए प्राविधान कर दिया गया है। उसके बाद की गयी तदर्थ नियुक्तियों पर, सम्बन्धित पदों पर, नियमित चयन प्रत्येक मामले में ३० जून, १९७८ तक करा लिया जायगा। तो वह लोग सब हो जायेंगे और इन इंजीनियरों की बदौलत जितने एड्हाक लोग इस प्रदेश में थे, उन सब का भला हुआ है। तो यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आगे किसी भी विभाग में यह इसमें सलाह दी गयी है कि ऐडहाक नियुक्ति न की जाय और अगर बहुत जरूरी है, तो उनको एक साल के अन्दर रेगुलर कर दिया जाय। अब यह आप कह सकते हैं कि ये लोग करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे, आपको देखना है, सिर्फ इन लोगों के लिए या कुछ आने वालों के लिए, असिस्टेंट इंजीनियरों का तो हमने करके दिखा दिया है, हम बिलकुल नहीं लेंगे। तो यह जो एक प्रश्न था उसके सम्बन्ध में मैंने सदन को जानकारी दी।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं अगर आपकी आज्ञा हो ।

मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो आपने बताया कि ३ वर्ष में पूरे तरह से नियमित रूप से स्थायीकरण हो जायगा । तो इससे क्या यह नतीजा नहीं निकलेगा कि जो लोग पहले एडहाक रूप से लिये गये हैं वह लोग इन लोगों से पिछड़ जायेंगे जो कि आज आप नियुक्त कर रहे हैं ? तो क्या इसका भी ख्याल रखा है ?

श्री बलबीर सिंह--

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि ३ साल में हो जायेंगे । मैंने सिर्फ यह कहा है कि ३ साल पूरे होते जायगे और इनको रेगुलर करते चले जायेंगे । कोई दिक्कत नहीं है । पहले से भी है । रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनको देखें तीन साल के बाद अगर रिकार्ड खराब नहीं है तो कर दिये जाते हैं ।

इसके बाद दूसरी बात कही गई है, सनवाल कमेटी के बारे में । माननीय सदन में कई दफे इसके बारे में बता चुका हूं कि यह कमेटी गठित की गयी थी उस कमेटी की एक रिपोर्ट आई है । जो पहले मंत्रि मंडल था, कांग्रेस का उन्होंने उस पर विचार करने के लिये एक कैबिनेट की सब कमेटी बनाई । मुझे जानकारी नहीं है कि उन्होंने कुछ विचार किया था या नहीं ? लेकिन अब फिर यह सवाल हमारे सामने आया तो माननीय मुख्य मंत्री ने इसकी एक सब कमेटी का गठन कर दिया है । जहां तक मेरी जानकारी है इस कमेटी की दो तीन मीटिंग्स हो चुकी हैं । तो इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार होगा क्योंकि मेरा तो व्यक्तिगत विचार है कि जो लोग सर्विस में है उनकी तन्ख्वाह निश्चित होनी चाहिये । उनका ग्रेड निश्चित होना चाहिये । इसी प्रकार से शायद उन्होंने कुछ तैयार किया है इसी सम्बन्ध में तो उस पर विचार किया जा रहा है ।

दूसरी बात यह है कि स्थाई पदों के लिये सीधे भर्ती डी० श्रेणी से हो या टी श्रेणी से हो या पी श्रेणी से हो ? तो यह शब्द समझने में जरा मुश्किल हैं । इनका टेक्निकल अर्थ यह है, डी० जो इंजीनियर डाइरेक्ट आते हैं, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये इंटरव्यू से आते हैं । टी० उस सम्बन्ध में है कि जो टेम्परेरी लोग लिये जाते हैं, एडहाक बेसिस पर । तीसरा पी० है, पी० का मतलब प्रमोटेड है, जूनियर इंजीनियर से जो लोग प्रमोट होते हैं । तो इनमें बराबर युद्ध हो रहा है क्योंकि अपने-अपने स्वार्थ का मामला है । तो इसमें बड़ा कंपलीकेशन चल रहा है, लेकिन जहां तक यह सवाल पूछा गया तो इसमें जब डी० टी० में झगड़ा हुआ कि कितने लोग लिये जायं, वरीयता के आधार पर लिये जायं या सर्विस के आधार पर लिये जांय । तो मुकदमें बाजी शुरू हो गयी और हाई कोर्ट में चले गये सुप्रीमकोर्ट में मामला पेंडिंग है । बार-बार वह मेरे पास आये मैंने समझाने की कोशिश की आप जिस तरह से चाहें मामला रखें में मामले को निपटाना चाहता हूं आप अपनी अपील वापस ले लीजिये । लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं । दूसरा आपने महाराष्ट्र के हाई कोर्ट के जजमेंट की बात कही जो जस्टिस पटवर्धन का है । तो यह जजमेंट जो टेम्पोरेरी हैं उनके हक में जाती है । तो ये लोग पुराने हैं और कहते हैं कि उस जजमेंट में यह होल्ड किया गया है इसको मानें । हमने उधर ध्यान दिया । लेकिन इसमें ला डिपार्टमेंट की राय लेनी जरूरी होगी आया कि जो फैक्ट्स हैं, वाक्यात

हैं जिनके बिना पर यह किया गया है, वह चीज इस में लागू होती है या नहीं, केवल वे ही फैक्ट्स हैं या दूसरे हैं। तो ला डिपार्टमेंट को रेफर किया हुआ है। और इस मामले में जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला न हो या यहां के ला डिपार्टमेंट से ऐसी कोई रिपोर्ट न मिल जाय जिसके सहारे हम काम कर सके इस दिशा में हम काम करने में असमर्थ हैं।

स्थानान्तरण के बारे में कहा गया कि निश्चित कर दें, विधायक महोदय ने कहा। वह नीति तो है। नीति में कोई झगड़ा नहीं है। तीन साल जूनियर इंजीनियर के लिए, तीन साल सहायक अभियन्ता के लिए, ४ साल अधिशासी अभियन्ता के लिए और पांच साल अधीक्षण अभियन्ता के लिए, लेकिन सर्किल में कितने दिन, खण्ड में कितने दिन, इस प्रकार की स्थिति है, इसमें किसी न किसी तरह रिलेक्सेशन आ जाता है। मैं थोड़ा सा इधर देख रहा हूं।

मान्यवर, अब है कार्य प्रभारित कर्मचारी नियमित अधिष्ठान में लिये जायं, वर्क चार्ज के बारे में। मान्यवर, कार्य प्रभारित अधिष्ठान की सेवा नियमावली नहीं बनी आज तक। फिर मैं दोष किसी को नहीं देना चाहता, क्यों नहीं थी। लेकिन अब मैं आप को सूचना देना चाहता हूं कि इसमें इनको नियमित अधिष्ठान में नियुक्त करने तथा कतिपय सेवा सम्बन्धी मामलों का समुचित प्राविधान किया गया है और यह सेवा नियमावली तैयार हो चुकी है। इसको लागू होने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे।

मान्यवर, इसके बाद अब....

(श्री हरी सिंह के खड़े होकर कुछ कहने पर)

आपकी आदत है हरी सिंह जी, आपने पूछ ही लिया, वह मेरे कहने से रह गया था इसमें यह भी है कि जो रिजर्वेशन हरिजनों का है उसका ख्याल रखा जाय अन्यथा उनके लिए खाली जगह छोड़ दी जाय। उसमें है। मान्यवर, एक सवाल पैदा होता है....

श्री श्यामधर मिश्र--

हरी सिंह जी को चीफ इंजीनियर बना दीजिए।

श्री बलबीर सिंह--

हमारे देश का उद्धार हो जायगा।

अब मान्यवर, एक अहम सवाल है नहरों की पटरियों के बारे में। नहरों की पटरियां पक्की कर दी जायं। मैं शायद पहले बता चुका हूं। सन् ७० में मैंने यह फैसला लिया था कि जहां कहीं जनता चाहे वह दरख्वास्त शासन को दे दें वे पटरियां पक्की होनी चाहिए बिल्कुल उसको मंजूरी दे दी जायगी, लेकिन दरख्वास्त नहीं आई। इस दफे इसलिए यह फैसला लिया है, मैं पहले न बता सका माननीय सदन को मौका आया ही नहीं, कि सिंचाई विभाग ने तो अपनी सारी सम्पत्ति आप को दे दी है, जनता को दे दी है और सरकार ने फैसला ले लिया है कि इसको पी० डब्लू० डी० पक्की बना देगा। लिहाजा इस बजट में शायद आपने देखा होगा, जहां तक मेरी जानकारी है, माफ करिये मैं गलत हो सकता हूं, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मेरा ख्याल है कि प्राविधान है, लेकिन उसे करेगा

[श्री बलवीर सिंह—]

पी० डब्लू० डी० डिपार्टमेंट । मगर जहां कहीं कुछ योजना बनती है, आप भी जानते हैं, वहां जहां सामान ले जाना है, कुछ हटाना है, सड़क का प्राविधान है, वह हम बनाते रहेंगे लेकिन इसमें नहीं है । तो इस तरह का फैसला हो चुका है । इससे बहुत ज्यादा जनता का लाभ होगा इसमें दो राय नही है ।

मान्यवर, नहर के और नलकूप के कमान्ड की बात कही गयी है । यह बात महत्वपूर्ण है । नीति का सवाल है । हमने इस नीति को क्रांतिकारी मोड़ दिया है क्योंकि जहां नहरों का कमान्ड था वहां उनकी हुकूमत थी, चाहे नहरे चलते-चलते रुट लेवेल तक पहुंच गयी हों, फसलें बरबाद हो गयी हों लेकिन नलकूप नहीं लगाये गये चूंकि कमान्ड नहरों का है । इसी तरह जहां ट्यूबवेल हैं वह चलते-चलते नीचे का पानी समाप्त हो गया हो, पीने तक का पानी न रहा हो, लेकिन वह चलेंगे जैसे बनारस, आगरा, मेरठ और मुजफ्फरनगर में । इसलिये यह कहां की पालिसी है ? इसलिये जबतक मिलीजुली बात नहीं होगी तबतक ऐसा ही होता रहेगा । हमने फैसला ले लिया है कि दोनों चीजें लगायेंगे और इस तरह से प्रदेश की जनता को तकलीफ नहीं होगी । सीपेज में फर्क नहीं पड़ेगा, वाटर लागिंग में भी फायदा होगा । बरसात के पानी को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन जो सीपेज से वाटर लागिंग हो जाती है उसमें कुछ न कुछ फायदा अवश्य होगा ।

श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, कमान्ड एरिया के मामले में आमतौर पर नलकूप के विषय में कहा जाता है कि ३००-४०० एकड़ समतल जमीन मिलेगी तो वहां लगायेंगे । हमने और अन्य विधायकों ने राय जाहिर किया था कि उसको घटाकर १५० एकड़ कर दिया जाय । जहां समतल एरिया है और नदी नाले हैं वहां वह नहीं मिल पाता इसीलिये नहरें और ट्यूबवेल वहां नहीं लगाये जाते । इसलिये उसको क्या कम करने जा रहे हैं ?

श्री बलवीर सिंह—

मान्यवर, जो आपने सवाल पूछा है, वैसे भाषणों में कई माननीय सदस्यों ने यह बात कही है और हमने इस पर विचार किया है क्योंकि ट्यूबवेल ज्यादा लग न पाये और अब लगा नहीं सकते हैं क्योंकि बिजली की कमी है । जैसे-जैसे बिजली बढ़ेगी वैसे-वैसे हम बढ़ाते जायेंगे । हमने प्रयास किया था और ट्यूबवेल विभाग ने एक प्लान बनाया है जिसको सेन्ट्रल को भेजा है जिसमें मांग की गयी है कि कम से कम १० हजार ट्यूबवेल लगाने के लिये हमको सहायता वर्ल्ड बैंक से दिलाई जाय । इसमें काफी प्रगति हो चुकी है लेकिन हमारे सामने कुछ रुकावटें हैं और साधन लिमिटेड है इसके वजह से नहीं । इस पर हम गम्भीरता से विचार कर रहे हैं । बहुत बड़ा कमान्ड है यदि उसमें एश्योर्ड इरीगेशन नहीं दे सकते हैं तो ठीक नहीं है । मान्यवर, उन्नाव में नहरों का पानी टेल पर नहीं पहुंचता है । यह शिकायत हमको मिली है । इसलिये जब हम टेल पर पानी नहीं दे सकते हैं और एश्योर्ड इरीगेशन नहीं दे सकते हैं, तो ट्यूबवेल यह कह कर नहीं लगा सकते कि जब कमान्ड हो तो वहां लगायेंगे । लेकिन वहां नहीं लगाते हैं । यदि आप विचार करेंगे तो सिंचाई विभाग के मामलों में यह क्रांतिकारी कदम है ।

मान्यवर, बाढ़ की समस्या के बारे में मैं कह रहा था, तो बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, मथुरा और आगरा में पहले, गया था तो वहां देखा है कि बलिया देवरिया और गोरखपुर में जमीन कट-कट कर गिर रही है । समस्या गम्भीर है

है इसलिये इस पर विचार किया गया है। बाढ़ को रोकने के लिये इस साल काफी मेहनत करना पड़ा है। इस समस्या के लिये सेन्ट्रल में गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पटना गया वहां के सिंचाई मन्त्री से बात करन के लिये, तो वहां राज्य मंत्री मिल पाये। यह बाढ़ पूर्व में ज्यादा आती है इसलिये जब तक वहां के बांध जैसे छितौनी बांध या दूसरे बांध जो हैं उनको जब तक मजबूत नहीं बनायेंगे तबतक इस समस्या का हल नहीं होगा। इसमें कुछ बांध बिहार में पड़ते हैं और कुछ बांध उत्तर प्रदेश में। कुछ क्षेत्र जैसे २०० या ४०० मीटर इधर या उधर रह गया है तो वह न तो हम बनाते हैं और न वह जिसका नतीजा होता है कि बांध टूटते रहते हैं। इसलिये हमने इसमें बिहार के इंजीनियरों से और अपने इंजीनियरों से कहा है कि इस मामले में ध्यान दें। हम जून तक इसकी व्यवस्था करा देंगे। बाढ़ के लिये जो रकम है वह बहुत कम है इसलिये ज्यादा इसमें काम नहीं हो पायेगा। मान्यवर, कल हमने बताया था कि ७० करोड़ रुपया बाढ़ में और २०० करोड़ रुपया दूसरे मामलों में है। आगरा और मथुरा जिले में मैं गया था। वहां अजीब समस्या है। हमें हरियाणा से शिकायत है कि एक तरफ तो वह सिंचाई के लिये पानी नहीं लेने देते और दूसरी तरफ जब ज्यादा पानी हो जाता है तो इधर आने देते हैं। इसलिये इस पर भी हम सोच रहे हैं। कान्फेरेन्स करते हैं तो चाहे उसमें बाढ़ कमीशन हो या सेन्ट्रल का कमीशन, लेकिन वह गैर हाजिर हो जाते हैं।

श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

आपने पिछली बार आश्वासन दिया था कि इस विषय में हरियाणा से इसी साल ले लेंगे। आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री बलवीर सिंह—

मथुरा में हमने हाथी जी को बुलाया जो कन्ट्रोल बोर्ड के प्रेसीडेंट हैं। उनको स्थिति दिखलायी। उन्होंने फौरन राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को बुलाया। लेकिन वह नहीं आये। न राजस्थान वाले आये और न हरियाणा वाले। हमारी जो गोवर्धन ड्रेन है उसकी एक कैपेसिटी है। टेक्नीकली वह गलत बनी हुई है। हजार क्युजक पानी ज्यादा से ज्यादा लिया जा सकता है। उसमें हमारा पानी भी शामिल है। वैसे पहले से हमारा कंट्रेक्ट था कि ८४० क्युजक पानी कुल लेंगे। ६४० राजस्थान का और २०० हरियाणा का। लेकिन वह २५००-२५०० क्युजेक पानी ढकेल देते हैं और नतीजा यह होता है कि यह ड्रेन टूट जाती है और फिर हमारे यहां बर्बादी होती है। मैं कह रहा था वह लोग नहीं आये। उनके अधिकारी आये। उनके सामने फैसला हुआ। अध्यक्ष ने फैसला दिया और राइटिंग में मौजूद है कि ८४० से ज्यादा पानी नहीं लेंगे। दूसरे, अगर आप नक्शा जानते हों तो लाल सिंह साइड में से पानी आता है। उधर का पानी हम बिल्कुल नहीं लेंगे। उसको बन्द कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा १०० क्युजक तो ले लीजिये। हमने रजामंदी दे दी। उन्होंने यह भी फैसला कर दिया और उसको उनके अधिकारियों ने माना कि हरियाणा अपने लिए एक अलग ड्रेन बना लेगा। जमुना उनके पास है लेकिन वह उसमें ले जाकर नहीं डालना चाहते। हमसे कहते हैं कि हम ले जाकर डालें। ताजेवाला में ७३-७४ में जहां तक मुझे याद है एग्रीमेंट हो गया था। लेकिन ऐसा है कि ज्यादा

[श्री बलबीर सिंह--]

पानी यानी दो बटा तीन इनको मिला और एक बटा तीन उनको मिला है। उस पर कंट्रोल उनका है। उन्होंने ऐसा मुंह बना दिया है कि पानी हमारी तरफ आता नहीं। फिर वह लाठी लेकर तैयार रहते हैं कि पानी न ले सकें। अच्छा हुआ हाथी साहब यहां आ गये। वह आए किसी और काम से थे। हमें जो रिपोर्ट मिलती थीं हम उसकी सूचना देते रहते थे। हमें डर था कि हमारे बांध को वह काटेंगे। हमने पी० ए० सी० का इंतजाम किया क्योंकि हमें पता चला कि वह काटने का इरादा रखते हैं। हाथी जी आये थे तो उनसे कहा। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को टेलीफोन किया। तब जाकर वह बरसात बचा पाये। लेकिन मैं हरियाणा से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पानी का हिस्सा हम दें और अपनी ड्रेन बना लें। पिछली बार क्या हुआ कि ८४० की बजाय दो हजार, ढाई हजार, तीन हजार क्युजक पानी इस ड्रेन में खारिज किया। हमारी तो नींदें खराब हो जाती हैं और वह मजा मार रहे हैं। हरियाणा से निवेदन करना चाहता हूं कि मिल कर बात कर लें। या तो वह इस समस्या को सुलझायें या फिर हम ८४० से ज्यादा पानी नहीं लेंगे। हमारे इंजीनियर्स को वह दबा लेते हैं। सेन्टर से भी आदेश आ जाते हैं।

श्री श्याम धर मिश्र--

हरी सिंह जी को वहां भेज दीजिये।

श्री बलबीर सिंह--

प्रेस के लोग हमारी सहायता करें। जो लोग कान्फ्रेंस में ही नहीं आते हैं उनके लिये क्या किया जाय। वहां भी जनता पार्टी की सरकार है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त (जिला मथुरा)--

यह मथुरा और आगरा जिलों के लिये जीवन-मरण का प्रश्न है, तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन दो जिलों की जो हरियाना और राजस्थान के पानी से बरसात में डूब जाते हैं, उससे बचाने का कोई हल निकालेंगे या नहीं? वहां की सरकारें आपकी बात नहीं मान रही हैं तो उसके लिये आप क्या करने जा रहे हैं?

श्री बलबीर सिंह--

मैं यही कह रहा था कि सेन्टर की ओर से यह राय वक्त बे वक्त आ जाती है और उसे मानना पड़ता है।

श्री अधिष्ठाता--

आप कितना समय लेंगे?

श्री बलबीर सिंह--

दो घंटे और दे दीजिये। अच्छा जल्दी समाप्त कर दूंगा। श्रीमन्, जो कुछ मैंने कहा है, मौका मिलेगा तो फिर उसके बारे में कहूंगा। मैं हरियाना की बात कर रहा था। हमने मजबूती से इस बार फैसला कर लिया है कि जो फैसला हुआ है उसको उन्हें तोड़ने नहीं देंगे यानी ८४० क्यूजेक से अधिक पानी नहीं लेंगे। क्या उनके लिये एक साल में ड्रेन बनाना मुश्किल था? क्या राजस्थान के लिये २ साइफन बनाना मुश्किल था? वह लोग पानी निकालना नहीं चाहते। मैं ज्यादा

नहीं बोलूंगा । मैं मथुरा गया तो वहां देखा और हाथी साहब को भी दिखलाया, वह समुद्र लगता था । ऐसा लगता था कि हम जमीन पर नहीं चल रहे हैं, चारों ओर पानी ही पानी था । क्या इसका अन्दाजा राजस्थान और हरियाणा को नहीं होना चाहिये ? क्या उन्हें इस मामले में हमें सहयोग नहीं देना चाहिये कि यह तड़पते हुये इन्सान बच सकें ? हम मजबूती के साथ फैसले पर कायम रहना चाहते हैं और इस बार यदि केन्द्र से आदेश मिले तो मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा चाहे वह दो दिन के लिये ही हो, असेम्बली बुला ली जाय जिससे उसके द्वारा सरकार को ताकत मिल सके ।

मान्यवर, मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता । मैं तो चाहता था कि और बोलूं लेकिन इतना कहने के बाद महसूस करता हूं कि इतना अहसान माननीय रियासत जी मुझ पर करेंगे कि यह अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, केवल एक बात मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और वह यह है कि पिछली सरकार ने जो पंचनद बांध की योजना को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया था और इस पुस्तिका में भी उसका विवरण दिया हुआ है और लिखा है कि विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर चल रहा है, मेरी जानकारी यह है कि इसमें प्रगति ठीक नहीं चल रही है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसमें एक डिवीजन या सर्किल खोलकर प्रगति की जा सकती है । मैं मान्यवर, जानना चाहता हूं कि इसके बारे में सिंचाई मंत्री जी का क्या विचार है ?

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, अगर माननीय सिंचाई मंत्री जी मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच के लिये कोई इनक्वायरी कमेटी की घोषणा कर दें तो मैं अपन प्रस्ताव को वापस ले सकता हूं ।

श्री बलबीर सिंह--

मान्यवर, यह तो घोषणा सबके खिलाफ है, भ्रष्टाचार के मामले पर । लेकिन अगर माननीय रियासत साहब नहीं मानते तो वोटिंग हो जायेगी । अतः उनसे निवेदन है कि वह अपने प्रस्ताव को वापस ले लें । इससे उनका नाम हो जायेगा जैसा कि हरियाणा में भी नहीं हो सका ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैंने तो निवेदन कर दिया वापसी के सम्बन्ध में कि अगर माननीय मंत्री जी मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचारों की जांच के लिये एक हाई पावर कमेटी बना दें, तो मैं उसे वापस ले लूंगा ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने ट्यूब वेल के सम्बन्ध में कहा है कि कमांड एरिया को घटवाने के सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार कर रहा हूं । मैंने उन्हें सदन

[श्री श्याम धर मिश्र]

में भी सुना है कि ३०० एकड़ का कमान्ड एरिया ट्यूबवेल का ज्यादा है और उसको कम करने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। उस पर ठीक से तत्काल माननीय मंत्री जी विचार कर लें और विचार में देरी होती है तो उसके परिणाम यह हो सकते हैं कि जहां ३०० पर ट्यूबवेल अगल-बगल लगे हुये हैं तो जब कटाई होने लगेगी तो नतीजा क्या निकलेगा ? कम्पेक्ट एरिया २०० का नहीं बचेगा। तो उसके बारे में पूछना चाहता हूं क्योंकि पूरा एरिया २०० एकड़ का नहीं बचेगा।

(इस समय २ बजकर ५० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

दूसरी बात मैंने माननीय मंत्री जी से पूछी थी और उन्होंने उत्तर दिया था कि २८ करोड़ उन्होंने समर्पित कर दिया है। लेकिन, मान्यवर, उसमें हमारी सूचना है कि केवल १०/१२ करोड़ किया है। तो २८ करोड़ न हो तो २५/२५ करोड़ तो है। यह तो नहीं कि सिंचाई का आंकड़ा दे दिया बाढ़ का, ट्यूबवेल का, बिजली का सबका मिलाकर २८ करोड़ नहीं है। मेरी इत्तला है कि २८ करोड़ है। उसमें बाढ़ की संख्या इन्होंने नहीं जोड़ी। मैं मंत्री जी को केवल सिंचाई मंत्री नहीं समझता। मैं तो बाढ़, सभी ट्यूबवेल का मंत्री समझता हूं। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर २८ करोड़ है तो वह २८ करोड़ उसमें शामिल है कि नहीं ?

श्री बलबीर सिंह—

मान्यवर, शायद मिश्रा जी भूल गये। आपका २८ करोड़ ही कहना था। वह तो लिखा होगा। मैंने आपको बताया था कि ४१/२ करोड़ कुल है जो सरेन्डर हुआ। मैंने यह भी जानकारी दी थी कि फ्लड सेक्टर में हमको एडवांस आसिस्टेंट ७ १/२ करोड़ की और मिली। जो पहले १० करोड़ थी उसके अलावा ७ १/२ करोड़ मिली। उस ७ १/२ करोड़ में से ३ १/२ करोड़ खर्च हो गया। बचा ४ करोड़ इस ४ करोड़ में से ३ करोड़ यानी १ १/२ करोड़ इस जून तक के लिये हम खर्च कर लेंगे और १ १/२ करोड़ इस साल के अन्त तक १९७८-७९ तक खर्च कर लेंगे। आशा हमें यही है क्योंकि इस तरह की परम्परा रही है कि यह जो एडवांस दिया जाता है उसके बारे में इजाजत मिल जाती है खर्च करने के लिये क्योंकि हम अगले साल में खर्च कर लेते हैं जो हमें एडवांस दिया जाता है। इसमें अगर इजाजत मिल जाती है, तो इसमें एक करोड़ है और वे साढ़े चार करोड़, इस प्रकार से साढ़े पांच करोड़ हुआ और अगर इजाजत नहीं मिलती है, तो इसमें तीन करोड़ और जोड़ लिये जायं। यही कल भी जवाब दिया था, मुझे यही इसके विषय में सूचना है।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, . . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय मिश्र जी, अनुदान के बाद में।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, कल मैंने ट्यूबवेल का सवाल किया था।

श्री अध्यक्ष--

उससे आप संतुष्ट नहीं हैं ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैंने कमांड एरिया ३०० की बात की थी, मान्यवर, इसकी प्रोसीडिंग को आप देख लें, उसमें दिया हुआ है ।

श्री राम अधार--

मान्यवर, मेरा...

श्री अध्यक्ष--

मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा । अब मैं अनुदान को ले रहा हूं । समय नहीं है । माननीय रियासत साहब, आप प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनकी जांच के लिए एक हाई पावर कमेटी की घोषणा कर दें, तो मैं वापस ले सकता हूं ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६१-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(कुछ सदस्यों के पुनः खड़े होने पर)

अब मैंने मत लेना शुरू कर दिया है, जब मतदान शुरू हो जाता है, तो फिर कोई सदस्य बोल नहीं सकता ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६१-राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७४, २१, ८८,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न प्रस्तुत किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६२—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६२ सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३६, ६४, ६५,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८५—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८५—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,६९,६६,७२,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८६—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८६—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २५,१०,६२,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आप कृपया इस पर विचार कर लें। आपने मंत्री जी को बोलने के लिए कहा। समय दो बज तक का था, लेकिन तीन बज गये। मैंने दो प्रश्न उठाये थे जिनका उत्तर देने के लिए

मंत्री उठे भी और आधे प्रश्न का उत्तर आते ही आपने उन्हें बैठा दिया । यद्यपि मंत्री जी उसका उत्तर देना चाहते थे तो आपने उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मंत्री जी को किस रूल के अन्तर्गत रोक दिया कि अब वह उत्तर नहीं देंगे ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्यामधर जी, विवाद का यह ढंग होता है कि उसके लिए समय निश्चित है । दो बजे एक अनुदान पेश होना है । अभी तक ऐसी कोई परिपाटी नहीं रही है कि अनुदान के बाद प्रश्न किये जायं । आप तो अनुदान के बाद प्रश्नों के एक घंटा और बनाना चाहते हैं । इस पर आपने भाषण दिया, देव बहादुर जी, ने भाषण दिया मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया । यह आवश्यक नहीं है कि मंत्री जी आपके एक-एक प्रश्न का उत्तर अपने उत्तर में दें । यदि वे नहीं देते हैं तो उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता है ।

श्री श्यामधर मिश्र--

उन्हें उत्तर देना चाहिए ।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

मंत्री जी को जितने सुझाव दिये गये हैं और जो सवाल पूछे गये हैं उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है । यह तो अच्छा है कि हम गीत गाते चले जायं और मंत्री जी गीत सुनते रहें और उसका जवाब न दें ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, जो गीत आप गा सकते हैं गाते रहें और मंत्री जी अपना गीत गाते रहें । नियमावली में बहुत से नियम हैं उसके अनुसार आप दूसरा मंत्री बना सकते हैं । मैं उन्हें जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता । आप बैठ जायं ।

१९७८-७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ४-न्याय प्रशासन तथा अनुदान संख्या २२-कारागार

*न्याय मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-४ न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,३७,३०,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २२-कारागार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५,२५,४०,६०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय । मान्यवर, मैं...

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी, चूंकि समय कम है। इसलिए पहले कटौती के प्रस्ताव रख दिये जायं और माननीय सदस्यों के सुझाव आ जायं। उसके बाद आप बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, इस समय मुझे कुछ अपने विचार रखने का अवसर दे दें। बाद में चाहे आप हमें कम समय ही दे दीजिएगा और उसके अन्दर ही मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, न्याय प्रशासन के बारे में जो बात कही जा सकती है और कही जायेगी या जो कहा जाता है। वह यह कि न्याय बहुत ही देर से मिलता है। ऐसा नहीं है। न्याय की प्रक्रिया बड़ी तकनीकी है, जनसाधारण की समझ में नहीं आती। न्यायालयों के भवन बड़े ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। बैठने की जगह नहीं है। न्याय इतना विलम्बकारी है कि जल्दी न्याय नहीं मिलता। न्यायालयों की संख्या कम है। न्यायालयों की भाषा जनसाधारण की भाषा नहीं है। ये मूल आपत्तियां न्याय विभाग पर की जाती हैं। इनको मैं स्वीकार करता हूं। ये जो कमियां इंगित की जाती हैं वे गलत नहीं हैं।

यह भी कहा जायगा कि जनता पार्टी ने कहा था कि लोगों के दरवाजे पर न्याय मिलेगा, पर नहीं पहुंचा। यह प्रक्रिया अभी तक नहीं अपनायी गयी इसे मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन यह कोई एक दिन की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है यह स्थिति आई क्योंकर? स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों के प्रति भावना जागरूक हुई। अनेकानेक अधिकार कानूनों के माध्यम से समाज को दिये गये। परिणाम यह हुआ कि चेतना जाग्रत होने के कारण, अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त अधिकार न मिलने पर उनकी अधिकाधिक प्राप्त करने के लिये लोग न्यायालयों की तरफ दौड़े जिससे मुकदमों की संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि जिस रफ्तार से मुकदमों की संख्या बढ़ी उस रफ्तार से, उस संख्या में न्यायालयों की संख्या नहीं बढ़ाई गयी और मुकदमों की संख्या को देखते हुए उनको निपटाने के लिये तुलनात्मक दृष्टि से न्यायाधीशों की संख्या नहीं बढ़ाई गयी और जो पद रिक्त हुए उनको भी समय से भरा नहीं गया। जितने पद स्वीकृत थे उन पर काम करने वाले पूरे समय तक नियमित रूप से काम नहीं करते थे। हमको ब्रिटिश काल से जो भवन मिले थे उन्हीं भवनों में अधिकारी बैठते थे। स्टैन्डर्ड कोर्ट नहीं थे। बरामदों को घेर कर कुर्सी और टेबिल रख कर न्यायालय खोले गये। इस सबको मैं स्वीकार करता हूं। इसके बावजूद जो न्यायिक प्रक्रिया निर्धारित हुई वह छोटी से छोटी तथा विषम से विषम परिस्थियों में न्याय दिलाने के लिये बनाई गयी ताकि कोई किसी भी स्थिति में न्याय से वंचित न हो जाय और इसके लिये न्याय की प्रक्रिया बहुत लिबरल और न्यायप्रिय बनाई गयी। लेकिन समाज का चरित्र अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु नियमों का उल्लंघन करने के लिये बनता गया। इस तरह विलम्ब का कारण जहां प्रक्रिया है वहां प्रक्रिया से अधिक समाज का चरित्र भी है। कानून चाहे इस देश का हो या किसी भी देश का हो

यह सब जगह शब्दों द्वारा ही परिभाषित किया जाता है, लेकिन वही परिभाषित कानून ब्रिटेन में, अमेरिका में बड़ा ही सुदृढ़ और परिपक्व माना जाता है, लेकिन भारत में उसी कानून का दुरुपयोग होता है और उसे गलत कहा जाता है। इसका कारण कानून की प्रक्रिया का खराब होना नहीं है जितना कानून के प्रति आस्था और विश्वास तथा जनता की निष्ठा जिम्मेदार है।

इसी तरह से न्यायालयों को जो नकल है वह देर से मिलती है वह भी विलम्ब का कारण है। तो इन कारणों को दूर करने के लिये पिछले ९ महीनों में इस शासन काल में जो कदम उठाये गये उनको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। जैसा न्याय की प्रक्रिया विलम्बकारी है, उसी तरह कानून का निर्माण भी बिलम्बकारी है। यह कोई दुर्गुण या त्रुटि नहीं है, यह आवश्यक है, इसलिए कि कानून का जो निर्माण होता है, वह कोई आदेश नहीं, वह रोज बदली जाने वाली चीज नहीं, वह सोच-समझकर, काफी विचार मंथन के बाद बनाया जाता है और उसमें समय लगता है। जैसा मैंने कहा मुकदमों की संख्या की वृद्धि के साथ-साथ न्यायाधीशों की संख्या नहीं बढ़ाई गई। लेकिन इस सरकार के आने के बाद इस दिशा में जो कुछ सम्भव हो सकता था, सभी पग उठाए गये। इसके पहले जो मुंसिफ मैजिस्ट्रेट की परीक्षा ली गई थी, उसमें ५० मैजिस्ट्रेटों की पी० एस० सी० से मांग की गई थी। पब्लिक सर्विस कमीशन ने ५० मुंसिफ मैजिस्ट्रेटों को मंजूर किया। उसके बाद फिर १५० मुंसिफ मजिस्ट्रेटों के परीक्षा के रिजल्ट आ चुके हैं, उनका मेडिकल व पुलिस वेरीफिकेशन आदि होकर ट्रेनिंग होनी है। इसके अलावा फिर डेढ़ सौ और मुंसिफ मैजिस्ट्रेटों की परीक्षा लेने की कार्यवाही हो रही है। अर्थात् जो हमने घोषणा की थी कि ५०० मुंसिफ मैजिस्ट्रेटों की संख्या बढ़ाई जायगी, उसको पूरा करन के लिए इन ९ महीनों में शीघ्र से शीघ्र जो कदम उठाया जा सकता था, उसको उठाने का पूरा प्रयास किया गया है। इसी तरह कानपुर में २ सिविल मैजिस्ट्रेट और ५ नये मुंसिफ मैजिस्ट्रेटों के न्यायालयों का सृजन किया गया है। इसके साथ ही रिक्त पदों की भरती के बारे में जो पद समय पर भरे जाने चाहिए थे, महत्वपूर्ण पग उठाए गये हैं। यह एक ऐतिहासिक कार्य है कि पिछले ८ महीने के अन्दर शासन ने अपनी तेज गति से उच्च न्यायालय में १५ नये न्यायाधीशों को नियुक्त किया है। इतनी नियुक्तियां एक साथ कभी नहीं हुई है। ५ पद वहां और रिक्त हैं, मैं समझता हूं कि उनको भी शीघ्र भर दिया जाएगा। इससे शासन की मंशा का पता चलता है कि जनता को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए जो कुछ भी करना आवश्यक है, यह सरकार उसे अच्छी तरह और शीघ्र कर रही है। उसने इसे साबित कर दिया है कि वह जनता को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाना चाहती है।

इसके साथ ही प्रक्रिया की बात है, इसके लिए ऐडवोकेट जनरल की अध्यक्षता में सी० आर० पी० सी० में संशोधन करने के लिए एक समिति बना दी गई है। उसने अपनी संस्तुतियां भी सरकार को दे दी हैं और उसके आधार पर मंत्रि परिषद् ने भी अपनी सहमति दे दी है और अब उस सी० आर० पी० के अमेन्डमेन्ट को केन्द्र सरकार को विचार करने के लिए भेजा गया है। इसके द्वारा प्रक्रिया में इतना व्यापक संशोधन होगा कि जो मुकदमों में अधिक समय लगता है, उसकी बचत होगी। छोटे-छोटे मुकदमें जो पिछले लम्बे समय से लम्बित हैं, उनको निरस्त करने का भी विचार है। बहुत से केसेज जो लम्बी प्रक्रिया द्वारा तय होते हैं, उनको समरी ट्रायल के द्वारा तय करने की योजना है। छोटे-छोटे अपराधों को कम्पाउन्डेबुल कर देने का प्राविधान है। मैं अंदाजा लगाता हूं कि सी० आर० पी० सी० में यह प्रस्तावित संशोधन जिस दिन लागू हो जाएंगे, उस दिन से २५ प्रतिशत तक वे मुकदमें जो कई साल

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

से पेंडिंग हैं, निरस्त हो जावगे और लगभग २० प्रतिशत मुकदमों को सीधे न्यायालय में प्रवेश बन्द हो जाएगा, उनके निर्णय के लिए दूसरी प्रक्रिया निश्चित की जाएगी ।

इतना ही नहीं सी० पी० सी० दीवानी प्रक्रिया संहिता में भी संशोधन-परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही है, उसके लिए बहुत से सुझाव आए हैं । बहुत जल्दी ही उनका भी अध्ययन करने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी जो कि दीवानी प्रक्रिया संहिता में प्राप्त सुझावों के आधार पर दीवानी प्रक्रिया को कैसे सरल बनाया जाय, कैसे समयबद्ध करके मुकदमों को निपटाने में सहायक बन सके, इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनायी जायगी ।

यह जो तीव्र न्याय दिलाने की प्रक्रिया की बात की जाती है इससे जिला स्तर पर प्रदेश में कुल १४२१ जिला जज, स्पेशल जुडीशियल मैजिस्ट्रेट तक, अधिकारी हैं । कुल लम्बित मुकदमें ८ हजार हैं । प्रति व्यक्ति का औसत ५६२ मुकदमें का आता है । मुंसिफ मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति और जो प्रक्रिया का संशोधन कर रहे हैं, उसके लागू होने के बाद दोनों प्रक्रियाएं जब पूरी हो जायंगी तो निश्चित रूप से यह औसत बहुत नीचे आ जायगा । फिर मुकदमों का निपटारा निश्चित रूप से शीघ्र होगा । इसी तरह से उच्च न्यायालयों की स्थिति है । उच्च न्यायालय में इस शासन ने पिछले आठ महीनों में यह प्रगति दिखलायी है । ३० जून, १९७७ को उच्च न्यायालय में १ लाख २५ हजार ६ सौ मुकदमे थे और ३३ उच्च न्यायाधीश थे । औसत आया ३,८०३ मुकदमें प्रति न्यायाधीश तीन नयी नियुक्तियों को करने के बाद, १५ न्यायाधीशों को नियुक्त करने के बाद कुल संख्या ४८ है । मुकदमों का औसत २,६१४ प्रति न्यायाधीश आया ।

जिला स्तर पर मुकदमों का निपटारा कैसे हो, इसके सुझाव समय-समय पर देखते रहे हैं । जैसा कि हमने बतलाया मुकदमें ज्यादा, न्यायाधीश कम, प्रक्रिया में विलम्ब होना, प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाना इसके साथ ही साथ न्यायालयों के मुकदमों के कागजों को नकल न मिलना, यह भी एक कारण है विलम्ब होने का । इस कारण को दूर करने के लिए कदम उठाये गये । चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के लिए ५७ आशुलिपिक के पद सृजित किय गये । तीन सौ टाइपराइटर पिछले बजट में खरीदने के लिए स्वीकृति दी, इस बजट में तीन सौ नये हिन्दी टाइपराइटर खरीदने का प्राविधान है । इतना ही नहीं एक हजार से अधिक जिन जिला न्यायालयों में फाइलें हैं, उन फाइलों का डिस्पोजल जल्दी हो जाय प्रत्येक न्यायालय में एक अतिरिक्त अहलमद दिया जायगा, इसका प्राविधान किया गया है । उच्च न्यायालय में जिला न्यायालय में सबसे बड़ी कठिनाई है कि कापी नहीं मिली । उच्च न्यायालय में जो पेपर बुक है वह जल्दी तैयार नहीं हो पाती । इसके लिए १२ फोटो कापियर की स्वीकृति दे दी गयी है, आर्डर प्लेस कर दिया गया है । यह फोटो कापियर उच्च न्यायालय के दोनों बेंचों में और जिन जिलों में सबसे अधिक मुकदमे लगे हैं, उनको प्राथमिकता के आधार दिये जायेंगे । उसके बाद नकल लेने की समस्या समाप्त हो जायगी । नकल मिलने में विलम्ब नहीं होना चाहिए । ऐसी मैं आशा करता हूं । इसके साथ ही साथ नकल देने के लिए २२९ लिपिकों की नियुक्ति की गयी है, पद सृजित किये गये हैं, प्रतिलिपि देने के लिए और कुछ और भी पद सृजित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

मान्यवर, एक बड़ी भारी विडम्बना है, प्रजातंत्र का मूल स्तम्भ है कि न्यायाधीश जब तक न्याय देता रहेगा किसी देश में लोकतन्त्र खतरे में नहीं पड़ सकता। आपातकाल म अगर सबसे अधिक आपात हुआ है तो इस तरफ हुआ है। हमारे पास साढ़े तीन हजार स्टैन्डर्ड कोर्ट रूम उपलब्ध थे, बाकी लोग बरामदे में बैठते थे। ३०० कोर्ट रूम बनाने की स्वीकृति दी गयी है और उन पर तेजी से काम चल रहा है। हम ३० वर्षों की त्रुटियों को कितनी तेजी से दूर कर रहे हैं फिर भी यह शासन अधिक से अधिक प्रयास कर रहा है कि जल्दी से जल्दी सारी समस्याओं का निदान करें। हमने ३०० नये कोर्ट्स बनाना स्वीकार किया है और उस पर कार्य तेजी से चल रहा है। न्यायाधीश वकीलों के मकान में रहते हैं और बड़े-बड़े लोगों के मकान में रहते हैं। न्यायाधीश निष्पक्ष होते हुए भी विश्वास नहीं दिला पाते हैं कि मैं निष्पक्ष हूं। यह हमेशा अविश्वास के पात्र बने रहते हैं। जिस शासन ने निष्पक्ष न्याय का बम भरा वह उनके लिए आवास की भी व्यवस्था करेगी। इसी कारण १७० आवासीय भवन बनने की स्वीकृति दी गयी है, जिससे हमारे अधिकारी निष्पक्ष रहकर निष्पक्ष रूप से न्याय ही न दें, बल्कि समाज में विश्वास हो कि न्याय निष्पक्ष रूप से दिया जा रहा है। छोटे कर्मचारियों के लिए अभी यह व्यवस्था नहीं हो पायी है क्योंकि आर्थिक संकट है और सभी कामों में रुकावट है। चतुर्थ श्रेणी के आवासीय भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है। ३३० लाख रुपया भवन निर्माण पर खर्च किया जा रहा है।

मान्यवर, आप कोर्ट कम्पाउन्ड को देखें। वादकारी आता है, उसके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है और उसके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। न्याय विलम्ब से ही नहीं मिलता है बल्कि कष्ट से भी मिलता है। इसलिए ७ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है कोर्ट कम्पाउन्ड को डेवलप करने के लिए। लखनऊ में जो नयी बिल्डिंग बनी है वह तीन मंजिली है, उसमें २ लिफ्ट लगाने की स्वीकृति दी गयी है।

मान्यवर, लोगों को जनभाषा में न्याय मिले इसकी ओर भी मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। मुन्सिफ और मैजिस्ट्रेट के न्यायालयों में हिन्दी अनिवार्य कर दी गयी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिले के न्यायाधीश हिन्दी में निर्णय देने में दिक्कत नहीं महसूस करते हैं, उन्हें आवश्यक सुविधायें चाहिए, टाइप राइटर चाहिए और आशुलिपिक चाहिए। ९०० टाइप राइटर की मांग है। ३०० टाइप राइटर खरीदने के आर्डर प्लेस किए जा चुके हैं और ३०० की इस बजट में स्वीकृति दी जा चुकी है और ३०० यथाशीघ्र पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से वर्तमान जो स्टेनोग्राफर्स हैं, जो अंग्रेजी में आशुलिपि का कार्य करने में अभ्यस्त हैं, उनसे कहा गया है कि वे शीघ्रातिशीघ्र हिन्दी आशुलिपि सीख लें। इसी तरह से शासन ने यह घोषित किया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसलों को जो पत्रिका प्रकाशित करेगी, जो विधि की पुस्तकें हैं, वे उनको छापेंगी, उनको न केवल आर्थिक अपितु पुरस्कार देकर भी यह शासन प्रोत्साहित करेगा।

यह शासन टाइम बाउंड प्रोग्राम भी चलाना चाहता है विश्वास के साथ जो कदम उठाये हैं, उनकी घोषणा करता है अभी फरवरी में हिन्दी संस्थान द्वारा आयोजित एक विधि गोष्ठी हुयी थी उसमें यह घोषित किया था कि ३ वर्ष की अवधि में हम जिला न्यायालयों में हिन्दी को कम्पलसरी कर देंगे, लेकिन जो

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

जिला न्यायालयों से और उच्च न्यायालय से हिन्दी के प्रति आकर्षण का प्रकटीकरण हुआ है उससे इस शासन का हौसला बुलन्द हुआ है और हिन्दी की दिशा में और काम करने के लिए हमारी इच्छा प्रबल हुयी है। इसमें जो घोषणा की गयी है वह तो अपनी जगह पर है लेकिन यह पूर्ण प्रयास किया जायगा और हमारा विश्वास है कि यह सफल भी होगा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जनवरी, १९८० तक जिला न्यायालयों में हिन्दी अनिवार्य कर दी जायगी।

न्यायालयों के बारे में एक और बात कहना चाहता हूं। जो जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में वचन दिया है कि सस्ता और शीघ्र न्याय लोगों के दरवाजे तक पहुंचेगा, इसके लिए लोक न्यायालय की स्थापना का विधान हमारे विचाराधीन है। उस पर केन्द्रीय सरकार से परामर्श चल रहा है और यह लोक न्यायालय तहसीलों, ब्लाक स्तर और गांवों के स्तर पर होगा, जिसके द्वारा छोटे-छोटे मुकदमों को वे वहां जाकर सुनेगा और वहीं पर फैसला देगा। इसकी स्थापना के पूर्व इसका प्रारूप तैयार करके विधेयक बनायेंगे। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से विचार विमर्श हो रहा है। यह हमारा एक प्रयोग होगा अगर यह सफल हुआ तो इसे और अधिकार दिए जायेंगे। इसमें जुडिशियल के लोग और न्याय के जानने वाले प्रमुख लोग भी रहेंगे और न्याय पंचायतों के प्रतिनिधि भी रखे जायेंगे। आज हमारी पंचायतों में जो विश्वास बना रहना चाहिए था, वह नहीं रहा है। इसलिए दोनों के बीच एक प्रयोग आरम्भ करने जा रहे हैं, और यह छोटे-छोटे जितने भी मुकदमें होंगे, ब्लाक के स्तर पर, गांव के स्तर पर, वे सुने जायेंगे और वहीं पर निर्णय दिए जायेंगे।

जितनी न्याय की प्रमुख-प्रमुख बातें थीं उनको तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब मैं आपको कारागारों में भ्रमण करा दूं? लेकिन चूंकि समय कम है...

श्री अध्यक्ष—

आप अपनी बात संक्षेप में रखिए?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

बस केवल ५ मिनट का समय लूंगा।

श्री अध्यक्ष—

आप अपने जेल के अनुभव के आधार पर बतायें कि उनमें आप क्या-क्या सुधार करने जा रहे हैं?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि कारागारों को केवल यातनाओं का स्थल, या लोगों को समाज से अलग रखकर प्रताड़ित करने का स्थान न बनाकर बल्कि आधुनिक समाज शास्त्र के अनुसार उसको सुधार का गृह बनाया जाना चाहिए और सुधार को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जो सजीव हो, स्वच्छ हो, मानवीय व्यवहार हो। इसी को ध्यान में रख करके भोजन की व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। अब तक

जैसा आप जानते थे, दाल में हाथ डालिये तो शायद ही दो चार दाने दाल निकल आये--यह कहावत है। मैंने उचित समझा कि दाल की मात्रा बढ़ाई जाय।

एक आवाज--

कहावत है या अनुभव है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

इसलिए प्रति बन्दी जो वर्तमान में ६० ग्राम दाल मिलती थी उसको ९० ग्राम कर दिया गया है।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

पानी कितना बढ़ाया ?

श्री अध्यक्ष--

कुछ दिन के लिए मान सिंह जी को फिर भेज दिया जाय।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

एक और विशेषता बतलाऊं कि पिछले वर्षों में कृषि की भी इतनी अधिक प्रगति हुई है कारागारों में कि इतना आलू पैदा किया है कि आज जो शिकायत थी कि केवल घास-फूस दिया जाता है, तो यह निर्देश भेजा जा चुका है कि एक वक्त सब्जी में आलू दिया जाय, उसके साथ और दूसरा साग मिलाया जा सकता है, लेकिन आलू सब्जी के रूप में जरूर दिया जाय। अब खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कारागार आत्मनिर्भर है इस मामले में।

इसी तरीके से आदमी में सुधार के लिए आवश्यक है कि मन और वस्त्र साफ सुथरे हों। इसलिए वस्त्र साफ हो इसके लिए हम लोगों को अनुभव है। इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि जो अब तक प्रति बन्दी प्रति सप्ताह जाड़े के दिनों में ३० ग्राम साबुन और गर्मियों में १०० ग्राम साबुन के लिए व्यवस्था की गयी है। कोयला, जिसके अभाव में भोजन कच्चा रह जाता था, जो चीज मिल जाती थी वह भी पक नहीं पाती थी, उसकी वर्तमान मात्रा को ड्योढ़ा कर दिया गया है।

इसी तरह से स्वच्छ बनाने के लिए कारागारों में पिछले वर्ष पी०आर०ए० टाइप लेट्रीन बनाने के लिए १० लाख रुपया का प्राविधान किया गया था, इस वर्ष भी १० लाख का प्राविधान किया गया है। लेकिन उसके लिए ३० लाख का आश्वासन दिया था ताकि कारागारों में पी० आर० ए० टाइप के लेट्रीन्स बन जायं। लेकिन आर्थिक संकट के कारण उतना प्राविधान न हो सका। लेकिन पूरे कार्य-काल में सभी कारागारों में फ्लश टाइप हो जायगा, एसा मेरा विश्वास है।

इसी तरह से पेय जल की समस्या का समाधान करने के लिए १२ लाख रुपये की स्वीकृति की गयी और १६ ट्यूबवेल ऐसे कारागारों में दिये गये हैं जहां कृषि...

(व्यवधान)

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

अवश्य ही बनवायें ।

श्री अध्यक्ष—

श्याम धर जी को एक महीने के लिए जेल भेज दिया जाय, तब आपके सुझाव माने जायं ।

श्री श्याम धर मिश्र—

श्रीमन्, मैं आपके साथ रहूंगा ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इसी तरह से कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जैसा मैंने कहा कि १६ ट्यूबवेल स्वीकृत किये गये हैं । ७ ट्रेक्टरों का भी प्राविधान किया गया है । पेय जल के लिए १२ लाख का प्राविधान किया गया है । उसके साथ-साथ प्रशासन को चुस्त बनाने के लिए जो पुराने निरीक्षक थे उनके बजाय और नये निरीक्षक रखे गये हैं । जो डी० आई० जी० हैं उनको १० आकस्मिक निरीक्षण साल में करना अनिवार्य कर दिया गया है । जो रिपोर्ट आई है, सबने एक स्वर से कहा है कि कारागार की स्वच्छता पहले से बहुत अच्छी है, प्रशासन में निश्चित रूप से सुधार आया है । सारी अनियमितताएं दूर हो गयी हैं, यह मैं नहीं कहता, लेकिन सुधार आया है, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं ।

एक बात और विश्वास के साथ कह सकता हूं, कहा गया है कि इन कारागारों में अधिकारियों द्वारा बन्दियों पर अमानवीय व्यवहार किया जाता था, इन कारागारों में जो अमानवीय व्यवहार होते थे, आज उनकी शिकायतें नहीं मिलतीं कि अमानवीय व्यवहार हो रहा है या बेड़ी डाल कर दंडित किया जा रहा है, इसकी शिकायत नहीं मिलती । इसके साथ ही मान्यवर, एक काम और इस शासन ने किया है किशोर सदन बरेली अल्पवयस्क बन्दी का सुधार, मैं समझता हूं कि इस तरह का शायद ही कोई किशोर सदन दूसरे देशों में हो, कहा नहीं जा सकता । लेकिन जब यह शासन सत्ता में आया किशोर सदन में ४५ किशोर थे, शासन ने इसमें और सुधार लाने के लिए, इससे सम्बन्धित सारे निधियों को ढीला करके, नियमों में परिवर्तन किया है । जितने अल्पवयस्क बन्दी हैं उनको सबको किशोर सदन में भेजा जाय और उन्हें सुधार कर एक योग्य नागरिक बनाया जाय, जहां पर कि बालक स्वयं होस्टल की तरह से रहता है ।

(व्यवधान)

श्री श्याम धर मिश्र—

क्या इसीलिए श्रीमन्, छात्रों को पकड़ा जा रहा है ?

श्री मान सिंह आजाद—

आप उनके सहयोगी हैं क्या ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

माननीय मिश्रा जी को यह जानना चाहिए कि जो सजा प्राप्त है, उनके लिए है, जो बन्दी बनाय जाते हैं, उनके लिए नहीं है। सिकाई और रिहाई में के सम्बन्ध में अनियमितताओं की शिकायत हुआ करती थी, इनमें भी जितनी कड़ाई और चुस्ती से नियमों का पेंट लगाकर नियम को और संशोधित करके, जितनी अनियमितताएं कम की जा सकती थीं, उनको कम करने का प्रयास किया गया है और बहुत कुछ कम हुआ है। जिस तरह से जेल का जीवन नीरसता का जीवन था, उससे संजीवता लाने का प्रयास इस शासन ने किया है, जिससे कि वहां बन्दी व्यक्ति कां सुधार कर सकें, योग्य नागरिक बनने की दिशा में स्वतः एक नागरिक बन सकें।

उसी तरह से वहां के कर्मचारियों का जीवन निराशा का जीवन था, वार्डर को प्रोमोशन का चान्स नहीं, असिस्टेंट जेलर्स भी प्रोमोशन्स के अभाव में निराश हो जाते थ, उनके आवास की व्यवस्था ठीक नहीं, इसीलिए नीचे स्तर के ये जो कर्मचारी हैं, इनको उन्नति का चान्स मिले, मौका मिले, जिसके कारण उनके जीवन में आस्था बनी रहे, इस प्रकार विचार किया जा रहा है। एक नया प्रयोग सुधार के सम्बन्ध में किया गया, वह यह है कि इस साल कारागार दिवस मनाया गया था, जिसमें जेल में बन्दियों ने बिना किसी नियंत्रण के खुले मैदान में अनेक विविध कार्य किये। मेरी योजना है कि सुधार के लिए एक और कदम उठाया जाय। अगले साल दिल्ली में जो २६ जनवरी को परेड होने वाला है, उसमें उत्तर प्रदेश के कारागार के बन्दी भी भाग लें, ऐसा विचार है और वह भाग लेंगे। इन शब्दों के साथ इस छोटे से विभाग का जो लगभग १८ करोड़ का बजट है, उसमें जो भी सम्भव हो पा रहा है, सुधार लाने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, उसको एक संक्षिप्त रूप-रेखा मैंने रखी। मैं समझता हूं कि यह सदन उससे संतुष्ट होगा और माननीय सदन के सदस्य इसको स्वीकार करेंगे। इन शब्दों के साथ में आग्रह करता हूं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करें।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४--न्याय प्रसाशन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२ के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अनुदान सदन के समक्ष प्रस्तुत किया और अपने भाषण में कुछ बातें भी उन्होंने बतलायीं। मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री जी अपने को असमर्थ पा रहे हैं, वह कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ उनके भाषण से परिलक्षित होता है। मान्यवर, लोकतांत्रिक पद्धति है तो उसमें आवश्यक है कि विधि का राज्य हो। विधि के राज्य के लिय यह जरूरी है कि न्यायालयों में न्याय लेने के अधिकार सबके बराबर हों और न्यायालय इतने सक्षम

[श्री देव बहादुर सिंह]

हों कि वह विधि का राज्य स्थापित कर सकें उसको सुदृढ़ कर सकें। यही विधि के राज्य की सफलता की कसौटी है कि वहां पर न्यायालयों में मामले लंबित न हों। गरीबों न्याय प्राप्त करने में बाधक न हो। न्याय देने वाले न्यायधीश होते हैं उनमें पक्षपात न हो और न्याय अविलम्ब मिले। क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है कि अगर न्याय प्राप्त करने में देर हो तो यह मानकर चलना चाहिये कि न्याय नहीं मिलता। तो इस कसौटी पर देखें, जो उच्च न्यायालय हैं वहां पर ३१ दिसम्बर तक एक लाख आठ हजार नौ सौ तेरह मामले लंबित थे। ३१ दिसम्बर, १९७६ तक १,२०,०२२ मामले लंबित थे। इसी तरह से ३१ दिसम्बर, १९७७ तक १,३२,७९६ मामले लंबित हैं। तो दिन प्रतिदिन लंबित मामलों की संख्या उच्च न्यायालय के समक्ष बढ़ती जा रही है। मंत्री जी ने बताया कि जितने न्याय मूर्ति हैं उनकी कुल संख्या ५३ है जिसमें से ४० स्थाई हैं और १३ अस्थायी हैं। इसके अलावा ४-५ नियुक्तियां और भी आपने की हैं। तो जो मामले इनमें लंबित हैं उसका निस्तारण कैसे हो? यह तो हो नहीं सकता है कि आप आदेश दे दें कि इनका शीघ्र निपटारा किया जाय क्योंकि जो मामले उच्च न्यायालय के सामने हैं वह इस प्रकृति के हैं कि उनमें गंभीर चिंतन मनन की आवश्यकता है। इसमें समय लगेगा। हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि समरी ट्रायल से उच्च न्यायालय में जितने मामले हैं उनको निस्तारित कर दें। तो फिर कैसे इनका निस्तारण हो? तो इसका एक मात्र निदान यह है कि न्याय मूर्तियों की संख्या बढ़ायी जाय। आपने कुछ नियुक्तियां भी की हैं। लेकिन जो नियुक्तियां हों उनकी आलोचना न हो। पिछले दिनों में न्यायमूर्तियों की जो नियुक्तियां हुई हैं उनकी आलोचना हुई है और अब भी होती है। तो उच्च न्यायालय में न्यायमूर्तियों की नियुक्ति की आलोचना हो यह सबसे बड़े दुख की बात है। इसलिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि नियुक्तियां कैसे हों। उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्तियों के लिये, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश और पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, यह तीन आदमी उनको नियुक्त करें। गवर्नमेंट अपना पेनल भेज दे। निश्चित मानिये कि यदि इनमें राजनीतिक प्रवेश या निजी संबंधों का प्रवेश नहीं होगा और तीनों की एक कमेटी तय करें तब जा कर के यह निष्पक्ष होगा। जब जो नियुक्ति हो उसकी इस तरह से आलोचना हो तो फिर न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया में बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। यही नहीं मान्यवर, जो अभिवक्ता जो हमारे एडवोकेट वहां हाई कोर्ट में हैं, स्टैन्डिंग काउन्सिल हैं उनकी नियुक्ति में निष्पक्षता अनिवार्य है, बहुत आवश्यकता है इस बात की। माननीय मंत्री जी अपनी नीति में परिवर्तन करें।

आगे चलें मान्यवर। आज अधीनस्थ न्यायालयों की स्थिति क्या है? लंबित मामले मार्च, १९७७ तक ५,९१,७८० और जून, १९७७ में ६,३५,३९२। बढ़ोतरी पर हैं। माननीय मंत्री जी ने बहुत से मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट, सिविल जज नियुक्त किये हैं लेकिन जो लम्बित मामले हैं वे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि एक योजना बनायें पिछले आंकड़ों को आधार बना कर जो लम्बित मामले हैं उनको देखते हुये कि इतने दिन में उनका निस्तारण हो जाना चाहिए और उसी के आधार पर एक प्लान बनायें कि बहुत दिनों तक जो मामले लम्बित हैं वे न्यायालयों में न रहें। इस हिसाब से चार साल पांच साल की योजना बनायें और उसी प्रकार से उसे कार्य रूप दे दें तो मैं समझूंगा कि समस्या का समाधान भलीभांति हो रहा है।

मान्यवर, कई-कई जिले तो ऐसे हैं जहां अपराध ज्यादा होता है। जब तक न्यायालयों में सेशन जजों की संख्या नहीं बढ़ाई जायेगी तब तक मामलों का निस्तारण संभव नहीं है। स्थिति क्या है। स्थिति यह है कि कोई हत्या का मुकदमा है, डकैती का मुकदमा है। पांच साल के बाद जब वह सेशन कोर्ट में जाता है तब तक गवाह नहीं मिलता पता नहीं चलता गवाह का। कितने ही मामले ऐसे हैं। गवाह का देहावसान हो जाता है। कहा गया, कुछ पता नहीं चलता। गवाह मिलता ही नहीं। इसलिए एक मास्टर प्लान माननीय मंत्री जी बनायें जिससे कि इन सारे मामलों का निस्तारण समय से हो सके तब मैं समझूंगा कि सरकार इस मामले में भी कुछ करना चाहती है।

मान्यवर, मुन्सिफ मैजिस्ट्रेटों के बारे में सूची दी गई है। मान्यवर, हमने भी आप से निवेदन किया था कि रुद्रपुर (नैनीताल) में एक मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट की अदालत खोली जाय लेकिन आज तक नहीं खोली है। जहां के लिए दो साल पहले तीन साल पहले आदेश हो गये हों न्यायालय खोलने के लिए वह अभी तक नहीं खोला गया इसका क्या कारण हो सकता है। कौन सी असमर्थता आप के सामने है? वित्तीय कठिनाई है या विभाग के अधिकारी आप से सहयोग नहीं कर रहे हैं जिससे कि आप इस कार्य को करने में पूर्ण रूप से अपने आप को असमर्थ, असक्षम पा रहे हैं।

इसके बाद न्यायालय भवन और आवासीय भवनों की बात आती है। ठीक बात है। जितने न्यायधीश मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट हैं इनको सुख सुविधा नहीं दी गयी तो न्याय करने में असुविधा हो सकती है। इसलिए जितनी नियुक्ति आप करते जायं उनके लिए उसी हिसाब से आवास की भी व्यवस्था की जाय जिससे काम अच्छी प्रक्रिया से हो सके।

मान्यवर, मैं नहीं जानता मंत्री जी ने इसका कोई जिक्र नहीं किया जो यह पुस्तिका है उसका निर्धनों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने की कोई बात नहीं लिखी है। पिछले बजट में इसका जिक्र था। इसमें कोई जिक्र नहीं है। लगता है निर्बल वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति है उससे सरकार को चिढ़ है, आप को भी चिढ़ है। न आपने भाषण में इसका जिक्र किया और न इस पुस्तिका में कोई जिक्र है। १९७५ में व्यवस्था की गयी थी कि जो निर्बल वर्ग है उनको कानूनी सहायता के लिए सरकार कुछ सहायता अनुदान देगी। इसमें मैं जानना चाहता हूं कि इनकी क्या नीति है। क्या निर्बल वर्ग को न्याय पाने का अधिकार इस शासन में है या नहीं और अगर है तो वह किस रूप में इसको कार्यान्वित करेंगे। मान्यवर, न्याय अच्छी तरह से मिले तो पुराना सिद्धान्त है कि न्याय पालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाय। बहुत पहले ऐसा था भी। आज आप देखें कि परगना मैजिस्ट्रेट हैं उनके पास वह केसेज भेजे जा रहे हैं जो उनके पास नहीं जाने चाहिए। अभी ऐसा लगता है कि संदिग्ध है कि किस प्रकार करें जिससे न्यायपालिका कार्यपालिका से मुक्त हो जाय। आप देखें मान्यवर, पुलिस है और ए० पी० पी० है। असिस्टेंट पब्लिक प्रासीक्यूटर पहले पुलिस के अधीन थे। बीच में यह हुआ कि उनको अलग कर दें और सीधे न्यायपालिका से जोड़ दें। ए०पी०पी० जब पुलिस विभाग से इनका सम्बन्ध था तो इनका कार्य भी वही होता था जैसा कि एक पुलिस अफसर का। पुलिस पकड़ती है और अदालत के समक्ष प्रस्तुत करती है, और चालान करती है और केस भी लड़ती है। होता

[श्री देव बहादुर सिंह]

यह है कि जब पुलिस पकड़ती है तो कोशिश करती है कि उसको सजा हो जाय चाहे वह बेगुनाह हो। ए० पी० पी० उनके इस काम में सहयोगी हो। इसलिए यह था कि ए०पी०पी० को अलग करके न्यायपालिका के साथ जोड़ दिया जाय। देखा यह है कि पुलिस में गवाह पहले से रहते हैं। जितने केसेज होते हैं वही परम्परागत गवाह उनमें रहते हैं। इसलिए जब तक अभियोजन का काम और पुलिस का काम दो अलग-अलग हिस्सों में नहीं बांटेंगे तब तक आप न्याय देने का काम कर पायेंगे यह संदिग्ध है।

एक बात और कहना चाहता हूं, जो कि पहले ही कहनी चाहिए थी। उच्च न्यायालय की बात है। माननीय मंत्री जी जजों की संख्या बढ़ावें। विकेन्द्रित करें या नहीं तो मैं यह मांग करुंगा कि उच्च न्यायालय के बेंच बनायें और हमारे हाड़ में भी एक खोल दें जैसे लखनऊ में है। आप कहते हैं कि गांव के आदमी दरवाजे तक न्याय पहुंचायेंगे। लेकिन यह कैसे होगा जब कि आज पिथौरागढ़ एक आदमी को इलाहाबाद आना पड़ता है। मेरठ से मांग थी तो वहां बेंच खोलें और हमारे यहां नैनीताल में या पहाड़ के आठ जिलों में कहीं भी एक बेंच खोलें। यदि आप यह कर सकें तो मैं समझूंगा कि आपने क्रान्तिकारी कदम उठाया। आपने यह भी कहा है कि तहसील स्तर पर जो न्यायालय है तो वहां उप कारागार बनायेंगे। जैसे मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत खुल रही हैं और कुछ केसेज परगना मजिस्ट्रेट देखते हैं जहां लाक अप की आवश्यकता होती है। जहां अदालत बना रहे हैं तो वहां पहले से लाक अप की व्यवस्था करें। रुद्रपुर और हलद्वानी में अभी इसकी व्यवस्था नहीं है। नैनीताल और हलद्वानी में आने जाने में बड़ी असुविधा होती है। इस बारे में सर्वेक्षण करवा लें।

अब मैं कारागार के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं समझता था कि चूंकि मंत्री जी कारागार से अभी आये हैं तो ऐसी व्यवस्था करेंगे कि फिर इनको जाना पड़े तो कोई कष्ट न हो, लेकिन जो भाषण हुआ है उससे लगता है कि कारागार में कोई समस्या नहीं है, बहिश्त हो गया है। मैं नहीं जानता कि स्थिति क्या है। कहा गया कि वहां पी० आर० ए० आई० टाइप लेट्रिन बनाई जायेंगी। मैं कहता हूं कि फ्लश बनवाइये और यह जो जेल में मौजूदा खुला शौचालय जो देश के लिए कलंक हैं उनसे छुटकारा पाइये। खुले शौचालयों को साफ करने के लिये पुलिस द्वारा भंगी जबरदस्ती पकड़ कर लाये जाते हैं। ऊंच नीच को आपका बल कायम किये हुये हैं। इस बारे में कानून है लेकिन आप उसको नहीं मनवा रहे हैं। तो इस बारे में समयबद्ध कार्यक्रम बनावें और जेलों में फ्लश लैट्रिन का प्रबन्ध करें, जिससे यह समस्या न हो कि भंगियों को पकड़ कर लाया जाय।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

पी० आर० ए० आई० टाइप लेट्रिन ठीक हैं।

श्री देव बहादुर सिंह—

वे चलती नहीं है और चोक हो जाती हैं, इस लिए फ्लश बनवाइये। जेल में भवनों की संख्या भी कम है। १९७७ की पुस्तिका में कहा गया है कि जेलों की क्षमता ३१,५८४ है जब कि १९७६ की पुस्तिका में लिखा है कि ३१,६४७ है। तो यह संख्या घट क्यों रही है? तो जिन कमरों में अधिक लोग रहते हैं उनके लिए भवन बनवा दें ताकि ऐसी व्यवस्था हो सके कि कम लोग रह सकें। इसके अलावा वहां वही पुराने कम्बल और खराब कपड़े पहनने के लिए हैं। पांच आदमियों की समिति बनी है जो राशन को देखती है लेकिन वहां से क्या हुआ

होता होगा और कितनी मिट्ठी मिलाई जाती है यह कौन जानता है। एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है। त्योहार के दिन सरसों के तेल के बजाय डालडा की कैदियों को मिलेगा बशर्ते उसकी कीमत तेल की कीमत से अधिक न हो। तो त्योहार को तो कुछ खर्च अधिक करना चाहिये। उसमें मान्यवर यह शर्त क्यों लगा दी गई है?

श्री अध्यक्ष—

आपको २० मिनट हो गये हैं।

श्री देव बहादुर सिंह—

खत्म कर रहा हूं। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश की परम्परा कैदियों के लिए सुधारात्मक है यन्त्रणात्मक नहीं है। सुधार के बारे में कई उद्योग चलते हैं, कृषि उत्पादन के बारे में भी बताते हैं, कई चीजों में प्रशिक्षण भी क्यों मिलता है, पैसा भी मिलता है, और वह है पांच रुपये लेकिन ५ रुपये हैं जबकि न्यूनतम मजदूरी ६ १/२ रुपये है? तो ६ १/२ रुपये क्यों नहीं है?

मान्यवर, आपने यह भी कहा कि हम कार्य में प्रशिक्षण दे कर इस लायक कर देते हैं कि जेल से जाने के बाद वह पुनर्निवासित हो सके। लेकिन मान्यवर, स्थिति क्या है? लम्बी सजा। जवानी के दिनों में जेल जाता है। जेल से निकलता है। मान्यवर, तो जरजर हो जाता है। तो व्यवस्था एसी हो कि वह इतना पैसा अर्जित करले कि जिससे अपने को पुनर्वसित कर सके। जैसे सितार गंज जेल है। हमारे नैनीताल का सम्पूर्णानन्द जल है। वहां बैंकों से १९७५–७६ में बंदियों को ऋण दिलाया गया और उससे भैंस खरीदीं, सिलाई की मशीन ली। तो ये छोटे–छोटे इस तरह के काम हैं। उससे अच्छा पैसा कमा कर वे कैदी अपने घर को भी भेजें। अगर इसमें सफलता रही है तो इन स्कीमों को लखनऊ में भी लागू किया जा सकता है। और भी जेलों में कर सकते हैं।

मान्यवर, कांग्रेस सरकार के जमाने में जेल विजिटर्स होते थे। लगता है कि माननीय मंत्री जी को कांग्रेस सरकार से बहुत रंज है। अब ऐसा लगता है कि विधायकों को जेल का विजिटर्स नहीं बनाया गया। उस समय तो इमरजेंसी की बात करते थे। अब तो कोई बात नहीं है। अब तो उनको बना दें ताकि हम लोग देख सकें कि स्थिति क्या है। जो जेल विजिटर्स बनाये हैं, वे अपनी पार्टी के लोगों को बना दिया है तो इस तरह की बात कर रहे हैं, मान्यवर, म नहीं जानता कि क्या सत्यता है? दो तीन चीजों की चर्चा करते हैं लोग। एक तो स्टैन्डिंग कौंसिल के बारे में और एक सरकारी वकील के बारे में और एक जेल में विजिटर्स के बारे में लोग कहते हैं कि इनके लिये माननीय मंत्री जी राजनैतिक उद्देश्य से नियुक्तियां की हैं। या निजी ताल्लुकात के आधार पर नियुक्ति की हैं। वैसे मैं इसको उस तरह नहीं कोट करता। लेकिन बात की सफाई हो जाय तो ठीक होगा। मैं नहीं चाहता कि आपके बारे में या सरकार के बारे में हवा में बाते हो। अगर सफाई सदन में हो जाय तो लोग समझ जायें कि काम अच्छी तरह से कर रहे हैं।

एक बात, मान्यवर, जेल के जेलर्स की प्रोन्नति के बारे में है। गलत ढंग से प्रोन्नति हो रही है। सर्विस बुक नहीं देखी गयी। लाल स्याही से सर्विस बुक गी पड़ी है लेकिन फिर भी प्रमोट कर दिया। मेरे सामने कुछ इस तरह की

[श्री देव बहादुर सिंह]

बात आयीं । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसका उत्तर दें कि प्रोन्नति के संबन्ध में क्या प्रोन्नति के पुराने सिद्धान्त चल रहे हैं या उनको तोड़ा मरोड़ा गया है और माननीय मंत्री जी जिसको चाहते हैं उसको प्रमोट और जिसको नहीं चाहते हैं उसको डिमोट कर देते हैं ।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, कोरम नहीं पूरा

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, कुछ कर गुजरने की तमन्ना और जोखिम उठाने की क्षमता युवजनों का विशेषाधिकार हुआ करता है । हमारे मंत्री जी, इसमें कोई शक नहीं है कि युवजन हैं और इस लिए उम्मीद की जाती थी निश्चित तौर पर कुछ ऐसा क्रान्तिकारी वे कदम उठायेंगे कि कम से कम कारागार के मामले में जो अब तक लोगों को शिकायत रही, वह दूर हो जायेगी, लेकिन कहा यह जाता है कि हमारे मंत्री जी चड्ढी वालों से इतने घिरे रहते हैं कि उन्हें समय नहीं मिलता कि सबसे मिल जुल कर बात कर सकें और लोगों की बातें सुन सकें । यह मैं सुना करता था कि माननीय मंत्री जी चड्ढी वालों से घिरे रहते हैं, लेकिन मान्यवर, उस समय मुझे आश्चर्य हुआ यह देख कर कि मंत्री जी लंहगे बालियों से भी घिरे रहते हैं । एक दिन की बात है मैं करीब साढे ८ बजे मंत्री के यहां गया और उस समय मंत्री जी अकेले थे, जरूर एक और उनके साथ थी । मैं मिलना चाहता था किसी कारणवश, लेकिन पता चला कि मंत्री जी इस समय नहीं मिल सकेंगे, सुबह मिलेंगे । जब मंत्री जी को कोई समय नहीं है, लोगों से मिलने जुलने का विशेषतौर पर विधायकों से मिलने का, चड्ढी वालों से घिरे रहेंगे, लहंगे बालियों से घिरे रहेंगे, तो किसी से कैसे बात कर पायेंगे, यह आश्चर्य का विषय है ।

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, यह चड्ढी क्या है, यह मैं नहीं समझ पाया ।

श्री अध्यक्ष—

आपको समझने की जरूरत भी नहीं है ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

ब्रह्मदत्त जी इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आलोचना करते हैं, तो उसका उत्तर वे देंगे ।

श्री संगम लाल—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि डी० जी० सी० की नियुक्ति हुई और मंत्री जी ने कहा है कि न्याय सुलभ होगा, जल्दी मिलेगा और दोषपूर्ण नहीं होगा, लेकिन मैं आप को बताना चाहता हूं कि जितने डी० जी० सी० क्रिमिनल की नियुक्ति हुई है, उनमें एक मात्र या तो चड्डी वाले हैं या तो ऐसे लोग हैं, जो जाति बिरादरी को बढ़ावा देते हैं। माननीय मंत्री जी ने कुछ ऐसे लोगों को नियुक्त किया है। कहीं-कहीं तो आश्चर्य होता है। १०७/१६ के मुकदमें भी स्वतंत्र रूप से नहीं लिए हैं और मुकदमों की बात तो जाने दीजिए फौजदारी के ३०२, ३२३ तथा ३२५ की बात जाने दीजिए, कुछ ऐसे डी० जी० सी० नियुक्त हुए हैं, जो स्वतंत्र रूप से १०७/१६ के मुकदमें भी नहीं किए हैं। किसी वकील के साथ लगे रहे और एक सिफारिश के साथ उनकी नियुक्ति हो गयी, तो आप खुद सोच सकते हैं ऐसे डी० जी० सी० क्रिमिनल्स नियुक्त हुये हैं, वे किस तरह से सही ढंग से मुकदमा कर पायेंगे और किस तरह से न्याय मिल सकेगा? उम्मीद तो यह थी मान्यवर, कि जैसा हम लोगों का अनुभव है जेल में जाने पर देखा है कि लगभग आधे कैदी ऐसे थे, जो १०९ में गिरफ्तार किए गए थे और उसमें दफा १०९ के अन्तर्गत ऐसे ही लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, जिन पर आरोप लगाया जाता है कि उनकी रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, लावारिस हैं और ऐसे लोगों को इसके अन्तर्गत बंद किया जाता है। उस १०९ के तहत इतने लोग बन्द किए जाते हैं कि एक साल तक उनकी जमानत भी नहीं हो पाती है, जेल में सड़ जाते हैं। चाहिए तो यह था कि उसमें कोई परिवर्तन करते और जब १०९ में गिरफ्तारियां होतीं, तो उस क्षेत्र के पंचायतों के लोग सभापति या सरपंच वगैरह इस बात को तस्दीक न करते इस बात की सिफारिश न करते, तब तक उसको १०९ में न गिरफ्तार किया जाता। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ।

इसी तरह से मान्यवर, १०७/१६ को धारा है, जिसके तहत पुलिस वालों को असीम अधिकार मिला हुआ है। पुलिस वाले जब गिरफ्तार करते हैं, बुरी तरह से पिटाई करते हैं, बता दिया करते हैं कि आपस में लड़ाई चल रही थी और हमने मौके पर पहुंच कर गिरफ्तार किया है। यह सत्य है कि पुलिस ९० प्रतिशत मामलों में एक पक्ष से मिली हुई होती है और दूसरे पक्ष को बन्द करता है। मारपीट भी करती है। इस मामले में चाहिए कि न्याय पंचायतों के सरपंचों तथा ग्राम सभा के सभापतियों अथवा उनके पंच से जब तक बात उनके बारे में न कर ली जाय बन्द न किया जाय। मान लीजिए गांव में पुलिस गयी। किसी के विरुद्ध १०७/१६ की कार्यवाही करना है तो गांव वालों को बुला लिया जाय। जब तक वे इस बात की स्वीकृति न दे दें कि उनका १०७/१६ में चालान होना चाहिए तब तक उनको गिरफ्तार न किया जाय।

कारागार के मामले में बताया गया कि खाने पीने के मामले में काफी सुधार किया गया है। मुझे आश्चर्य हुआ। मैं, और की बात तो नहीं जानता लेकिन मंत्री जी जरूर उच्च श्रेणी में रहे होंगे। लेकिन साधारण कैदी के लिए कपड़ा और दातून की बड़ी दिक्कत होती है। हम तो साधारण कैदी की हैसियत से देव बहादुर जी के राज्य में रहे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो सुबह के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है दातून उसका भी कोई इन्तजाम नहीं है। अगर कोई कैदी किसी पेड़ पर चढ़कर दातून तोड़ता भी है तो जल के कायदे कानून के हिसाब से उसके ऊपर मुकदमा चलता है। इस विषय में कोई इन्तजाम होना चाहिये था। इसमें कोई ज्यादा पैसे का भी खर्चा नहीं है। कपड़े के बारे में

[श्री संगम लाल]

बताऊं, साधारण श्रेणी के कैदी को केवल एक कपड़ा दिया जाता है। बेचारा अगर नहाना चाहता है तो नंगा नहाये। अगर उसकी धुलाई करना चाहता है तो नंगा रहना पड़ता है। उसके विषय में कोई इन्तजाम नहीं किया गया है। तो सुधार में क्रान्तिकारी कदम कैसे हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

संगम लाल जी अब आप समाप्त कीजिए।

श्री संगम लाल—

मैं समाप्त करता हूं। मंत्री जी ने कुछ जरूर सुधारात्मक कदम उठाये हैं लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। उनको चाहिये कि इस सम्बन्ध में और सभी लोगों से सलाह मशविरा कर लें, विधायकों की राय जान लें और उसके बाद न्याय तथा कारागार के विषय में कोई ठोस प्रयास करें।

* बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, सबसे पहले तो मैं अपने नवजवान कानून और कारागार मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि इसमें दो राय नहीं है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वकील नियुक्त किए गए हैं, उनकी वैसी ही हालत है जैसा कि माननीय संगम लाल जी ने बताया। मेरी समझ में नहीं आता है कि वही लोग जिन्हें वहां का कलेक्टर भेज देता है वही सही मान लिया जाता है। ऐसे-ऐसे लोगों की नियुक्ति कर दी गयी है जिनके खिलाफ तमाम शिकायतें हैं। मैंने आज से ६ महीने पूर्व माननीय मंत्री जी को एक प्रतिवेदन भी दिया था जिसमें यह था कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं और जो सिविल जज हैं उनकी पे में कितना अन्तर होना चाहिये। अब आप देखें कि जब शासन का यह हाल है और मंत्री जी इस तरह से काम कर रहे हैं तो क्या इसे क्रान्तिकारी कदम कहा जायगा ? मैं साफ-साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि इसमें दो राय नहीं है चाहे घटकवाद हो चाहे जो हो मैं यह बतला देना चाहता हूं कि इस मंत्रि-परिषद् में ऐसे लोग हैं जो पता नहीं हम विधायकों की बात क्यों नहीं जानना चाहते हैं।

मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा आज आरक्षण के बारे में बातें हो रही हैं। मगर आप देखें कि आरक्षण के बारे में हमारे इलाहाबाद के एडवोकेट जनरल कहते हैं कि पिछड़े वर्ग में ऐसे लोग नहीं हैं जिनको हाईकोर्ट का पैनल या सरकारी वकील मुकर्रर किया जाय। इस तरह की हालत है। मैं यह भी कहना चाहता हूं आप देखें अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में ९ जजेज की नियुक्ति एक बार हुई और ६ जजों की नियुक्ति एक बार हुई और हम जानते हैं कि इसमें ऐसे छोटे तबके के वकील जिनकी हजार रुपये की भी प्रैक्टिस नहीं रही है, आज जज की कुर्सी पर बैठे हैं। आज हरिजनों के अन्दर ऐसे वकील हैं जिनकी हजारों रुपये की प्रैक्टिस होगी, लेकिन उनको वह पद नहीं दिये गये। तो यह जो आरक्षण का हल्ला मचा हुआ है, निरर्थक है। कारागार मंत्री हैं इत्तिफाक से पिछड़ी जाति के है वह पक्षपात तो नहीं करते, लेकिन उनके पास कोई चारा भी नहीं है। जैसी लिस्ट आती है वैसी ही पास आन कर देते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहा गया कि मुकदमें तत्काल निर्णीत हो रहे हैं लेकिन जो तहसीलों के अन्दर मुख्यालय बने हुए हैं उनमें एस० डी० एम० आता तो जरूर है लेकिन वहां जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति नहीं हुई है जिसके कारण गांव के लोग जो आते हैं वे कचेहरी में झक मार कर चले जाते हैं। मुझे आशा है मंत्री जी इस ओर विशेष तौर से ध्यान देंगे और आरक्षण की ओर भी ध्यान देंगे।

जहां तक कारागार की बात है जब से मैं चुना गया इत्तफाक से चार दफा निरीक्षण करने का इत्तफाक हुआ, लेकिन मैंने देखा कि कोई परिवर्तन वहां नहीं हुआ है लेट्रीन वैसी की वैसी पड़ी हुई है, वैसी ही गंदगी है। अनुदान में जो पैसा मांगा गया है इसका मैं समर्थन करता हूं लेकिन यह बात अवश्य बतलाना चाहता हूं कि जो भोजन कैदियों को मिलता है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है कोई सुख-सुविधा नहीं मिली है मंत्री जी वहां पर जाकर स्वयं देख लें। आज भी पानी जैसी दाल है, जो साग सब्जी होती है वह अधिकारियों, जिलाधीश के घर चली जाती है और वहां के कैदियों की हालत बड़ी दयनीय है। जेल के अन्दर आज भी ७०, ७५ साल के कैदी हैं जिनको आंख से दिखाई नहीं देता, जो चल नहीं पाते है। अगर वे डकैती में भी बन्द हैं और उनका समय पूरा हो गया है तो भी नहीं छोड़े जाते है। दर्जनों ऐसे कैदी हैं जो चल नहीं पाते हैं। मंत्री जी जरा इनकी जांच करा कर उनको तत्काल रिहा करायें। कांग्रेस के समय में अन्याय होता रहा लेकिन आज भी जेलों के अन्दर अन्याय हो रहा है। चतुर्थ श्रेणी से जो कर्मचारी हैं उनसे २४ घंटे की ड्यूटी ली जाती है, किसी तरह का भत्ता उनको नहीं दिया जाता है। नैनी कारागार के जो जेलर हैं वह जिस भवन में निवास करते हैं आप देखेंगे कि वे सबसे रद्दी हालत में है बारिश के महीनें में घास उग आती है, सांप निकलते हैं। मंत्री महोदय इन बातों की ओर ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

* श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं न्याय एवं कारागार मंत्री को बधाई देता हूं और जो अनुदान इसके लिए पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। जहां तक जेल का सवाल है हर दल के करीब-करीब सभी सदस्य उनमें रह आये हैं और उनको देख आये हैं। जेल का सुधार आज तक नहीं हो पाया है किसी प्रकार का। वे ज्यों के त्यों हैं। जब मंत्री बन जाते हैं तो डींग हांकते हैं, कि हमने यह किया वह किया, लेकिन असलियत कुछ नहीं होती है। इन कांग्रेसियों ने कुछ तो करके दिया नहीं। मैं जेल मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह वहां दुबारा जाकर देखें कि वहां पर नाममात्र का सुधार नहीं हुआ है और वहां इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा फैलाई जाए, जिससे लोगों को रोजगार मिले। उनको कैदी ही नहीं इंसान समझा जाए, और उसी तरह का उनके साथ व्यवहार किया जाए, जिससे वे अपने अवगुणों को गुणों में बदल दें।

न्यायालयों का जहां तक सम्बन्ध है- जनता पार्टी की जय हो और कांग्रेस की जय हो, क्या आपने न्यायालयों में हरिजनों का रिजर्वेशन पूरा किया है ?

श्री अध्यक्ष—

क्या आप चाहते हैं कि कैदियों में भी रिजर्वेशन पूरा हो।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरी सिंह—

जो जज व मैजिस्ट्रेट आदि हैं, क्या उनकी संख्या रिजर्व कोटे के अनुसार है ? आपने जो पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कही, क्या उसमें रिजर्वेशन पूरा हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब को इस राज्य में भी न्याय मिलने वाला नहीं है। मेरठ से एक आदमी इलाहाबाद के लिए चले, तो उसकी जेब में कम से कम २०० रुपया, खाने व ठहरने आदि के लिए होना चाहिए और उसके अलावा वहां ५००/१००० में वकील नहीं मिलते हैं, तो कई हजार रुपये उसे वहां जाने के लिए चाहिए। इस तरह से आप न्याय देंगे ? जब तक इस प्रदेश का बंटवारा नहीं होगा, गरीबों को न्याय नहीं मिलने वाला है, जनता को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले आप मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना करें। अभी तो हम जबान से कह रहे हैं, फिर आन्दोलन करेंगे कि इस प्रदेश का बंटवारा हो, तुरन्त बटवारा हो। अच्छा हो। कि आप उसके पहले ही मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित कर दीजिए। (व्यवधान)

मेरा आपसे एक निवेदन और है न्यायालयों के जो पदाधिकारी हैं, उनमें हरिजन कोटा की पूर्ति की जाए, नहीं तो उनके शुभचिन्तक होने का आप ढिंढोरा न पीटो। प्रदेश का बंटवारा हो, मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच हो, हमारे योग्य और विद्वान मंत्री इस पर ध्यान दें। आप उत्तर प्रदेश का दो या तीन भागों में बटवारा करो।

* श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं अनुदानों के बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। न्याय तथा कारागार मंत्री जी ने अपने भाषण में दोनों विभागों के बारे में काफी सुधार की बात कही और उनके भाषण से ऐसा लगता है कि हम लोगों को अब किसी किस्म की परेशानी या एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुधार इतने हो गये हैं कि बन्दियों और न्याय की व्यवस्था के बारे में जनता को कोई शिकायत नहीं है। लेकिन देखा यह गया है कि जो बन्दियों के बारे में सुधार हुए हैं, केवल ३० ग्राम दाल और ४० ग्राम साबुन ही बढ़ाया गया है। उनके टट्टी व पानी आदि की समुचित व्यवस्था के बारे में मंत्री जी के भाषण में या पुस्तिका में कोई जिक्र नहीं किया गया है। जेलों में स्वास्थ्य की बड़ी बुरी समस्या है, वहां के अस्वस्थ वातावरण का उनके स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। उनके मानसिक और मनोवैज्ञानिक जीवन पर गम्भीर असर पड़ता है। इसलिए उनके स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन माननीय मंत्री जी ने कैदियों के लिए अस्पतालों में दवाइयों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया।

दूसरे जब कैदी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांस्फर किए जाते हैं तो उनको ६० पैसे खुराक मिलती है। इसमें उनकी कैसे खुराक पूरी हो सकती है उसके बारे में जिक्र नहीं किया। उस खुराक को भी पुलिस वाले खा जाते हैं। इन बंदियों की छुट्टियों के बारे में कोई सुधार नहीं हुआ। जब लखनऊ दौड़े आए, किसी विधायक की चापलूसी और दंडवत करें और वह माननीय मंत्री जी से सिफारिश करे तब पैरोल मिलता है। अगर जोना ब जोना दरख्वास्तें आएं, और हर प्रकार की परेशानी उठाएं, तब वह दरख्वास्तें तीन-चार महीने में पहुंचती हैं, जबकि छुट्टी की सुविधा आटोमेटिकली मिलनी चाहिए, जिससे उनका जेल का सफीकेशन कम हो। जैसी कि भूतपूर्व माननीय सम्पूर्णानन्द ने योजनाएं चलायी थीं उस तरह की योजनाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। जिन-जिन आदर्श कारागारों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में वे योजनाएं चलायी गयीं उनका बहुत अच्छा नतीजा निकला। पिछले वर्ष कुछ बंदियों ने इतना महत्वपूर्ण काम किया, उसके उपलक्ष्य में उनको पैसा देना था, उस पैसे को हड़पने की कोशिश की गयी। १९७४ से १९७८ तक उनके पैसे बने हैं। उसमें काफी पैसा जेल वाले खा गये हैं। लाखों रुपया हड़पा जा रहा है। माननीय मंत्री ने कहा कि आडिट की रिपोर्ट आयी है कि इस तरह से पैसा नहीं दिया जा सकता। जब पिछले वर्षों में दिया गया है तो वह अब बंदियों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब कि साल भर में चार-पांच हजार रुपया वेजेज के रूप में मिला है, केवल ४-५ सौ रुपया मिल रहा है। हाजिरी भी गलत दिखायी गयी है। उन्होंने चौबीसों घंटे काम किया है। उनका पैसा मारा जा रहा है। यह जो पुनर्वास की योजना माननीय सम्पूर्णानन्द ने चलायी थी इसको अधिकारियों ने जैसे चलाया है उससे कैसे बंदियों के कल्याण की बात सोची जा सकती है?

न्याय विभाग के बारे में आप देख लें, पुलिस के पेटेंट गवाह होते हैं, उनको वह पेमेंट करते हैं। आप जो गवाह को खुराक देते हैं वह डेढ़ रुपये देते हैं। दूसरी तरफ पुलिस वालों ने अपना कारोबार चालू रखने के लिए पेशेवर बनाकर दफा ६० में लोगों का रिजर्वेशन कर रखा है। उसमें सारे गरीब लोगों को आबकारी ऐक्ट में जेल भेज दिया जाता है। कहीं किसी के पास एक पुड़िया गांजा या एक बोतल शराब या अफीम दिखाकर जेलों में लोगों को भेज दिया जाता है, जैसे कि एक जाति होती है भर, वे जंगल में रहते हैं और ढाक से पत्तल बनाते हैं। दूसरे मुसहर लोग हैं उनका चालान कर देते हैं। हिन्दुस्तान के नागरिक वह मान ही नहीं गये हैं। उनसे जेलों में टट्टी साफ करवाते हैं, कंधों पर टट्टी ढोते हैं। माननीय मंत्री जी को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये। चूंकि टाइम कम है, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी बंदियों के बारे में सुधार करें और औद्योगीकरण की तरफ और दृष्टिकोण बढ़ायें।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

मान्यवर, मैं न्याय और कारागार विभाग के बजट प्राविधानों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, न्याय विभाग और कारागार विभागों में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन और सुधार की घोषणायें माननीय न्याय मंत्री ने की हैं। वह प्रशंसा के योग्य है। आश्चर्य की बात यह है कि शासक दल के लोग उसको भूल रहे हैं। न्याय सस्ता और सुलभ हो इस बात की मांग अरसे से सुनता चला आ रहा हूं। जन भाषा में न्याय उपलब्ध कराने के लिए जो कदम उठाये गये हैं वह व्यवहारिक और सराहनीय हैं। न्यायालयों में टाइप राइटरों की कमी थी, वहां हिन्दी आशुलिपिकों की कमी थी और इस बात को काफी अरसे से महसूस किया जा रहा था किन्तु इस ओर केवल आश्वासन ही दिए जाते रहे हैं। न्याय पालिका की भाषा हिन्दी हो, इस सम्बन्ध में हमारे बड़े-बड़े नेताओं ने भाषण दिए, लेकिन व्यवहारिक रूप से कोई कदम नहीं उठाया गया। हमारी सरकार ने जो ६०० हिन्दी के टाइपराइटर न्यायालयों को उपलब्ध कराने की बात कही है वह सराहनीय है। आशुलिपिकों की व्यवस्था की जायेगी यह भी एक सराहनीय कदम ही है।

माननीन मंत्री जी ने जो कहा कि मुन्सिफ और मजिस्ट्रेटों की अदालतों में निर्णय हिन्दी में होंगे यह भी एक प्रशंसनीय कार्य है। जिला जजों के निर्णय भी हिन्दी में हों और उच्च न्यायालय के निर्णय भी हिन्दी में हों। इसके लिए माननीय न्याय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। यह सब कहते हुए एक संकेत जरूर कर देना

[श्री श्याम सुन्दर गुप्त]

चाहता हूं। जन भाषा की बात कही गयी अंग्रेजियत न्याय विभाग से दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं माननीय न्याय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कारागार विभाग से भी अंग्रेजियत कम करने की ओर ध्यान दें। मैं आज का उदाहरण देना चाहता हूं। अगर कारागार विभाग के हिन्दीकरण की ओर ध्यान दिया गया होता तो जेल महानिरीक्षक यहां सदन की कार्यवाही देखने के लिए बो लगाकर न आते। मैं समझता हूं कि हममें से बहुत से लोग स्वयं तथा कारागार मंत्री जी जेल में रहे हैं और आपात काल में लम्बी यातनायें भोगी हैं। इसलिए जितना अनुभव वर्तमान सरकार को जेलों के बारे में है उतना किसी और को नहीं है। आपात्काल में जो तमाशा जेलों में देखा, वह दिल दहला देने वाली है, कुछ उपन्यास अंग्रेजी समय की जेल यातनाओं के पढ़े हैं। लेकिन अंग्रेजों के जमाने के जेलर भी शरमा जायेंगे ऐसे निर्दयी जेलरों को देखकर। फतेहगढ़ जेल का वह अधीक्षक गप्ता जो कैदी की जेब से अठन्नी मिल जाने पर कैदी को कम से कम ५० लाठियां मारता था और बैरक में फेंकवा देता था और उसका इलाज भी नहीं करवाता था। थोड़ी सी गलती पर जाड़े के दिनों में हथकड़ी लगवाकर कैदी को टांग दिया जाता था और उसके नीचे पानी भरवा देता था जिससे उसके पैर भीगते रहे। इस प्रकार का व्यवहार वह करता था। मीसा बन्दियों को भी नहीं बक्शा गया २४ घंटे की तनहाई राजनैतिक बन्दियों को इसलिए दे दी कि वे जेल की सर्किल के बाहर जेलर से मिलने गये थे। आपत्ति स्थिति के दौरान इस तरह के तमाम अत्याचार जेल में हुए। जो फतेहगढ़ जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट थे उन्होंने राजनैतिक बन्दियों के साथ अत्याचार किया। उपमहानिरीक्षक और महानिरीक्षक वहां पर गये थे मीसा बन्दी उनसे मिलना चाहते थे, उनको परेशान किया गया था, लेकिन वे मीसा बंदियों से मिलने तक नहीं जा सके।

आज भी सेन्ट्रल जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट जो फतेहगढ़ में थे वे नौकरी में हैं ऐसे भी जेलर नौकरी में हैं कि जिसने लखनऊ की जेल में राजनीतिक बंदियों से मिलने वाली महिलाओं के साथ बलात्कार भी किया था यही जेलर जब उरई में तैनात था तो जेल में जो अन्डर ट्रायल प्रिजनर्स आते थे उनको पटक कर उनकी छाती पर चढ़ता था और डंडों से पीटता था। जब तक उसके घर से रुपया नहीं मंगा लेता था उनको बेड़ी डाले रखता था और रोज पिटाई करता रहा ऐसे जल्लाद आज भी नौकरी में हैं। तो ऐसे अधिकारियों से आप किस प्रकार मानवीय व्यवहार की कल्पना कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय मंत्री जी जेलों का निरीक्षण करें और आपात् स्थिति में जो मीसा के बंदी थे उन्होंने क्या-क्या दरख्वास्ते जेल अधिकारियों को दी थीं उन्हें निकलवायें उनको भी देखें जो जेल महानिरीक्षक की फाइलों में सड़ रही हैं। वे अपने कार्यालय में उन शिकायतों को देखें और जिन पर अभी तक सुनवाई नहीं हुयी है, उन को देखकर जो भी सुधार हो सकते हैं, उनकी वे व्यवस्था करें? दोषियों को सजा दें।

इसके अतिरिक्त मुझे यह भी निवेदन करना है कि बंदियों को जो सश्रम कारावास मिलता है उनके श्रम का मुआजा उनको उचित रूप में मिले, उनका प्रतिकार उनको मिले ताकि व्यर्थ में उनसे जो श्रम कराया जाता है उसका वे पैसा पा सकें।

आज जेलों में जो भी उद्योग हैं, वे सेन्ट्रलाइज हो गये हैं, बड़ी जेलों में, उनको छोटी-छोटी जेलों में भी भेजा जाय और बंदियों द्वारा श्रम कराकर उनको

उचित मुआविजा दिया जाय ताकि उनको छुट्टी होने पर उनको वह पैसा मिल जाय और वे उद्योग करके इज्जत की जिन्दगी जी सके ।

अब मैं जेलों में स्वच्छता और सफाई के बारे में एक निवेदन कर दूं । आपने जो अपने अनुदानों में लेट्रीन्स के लिए १० लाख रुपये का प्राविधान किया है वह अपर्याप्त है । हर जेल में टट्टियों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ।

मान्यवर, उरई की जेल, जो जिला जेल है, वह १८४१ या १८३१ में बनायी गयी थी, एक कमरे की है, वह किसी भी दिन धस कर कैदियों के सिरों को फोड़ सकती है उनके लिए मौत का कारण बन सकती है । मेरी प्रार्थना है कि उसकी मरम्मत न करके उसका पुनर्निर्माण करायें । अब म माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो व्यवहारिक कदम उठाये हैं वे वास्तव में सराहनीय है ।

जहां तक जेल निरीक्षकों की नियुक्ति का प्रश्न है हर माननीय सदस्य से नाम लिया गया है । संभव है उनको भी जेल मंत्री को चिट्ठी मिली होगी । माननीय देव बहादुर जी ने हो सकता है कि किसी ऐसे आदमी का नाम न देकर जो मीसा में बन्दी रहा हो, जेल में सजा भुगती हो, किसी एसे आदमी का नाम दिया हो जो जेल से कमीशन खाता हो और उसको नियुक्ति न मिली हो । इसलिए उन्हें निरीक्षक की नियुक्तियों की शिकायत है ।

*श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान सदन में पेश किए हैं, उनका समर्थन करने के लिए और खास तौर से उन्हें कुछ बुनियादी तौर से परिवर्तन करने के लिए बधाई दूंगा । हमें उम्मेद थी कि जो जेल मैनुअल है, जो अंग्रेजों द्वारा बनायी गयी थी, उसमें हमारी जनता पार्टी की सरकार कुछ बुनियादी परिवर्तन और क्रान्तिकारी परिवर्तन इस ढंग से करेगी जिससे जेल की चहार दीवारी में रहने वाले उन बंदियों को भी यह अहसास होगा कि जनता पार्टी की सरकार के जमाने में नये परिवेश में इस जेल मैनुअल में क्रान्तिकारी परिवर्तन, जो कांग्रेस के शासन काल में नहीं हुए थे, हुए हैं । ऐसा लग रहा है कि जो काम कांग्रेस के मंत्रियों ने किया था वैसा ही अब भी हो रहा है, कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है । खास तौर से जो पुरानी जेल चली आ रही हैं, उनकी जर-जर दीवारें हैं, उनका ठीक ढंग से निर्माण कराया जाय । अगर हमारी सरकार बुनियादी परिवर्तन की बात नहीं सोचती है तो हम को धीरे-धीरे पता चलेगा कि हम वैसे ही रह जायेंगे ।

मैं माननीय मंत्री जी को दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं । खास तौर से मैं इस बात को मानकर चलता हूं कि जितने भी जेल प्रदेश के अंदर हैं पुराने, वे सब नरक-स्वरूप हैं । वहां इनसान को पाखाने की जो नित्य आवश्यकता होती है उसके लिए बैठने की जगह नहीं है । ऊपर से बारिश होती है, पानी पड़ता रहता है और वहां कैदी पाखाने जाने के लिए बैठे रहते हैं । वह परईनुमा पाखाने आज कारागारों में चले आ रहे हैं वही सिस्टम आज भी कायम है । उसकी सफाई भी नहीं होती । २५-२५, ५०-५० लोग एक ही साथ बैठकर पाखाना करते हैं । मैं चाहूंगा कि जितने भी परईनुमा पाखाने प्रदेश के केन्द्रीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरि केवल प्रसाद]

कारागार या किसी कारागार में हैं उस सिस्टम को खत्म करने का काम करें। जब कदी पाखाने के लिए बठे तो ऐसी व्यवस्था रहे कि पानी उस पर न पड़े। दूसरे पानी का मामला है। अधिकांश कारागारों में, मैंने वाराणसी में देखा, मैं वहां रहा तो एक तरफ नीचे बैठे हैं पानी पीने के लिए और पानी खत्म। तो जिन कारागारों में पानी की कमी है वहां सुधार के लिए क्रान्तिकारी कदम उठाया जाना चाहिए।

उसी तरह से भोजन के मामले में जहां जल की मात्रा सब्जी की मात्र से बढ़ा दी गयी, कुछ तेल की बढ़ा दी गयी, इससे और कपड़ की मात्र बढ़ा देने से कोई काम बनता नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस तरह से परिवर्तन हो जेल में जिससे कुछ लोगों को अहसास हो। जो ६० साल से ऊपर के कैदी हैं, २०-२० साल उनको हो चुके हैं कारागार के अन्दर और एसे कैदियों की संख्या प्रदेश में काफी होगी, तो ६० वर्ष की उम्र के बुढ़े जो चल नहीं सकते वह शासन के लिए एक भार हैं। उनको रिहा करने का काम कर दिया जाय।

दूसरे एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसे भी कैदी हैं जिनकी पैरोल की दरख्वास्त या मरसी पेटीशन दफतर में पड़ा रहता है, उनको जल्दी पता नहीं चलता है कि उसका क्या हुआ। तो ऐसी नीति होनी चाहिए कि कोई पैरोल या मरसी की दरख्वास्त लेकर आता है तो एक निश्चित अवधि में एक महीने, दो महीने के अन्दर उसका निस्तारण हो जाय, जानकारी हो जाय।

तीसरी बात, जो जेल के अन्दर कैदियों की रखवाली करता है बन्दी रक्षक सबसे छोटे कर्मचारी उनकी यूनियन ने मंत्री जी को अपना मांग-पत्र दिया और अपनी तकलीफ को गिनाया कि उनका जीवन किस नारकीय ढंग से बीतता है। हम उम्मीद करेंगे कि बन्दी रक्षक जो हैं उनकी जिन्दगी को सुधारने का काम हमारे मंत्री जी करेंगे।

उसी तरह से चौथा सुझाव सुधार के लिए है। आदमी के दिमाग को बदला जाना चाहिए और इस तरह की योजना जो पहले से कई जगहों पर है उसमें कुछ क्रान्तिकारी परिवर्तन हो जाना चाहिए। जो फार्म ह, बड़ी-बड़ी जमीनें पड़ी हुई हैं, पैदावार होती है, उसका कोई हिसाब नहीं होता है। कभी पैदावार डली के रूप में अधिकारियों के घर पहुंच जाती है। मैं चाहता हूं कि उसमें पैदावार बढ़े और उसका हिसाब ठोस हो। इसी तरह से फिर एक बात कहना चाहता हूं कि जहां तमाम विभागों में आज भी रिजर्वेशन के कोटे पूरे नहीं हैं, जेल विभाग में भी कोटा पूरा नहीं है। आज भी कोटे की पूर्ति नहीं होती।

तो पाखाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जेल में पड़े कैदियों की जिन्दगी की हिफ्राजत करने के लिए कोई क्रान्तिकारी तरीके से सुधार का कार्यक्रम होना चाहिए। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

अब इसको १५ मिनट में समाप्त करना होगा (कई सदस्यों के खड़े रहने पर) अब नहीं। श्री रेवती रमण रस्तोगी लिखकर दीजियेगा जो आपको कहना है।

श्री देव बहादुर सिंह, आप ५ मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं सदन के दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों का कि बार-बार समर्थन हमारे कटौती के प्रस्ताव का उन्होंने किया है। बातून कैदियों को मिले, पुराने शौचालय समाप्त हों, फ्लश शौचालय बनाये जायं, जो जेल हैं, उसका भवन इस तरह बनाया जाय कि उनकी रक्षा हो सके। कपड़े की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो। उन्हें इस प्रकार बना दिया जाय कि वे एक योग्य नागरिक बन सकें। उनके पैरोल की व्यवस्था कर दी जाय। सारी बातें जो मैंने अपने कटौती के प्रस्ताव में कहा, माननीय सदस्यों ने बार-बार उसका समर्थन किया है।

न्याय प्रशासन के बारे में मान्यवर मैंने बहुत ढके-नपे हुए शब्दों में जो कुछ आलोचना कर सका, किया। बहुत से लोगों ने सरकारी वकीलों की नियुक्ति, जज की नियुक्ति आदि के बारे में भाई-भतीजेवाद की बात कही। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं आज आपने सरकारी वकीलों को १,५०० रुपये मासिक में रखने की बात कही। पहले ५० रुपये प्रतिदिन सरकारी वकीलों को देते थे साथ ही साथ अपनी प्रैक्टिस भी उन्हें एलाउड था। अब १,५०० रुपये में आपको अच्छा वकील कहां मिलेगा? इसका मतलब यह हुआ कि सरकारी केसेज को करने के लिए अच्छा वकील भी नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष—

अब तो आप नया सुझाव दे रहे हैं।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, वह बहुत जरूरी है। मान्यवर, अगर सरकारी वकील अच्छा पेड नहीं होंगे, तो कैसे सम्भव है कि ईमानदारी से काम करेंगे? आज जो भ्रष्टाचार अदालतों में है, उसकी स्थिति यह है कि मुंसिफ मजिस्ट्रेट के सामने, वहीं पेशकार पैसा लेता रहता है। मान्यवर, नकल के लिए प्रार्थना-पत्र दिया जाता है अर्जेंट में, नकल तुरन्त नहीं मिलेगी, बगैर पैसा दिये। मान्यवर, सारा काम जो भ्रष्टाचार पर निर्भर है, वहां न्याय कैसे मिलेगा? गरीब आदमी के लिए तो न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए मंत्री जी ने कोई कदम उठाया कि नहीं?

जेल के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं कि जो कैदी, जेल के बन्दी हैं, फांसी की सजा सुनाई गयी है, मर्सी पेटीशन उनका भेज दिया जाय, अपील समय से उनकी हो जाय, सूचना उनको मिलती रहे। मिलाई में जो कठिनाई होती है, वह कठिनाई दूर होनी चाहिए। जेलों में पैसा दिया जाय तो कैदियों से किसी भी समय मिलाई हो सकती है। पैसा दिया जाय, तो जो चाहे जेल में भेज दिया जाय, शराब, गांजा भी पैसा देने पर भेज दिया जाय। लखनऊ में प्रतिबन्ध है कि शराब लखनऊ में नहीं बिकेगी, लेकिन पैसा दिया जाय, तो शराब भी जेल में पहुंचेगी। माननीय मंत्री जी ने जेल का ऐसा चित्रण किया कि ऐसा लगता था कि जेल बिलकुल स्वर्ग हो गया। माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों के द्वारा उनको काफी यातनाएं दीं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जो वह मंत्री के रूप में, मंत्री के पद के निर्वहन हेतु वक्तव्य दिया हो तो दूसरी बात है, वह उनकी अन्दरूनी बात है। लेकिन जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उसे भी

[श्री देव बहादुर सिंह]

उन्हें मानना चाहिए और बताना चाहिए कि किस प्रकार से वह उन खामियों को दूर करेंगे । इन शब्दों के साथ में चाहता हूं कि हमारे कटौती के प्रस्ताव को मान लिया जाय ।

श्री रेवती रमण रस्तोगी—

कटौती से क्या मिलेगा नारायण ? एक रुपया करके क्या करेंगे, इसमें तो बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव लायें नारायण ।

श्री अध्यक्ष—

रेवती रमण रस्तोगी जी, आप बैठिये ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, मैं उन सभी सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने सराहना की आलोचना किया और सुझाव दिये, उन सभी ने किसी न किसी रूप में मेरा मार्गदर्शन ही किया है । लेकिन ऐसे सदस्यों के प्रति भी तरस ही आता है, उससे दुख नहीं आता जो कि व्यक्तिगत आधार पर बिना तथ्यों को जाने इस माननीय सदन की परंपराओं को तोड़कर केवल अपने पद का दुरुपयोग करते हुये लांक्षन लगाते हैं । मान्यवर, न्यायालयों के बारे में जो कुछ हमने कहा वह कार्यान्वित हो गया है, यह मैंने नहीं कहा ।

श्री संगम लाल—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपकी इस मामले में व्यवस्था चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि यहां कुछ सदस्यों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है तो क्या इस तरह की बात कह सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

उनके कहने का मतलब यह है कि यहां पर भाषण देने का अधिकार सुरक्षित है और भाषण की स्वतंत्रता है । आपने भाषण स्वतंत्रता का प्रयोग किया । माननीय मंत्री जी समझते हैं कि उसका दुरुपयोग किया तो यह तो वाद-विवाद चलेगा ही ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, मुकदमों के शीघ्र निपटारे के बारे में पिछले आठ महीनों में जो ढांचा खड़ा किया गया, जो विधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की गयी है उसका मैंने वर्णन किया है । लेकिन मात्र प्रक्रिया शुरू करने से व्यवस्था लागू नहीं हो जायगी । विधान तो मंदिर की तरह से है, तो जब तक मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जायगी, दूकान में तो पत्थर की तमाम मूर्तियां बिकती हैं, लेकिन जब तक मूर्ति एक स्थान पर मंदिर में रखकर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तब तक मूर्ति की पूजा नहीं होती है । तो इस प्राण प्रतिष्ठा का अधिकार माननीय सदन को है । यहां पर वह विधेयक, वह संशोधन जिसकी चर्चा मैंने किया उसको जब तक माननीय सदन स्वीकृति न दे देगा तब तक कानून नहीं होगा । और जब तक कानून नहीं होगा तब तक वह कार्यरूप में परिणत नहीं होगा । इसलिये मैंने कहा कि न्यायालयों को बनाने, न्याय व्यवस्था में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया एक लम्बी प्रक्रिया होती है । यह शासन के आदेश द्वारा नहीं हो सकता । अगर

यह संभव होता तो शायद माननीय सदस्यों को इन सब बातों को कहने का अवसर न मिलता ।

दूसरी चीज माननीय सदस्य ने कहा कि मंत्री जी बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन अपने को असमर्थ पा रहे हैं । तो यह मंत्री जी ही नहीं बल्कि यह पूरा शासन बहुत कुछ करना चाहता है कि पांच साल के अंदर हम प्रदेश का पूरा नक्शा बदल दें । लेकिन आर्थिक कठिनाइयां हैं । पूर्व शासन ने हमारे सामने आर्थिक कठिनाइयां छोड़ रखीं हैं, इस कठिनाई के कारण जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं वह नहीं ला पा रहे हैं । न्यायालय के भवनों के बारे में और अन्य चीजों को हम करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसा कम है । कारागारों के बारे में यह सुविधा दी जाय, बंदियों को यह सुविधायें दी जाय, भोजन अच्छा हो, लेट्रिन अच्छी हो तो ऐसा करने से कौन इंकार कर सकता है । लेकिन क्या सदन चाहेगा कि सारा जो बजट है, चाहे कृषि का हो, विद्युत् का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सबको काट दें और प्राथमिकता इस जेल को फिक्स करें ? यह माननीय सदन को अधिकार है निर्णय ले सकता है इसको कार्यान्वित करने में कोई हर्ज नहीं है । योजना जो आपके मन में है वही मेरे मन में है, आपने ज्यादा यातनायें सहीं हैं, हो सकता है, मैंने कम सहीं हों, लेकिन मेरे अंदर पीड़ा है । गरीब रातोंरात महल नहीं बना सकता है । इसी प्रकार से जो आर्थिक संकट ३० साल का शासन छोड़ गया है उसमें आप चाहेंगे कि ५ सालों में इस व्यवस्था को पूरी तरह से परिवर्तित कर दूं तो शायद मजबूरी होगी, सारा निर्माण नहीं कर पायेंगे ।

इसलिये जहां तक आर्थिक प्रश्न है तो जो परिवर्तन होने वाला है वह परिवर्तन तो अपनी सीमा के अन्दर ही धीरे-धीरे आयेगा और हृदय की पीड़ा धीरे-धीरे ही निकल पायेगी । इसमें मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूंगा ।

मान्यवर, उच्च न्यायालय में नियुक्तियों की बात कही गयी है । तो इसमें निश्चित रूप से यह अधिकार संविधान में राष्ट्रपति को दिया है और वह राष्ट्रपति सर्वोच्च नयायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की सिफारिश से करता है । उनसे परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति नियुक्ति करता है । लेकिन राष्ट्रपति उसको मानने के लिये बाध्य नहीं है ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

राष्ट्रपति और राज्यपाल माने केन्द्र और प्रान्त की सरकार । तो जो खराबी रही है तो क्या अब अच्छाई नहीं आयेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

उसको खराब नहीं कहेंगे । निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है । मुख्य मंत्री जी परामर्श दें उसको वह मानने के लिये बाध्य नहीं है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । क्या यह सही है कि आपने अपने विभाग में कर्मचारियों और अधिकारियों को खादी पहनने पर पाबन्दी लगा दी है जबकि जनता पार्टी खद्दर पर जोर देती है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, जहां तक तहसील स्तर पर मुंसिफ कार्यालय खोलने की बात की गयी है तो उसमें ज्यों-ज्यों हम उपयुक्त स्थान मिलते जा रहे हैं वैसे-वैसे मुंसिफ कार्यालय खोलते जा रहे हैं। जहां तक नये न्यायालयों की बात है। तो इस प्रदेश में जितने पद थ उनमें बहुत बड़ी संख्या में ७० मुंसिफ के पद रिक्त चले आ रहे थे। इसलिये हेड क्वार्टर पर मुंसिफ के पद खाली थे। तो ज्यों-ज्यों मुंसिफ नये मिलते जायेंगे वहां रखते जायगे।

मान्यवर, जहां तक निःशुल्क कानूनी सलाह की व्यवस्था की बात है तो यह योजना अब समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है इसलिये उसमें इसकी व्यवस्था की गयी है।

मान्यवर, जहां तक हाई कोर्ट बेन्च की बात की गयी है तो पश्चिम में बेन्च के बारे म पहले ही शासन सरकार ने केन्द्र को भेज दिया है और केन्द्र के यह विचाराधीन है जैसे ही केन्द्र सरकार इसके बारे में निर्णय लेगी वैसे ही हम कार्यवाही करेंगे।

मान्यवर, जहां तक सरकारी वकीलों के नियुक्ति की बात हे तो इससे दो बातें कहीं गयी है। एक तो राजनतिक पक्षपात के आधार पर और दूसरे घटकवाद के आधार पर। मैं पूरे प्रदेश की नियुक्ति का स्पष्टीकरण तो नहीं दे रहा हूं क्योंकि जिन लोगों ने लांक्षन लगाया है लेकिन उनको भी मैं चुनौती दे रहा हूं कि वह खड़े हो कर बता व कि प्रदेश में कितनी नियुक्तियां की है जातिवाद और घटकवाद के आधार पर ? यदि इसको सिद्ध कर द तो वह सदन में रहें अन्यथा मैं रहूं। दो में से एक रहेगा। जो आरोप लगायें हैं वह चाहे इस पक्ष के हो या उस पक्ष के हों। वह सिद्ध करें कि कितनी नियुक्तियां जातिवाद और घटकवाद पर की है। यदि सिद्ध नहीं करते तो यह राजनीतिक लांक्षन है।

श्री श्याम धर मिश्र--

मान्यवर, यह लिस्ट दे दें। यह क्या चुनौती है ? लिस्ट देने की जिम्मेदारी इनकी है।

श्री अध्यक्ष--

बात यह है (श्री गुलाब सेहरा के खड़े होने पर) सेहरा जी आप बैठिये।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मैं आगरे की बात बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये। देखिये श्याम धर जी ने कहा (व्यवधान) आप लोग बैठिये। संगम लाल जी आप बैठिये।

श्री संगम लाल--

मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री गुलाब सेहरा--

हम चुनौती स्वीकार करते हैं, हम नाम बतलाने को तैयार हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप अनावश्यक समय नष्ट कर रहें हैं ।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, या तो उनकी चुनौती वापस दिलाइये । हम नाम देते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये । माननीय न्याय मन्त्री जी ने कहा है सूची देने की बात । आप प्रश्न के द्वारा मांग सकते हैं । जब आप यह आरोप लगाते हैं कि न्याय मन्त्री जी ने पक्षपातपूर्ण नियुक्तियां की हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप को जानकारी है और आप के पास सूची भी है.... ।

श्री संगम लाल--

मुझे जानकारी है ।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछिये ।

श्री श्याम धर मिश्र--

हम चुनौती स्वीकार करते हैं । नाम हम लोग देते हैं।

श्री अध्यक्ष--

इस वक्त नहीं । आप नाम दे दीजियेगा मन्त्री जी को ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, आपने स्वयं स्पष्टीकरण कर दिया इसका मैं आभारी हूं ।

जहां तक सरकारी वकीलों की नियुक्ति का सवाल है इस बात का सी० आर० पी० सी० के सेक्शन २४ के अन्तर्गत भी प्राविधान है कि जिला मैजिस्ट्रेट जिला जज से परामर्श कर के जो पैनल भेजेगा उसी के अनुसार शासन को नियुक्ति करनी पड़ेगी ।

श्री अध्यक्ष--

सदन का समय १५ मिनट बढ़ाया जाता है । न्याय मन्त्री जी आप को पांच मिनट में समाप्त करना है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

धन्यवाद । अभी कुछ आरक्षण का सवाल उठा था कि न्यायिक सेवाओं में जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया । पहले जो नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे म बतलाना चाहता हूं । डी० जे० और ए० डी० जे० ३५० में से २०, सिविल जज ९६ में से १९, मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट ३९६ में से ७० । यह

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

संख्या पहले की थी । पिछले वर्ष में जो पदोन्नति और सीधी भर्ती की गयी उनमें ९१ सिविल जज म से ११ अनुसूचित जाति के थे । इसी प्रकार ६४ मुन्सिफ से सिविल जज बनाये गये जिनमें ११ अनुसूचित जाति के थे इन आंकड़ों से मान्यवर स्पष्ट है कि शासन की नीति के अनुसार आरक्षण दिया गया है । जहां तक सरकारी वकीलों की संरक्षण की बात है उसमें आरक्षण नहीं दिया गया है लेकिन यह सरकुलर सब जगह भेज दिया गया है कि शासन की नीति इन को प्रोत्साहित करने की है और इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय । जो भी वकील मिले उनको पेनल में लिया जाय और पेनल में नाम भेजने पर उसे नियुक्त करने की कोशिश की जायगी ।

कारागार के बारे में माननीय सदस्यों ने यह कहा कि जो सफाई करने वाले मजदूर हैं वे कुछ विशेष जाति के मजदूर हैं और पुलिस द्वारा जानबूझ कर पकड़ करके इस कार्य हेतु रखे जाते हैं । मैं नहीं कहता कि पहले क्या परिस्थिति थी ।

श्री देव बहादुर सिंह--

आज भी है....

श्री ओम प्रकाश सिंह--

लेकिन इस बात को मैं अपने माननीय सदस्यों से कहूंगा कि इस बात की जानकारी कर ले कि हर जेल में सफाई के लिये वैतनिक कर्मचारी रखे जाते हैं और अगर न हो या किसी से बिना वेतन काम लिया जाता हो तब आप मुझे जानकारी दें हम उसकी जांच करा लेंगे ।

श्री देव बहादुर सिंह--

सूची ।

श्री अध्यक्ष--

देव बहादुर जी, आप यह बहुत पुरानी अंग्रेजी काल की बात करते हैं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

छोटे उद्योगों में मजदूरी की बात है तो शासन ने घोषणा की है कि सभी को परिश्रमिक दिया जायगा । उसका अध्ययन हो रहा है कि किस कार्य के लिये कितना परिश्रमिक दिया जाय और उसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जाय । जेल मैनुअल के परिवर्तन की बात कही गयी । एक सेल बना दिया गया है और जेल मैनुअल में आमूल परिवर्तन करने का काम चल रहा है । यह हो सकता है कि उसमें अपेक्षित गति न हो लेकिन प्रथम चरण का काम पूरा हो गया है । आउट-लाइन तैयार हो गयी है । डिटेल्स बनाये जा रहे हैं । जेल निरीक्षकों की नियुक्ति के बारे में कहा गया तो एक सूची प्रकाशित की है । और भी सदस्य दे रहे हैं । जब माननीय सदस्यों से मिल जायगी तो दूसरी सूची प्रकाशित कर दी जायगी । जहां तक पैरोल की बात है तो उसमें अगर कोई पोस्ट कार्ड से भी भेजता है तो छानबीन करा कर उस पर कार्यवाही की जाती है । साल में एक महीने का पैरोल देने का विचार है और उसको कार्यान्वित भी किया है । जहां तक ए० पी० पी० की बात कही गयी तो यह पुलिस विभाग में जरूर है, लेकिन उनका प्रतिवेदन मिलता रहता है जो कमेटी एडवोकेट जनरल की अध्यक्षता में बनायी थी उसके जो निर्णय होंगे उनका पता आप सब को लग जायगा । अन्त में एक बात और कहूंगा कि

न्याय की प्रक्रिया को तेज करने के लिए जहां शासन का कर्त्तव्य है वही एक प्रवृत्ति समाज में नियमों और कानून के दुरुपयोग की बढ़ रही है। उस प्रवृत्ति को रोकने के लिए माननीय सदस्यों को भी कार्य करना होगा क्योंकि कानून बहुत सख्त नहीं हो सकता और बहुत निर्बल भी नहीं।

श्री अध्यक्ष---

अब आप समाप्त करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मैं अपने अभिवक्ता महोदयों और न्यायिक बन्धुओं से आकांक्षा रखता हूं कि न्याय की प्रक्रिया को तीव्र करने में उनका योगदान मिलेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश---

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री संगम लाल---

माननीय मन्त्री जी ने चुनौती दी है। मैं प्रतापगढ़ के विषय में चाहता हूं कि एक पांच सदस्यीय कमेटी बना दी जाय। अगर चुनाव न्याय संगत हुआ होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा नहीं तो मन्त्री जी इस्तीफा दें।

श्री अध्यक्ष---

आप लिख कर दे दीजियेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश---

एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि आपके विभाग ने ऐसा कोई आदेश जारी किया है कि कोई भी सिपाही या कोई कारागार का कर्मचारी या अधिकारी खादी की बनी वर्दी नहीं पहन सकता है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

इस तरह का आदेश नहीं है। पहले जेलर तक के लिए वर्दी प्रेस्क्राइब्ड थी अब एडीशनल आई० जी० तक के लिए वर्दी निर्धारित की गयी है। जो पुलिस का पैटर्न है उसी पैटर्न पर है, वही क्वालिटी, वही शेड रखा गया है। किसी विशेष मिल का कपड़ा हो ऐसा नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश---

मेरा सवाल स्पष्ट है। जो वर्दी पहनी जायगी वह खादी की हो सकती है और कोई कर्मचारी या अधिकारी खादी की वर्दी पहन कर ड्यूटी पर आ सकता है या नहीं ? मेरे पास स्पष्ट रूप से शासनादेश मौजूद हैं। तो मन्त्री जी बतला दें कि खादी की वर्दी पहनने की इजाजत है या नहीं या केवल बिस्री के कपड़े ही पहन कर आयेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं । इनका प्रश्न यह है कि एडीशनल आई० जी० के या दूसरे व्यक्ति उस निर्धारित रेंक आदि के अनुसार खादी के अनुसार खादी का वर्दी पहन सकते हैं या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

इसका उत्तर तो मैंने पहले एक संदर्भ में दिया था । इसके कपड़े की क्वालिटी और शेड निर्धारित है । इसमें खादी नहीं है, लेकिन शासन के सामने यदि ऐसा कोई प्रश्न आता है तो विचार किया जा सकता है ।

श्री गुलाब सेहरा--

उन्होंने चुनौती दी है तो आपके पास नाम भेज दें ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मन्त्री जी खादी के बारे स स्पष्टीकरण दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं । उनको जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं । मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मंत्री जी ने खादी की वर्दी पहनने के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया है, इस लिए मैं सदन त्याग करता हूं ।

(श्री शतरुद्ध प्रकाश सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४--न्याय प्रशासन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४, न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६, ३७, ३०, १०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२ कारागार के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २२, कारागार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५, २५, ४०, ६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

अब मैं नियम ५१ ले रहा हूं । इसके लिए सदन के समय को १५ मिनट बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रक्खा जाय ।

न्याय एवं कारागार मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १५ मिनट बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सदन का समय १५ मिनट बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम ५१ के अन्तर्गत एक सूचना सर्वश्री विद्या शंकर, श्री शतरुद्ध प्रकाश, श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी और मान सिंह आजाद ने दी है कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम के अभियन्ताओं की सेवा (पब्लिक हेल्थ ब्रांच) विनियमन, १९७७ को निरस्त किए जाने से गम्भीर स्थित उत्पन्न हो गयी है । मैंने इसको स्वीकृत किया है और पहली मई को स्वायत्त शासन मन्त्री जी वक्तव्य देंगे ।

एक दूसरी सूचना श्री गुलाब सेहरा और डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल की है जिसमें कही गया है कि दिनांक २३ अप्रैल, १९७८ को आगरा में निकाले गये शांति प्रिय जुलूस पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के कारण २०० व्यक्ति घायल हो गये हैं । मैंने इस सम्बन्ध में निर्देश दे दिया है । माननीय मन्त्री जी कृपया इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें ।

अब नियम ५१ के अन्तर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय को ग्रीष्म अवकाश के बाद जुलाई में खोलने की कुल सचिव द्वारा की गयी घोषणा ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैंने एक कार्य-स्थगन के साथ ५१ में भी भूतपूर्व एम० एल० ए० के बारे में दिया था ।

श्री अध्यक्ष—

वह स्वीकार नहीं किया है ।

श्री देव बहादुर सिंह—

लेकिन वह बहुत आवश्यक है, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष—

उसको देख लेगें ।

श्री देव बहादुर सिंह—

लेकिन बाद में देख कर क्या करेंगे, मान्यवर ?

श्री अध्यक्ष—

अब कृपया आप बैठें । अब शिक्षा मन्त्री जी का वक्तव्य होगा ।

लखनऊ विश्वविद्यालय ग्रीष्मावकाश के बाद १ जुलाई, १९७८ से खुलने की कुल सचिव की घोषणा के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

शिक्षा मन्त्री (श्री काली चरण)—

लखनऊ विश्वविद्यालय की १९७७ की परीक्षायें १८ अप्रैल, १९७७ से प्रारम्भ हुई थीं किन्तु केवल तीन दिन की परीक्षायें हो पायी थीं कि विश्वविद्यालय परिसर में उन लोगों ने जो परीक्षायें टलवाने पर आमादा थे, बहुत बड़े पैमाने पर अशांति का वातावरण उत्पन्न कर दिया । यहां तक कि २१ अप्रैल, १९७७ को पुलिस और छात्रों के जत्थों के बीच जमकर द्वन्द्व हुआ । कानून और शान्ति की व्यवस्था में गड़बड़ी देखन के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की परीक्षायें जुलाई, १९७७ के लिए स्थगित कर दी जायं । तद्नुसार परीक्षायें जुलाई में प्रारम्भ हुई और १३ सितम्बर, १९७७ को समाप्त हुईं । जिन कक्षाओं की परीक्षा पहले हुई उनके परीक्षाफल अक्तूबर, १९७७ में घोषित कर दिये गये और क्रमशः दिसम्बर १९७७ तक परीक्षाफल घोषित होते रहे । जिन कक्षाओं के परीक्षाफल घोषित होते गये उनमें शीघ्रातिशीघ्र प्रवेश के उपरान्त पढ़ाई प्रारम्भ हुई । यदि परीक्षायें अप्रैल, १९७७ से जैसा कि पहले निर्धारित थीं, हो गयी होती तो १९७७-७८ का शैक्षिक सत्र जुलाई/अगस्त, १९७७ से प्रारम्भ हो गया होता और पढ़ाई भी मार्च, १९७८ तक समाप्त हो गयी होती । परन्तु अप्रैल, १९७७ के पश्चात् जुलाई से परीक्षा किये जाने की स्थिति में स्वभावतः १९७७-७८ की पढ़ाई मे व्यवधान उपस्थित हो गया ।

इस सत्र में पठन पाठन मार्च, १९७८ तक (केवल विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव के सम्बन्ध में कुछ व्यवधान छोड़ कर) सुचारु रूप से चला । विश्वविद्यालय की कक्षाओं को अप्रैल १९७८ तथा ग्रीष्मावकाश के प्रथम मास मई, १९७८ तक चलाने का विचार था किन्तु ३ अप्रैल, १९७८ से कक्षाओं में गड़बड़ी पैदा करने की कुछ घटनायें होती रहीं और अन्ततः ५ अप्रैल, १९७८ को यह गड़बड़ी यहां तक पहुंच गई कि रसायन विज्ञान विभाग की प्रयोगशाला में काफी

तोड़फोड़ हुई और तभी छात्रों में आपस में भी कुछ विवाद हुआ। इस स्थिति को देख कर उस समय विश्वविद्यालय केवल तीन दिन के लिए इस आशा से बन्द कर दिया गया कि स्थिति शीघ्र ही सामान्य हो जायेगी। विश्वविद्यालय पुनः १० अप्रैल, १९७८ को खोल दिया गया और १३ अप्रैल, १९७८ तक कक्षाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा हर प्रयास किया गया किन्तु १४ अप्रैल, १९७८ को विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों की एक बहुत बड़ी सभा हुई। तदुपरान्त छात्रों ने विश्वविद्यालय में पहले से ही तैनात पुलिस पर पथराव किया जिसके बाद पुलिस ने छात्रों को तितर बितर कर दिया। इस स्थिति में विश्वविद्यालय को पुनः बन्द करना अनिवार्य हो गया। और छात्रावासियों को भी छात्रावास खाली करने को कह दिया गया।

विश्वविद्यालय स्वायत्त शासी संस्था है जिसकी कार्य परिषद् मुख्य कार्य निकाय है। अतः पूरी स्थिति की समीक्षा हेतु विश्वविद्यालय कार्य परिषद् की एक आपात् बैठक दिनांक २५ अप्रैल, १९७८ के बुलाई गयी। सभी तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त और वर्तमान वातावरण का ध्यान में रखते हुये यह समझा गया कि उक्त परिस्थितियों में मई के महीने में पढ़ाई का सुचारु रूप से चलाना सम्भव नहीं है। अतः यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय १ मई, १९७८ से ग्रीष्मावकाश के लिए बन्द करके १५ जुलाई, १९७८ के बजाय १ जुलाई, १९७८ को खोल दिया जाय। सामान्यतयः विश्वविद्यालय ग्रीष्मावकाश के लिये १ मई से १५ जुलाई तक बन्द रहता है।

एक जुलाई से विश्वविद्यालय खुलने पर सामान्य रूप से पढ़ाई आरम्भ करके कोर्स पूरा कर, विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा शीघ्रातिशीघ्र कराने एवं उनका परिणाम घोषित करने का पूरा प्रयास किया जायेगा जिससे छात्रों का कम से कम नुकसान हो।

मई मास में एल० एल० एम० भाग १ की परीक्षायें सम्पन्न हो जायेंगी।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया है। मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लखनऊ विश्वविद्यालय और इसी तरह से प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा विद्यालयों में एक छात्र अशांति की स्थिति व्याप्त है, जिससे पठन-पाठन में क्षति हो रही है और मान्यवर, प्रदेश में एक बिस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस संदर्भ के साथ में माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि छात्र अशांति को सामान्य बनाने के लिए तथा पढ़ाई अपने सत्र के अनुसार चले, प्रदेश का वातावरण शांत हो, इस दृष्टि से शासन द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं और कौन-कौन से विचाराधीन हैं शासन के ?

श्री कालीचरण--

श्रीमन्, इन सारी समस्याओं पर विचार करने के लिए और उनके समाधान के लिए विश्वविद्यालय के कुलपतियों का, शिक्षाविदों का और छात्रों का एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। वह इस विधान सभा के सत्र के समाप्त होने के बाद होगा, जिसमें सम्पूर्ण समस्याओं पर विचार करके उनका निराकरण करने का प्रयास किया जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से स्पष्ट है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में विगत काफी दिनों से छात्र अशांति है। तो मान्यवर, छात्र अशांति को केवल उच्छृङ्खलता या अनुशासनहीनता की उपज कहने से काम नहीं चलेगा, इसके पीछे सामाजिक और आर्थिक कारण हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि और मान्यवर, विश्वविद्यालय अनिश्चितकाल तक बंद करने से किसी समस्या का समाधान नहीं है, तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय शीघ्र खुले वहां पठन-पाठन का कार्य शुरू हो, इसके लिए क्या विश्वविद्यालय के छात्र प्रतिनिधियों को वहां के प्रशासन को और अधिकारियों की एक बैठक बुलाकर शीघ्र खुलवाने की कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री कालीचरण--

श्रीमन्, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र प्रतिनिधियों से एक नहीं अनेक बार इन समस्याओं पर मेरी बात हो चुकी है। वहां के कुलपति से भी समय-समय पर बात करता रहता हूं और उनके अनुरोध पर और उनके ही निर्णय और उनकी ही वार्ता का यह परिणाम है कि इस विषम परिस्थिति में विश्वविद्यालय को चूंकि अमूमन वैसे बंद होते रहे हैं, पिछले सत्र की परीक्षायें विलंब से हुई थी, इसलिए इस अवकाश का कुछ समय काटकर कोर्स पूरा करके परीक्षा कराने की व्यवस्था की थी। लेकिन छात्रों के एक समूह द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई कि विद्यालय बंद करना पड़ा और इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं रह गया था।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि किन मांगों और किन बातों को लेकर ये गड़बड़ी शुरू हुई ३ अप्रैल को और १४ अप्रल को जो पुलिस वहां मौजूद थी, तो उसको कब, क्यों और किसने बुलाया था ?

श्री कालीचरण--

श्रीमन्, पुलिस विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुरोध पर भेजी जाती है। चूंकि विश्वविद्यालय में छात्रों का एक समूह निरंतर अशांतमय वातावरण को उत्पन्न करने के लिए तत्पर है, छुटपुट और छोटी-मोटी अक्सर घटनायें होती रहती है, दूसरा मारपीट की बातें हैं, तो इन बातों को देखकर कुलपति ने पुलिस बुलाई थी और पुलिस वहां मौजूद थी।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन समस्याओं के निदान के लिए, जिस सम्मेलन का उन्होंने जिक्र किया, उस सम्मेलन के लिए कोई तारीख निश्चित की गई है या अभी तारीख विचाराधीन है।

श्री कालीचरण--

श्रीमन्, तारीख निश्चित करनी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि मार्च, अप्रैल तक पढ़ाई होती और जून तक इम्तहान हो जाता और छुट्टी हो जाती। मार्च, अप्रैल में पढ़ाई नहीं हुई और व्यवधान हुआ और छुट्टी कर दी गई। अब पहली जुलाई को विश्वविद्यालय खुलेगा। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा है कि यह बाद में निश्चय किया जायगा कि इम्तहान भी शीघ्रातिशीघ्र हो जांय। जहां तक मेरी समझ में बात आ रही है पता नहीं वह सही या नहीं। अब यह क्रम अक्तूबर, ७८ तक का हो जायगा, क्या यह सही है। क्योंकि एक साल पढ़ाई का नुकसान होगा। तीन-चार महीने पढ़ाई बाकी है। अब जुलाई, अगस्त और सितम्बर तक तो पढ़ाई होगी तथा अक्तूबर में इम्तहान होगा, क्या यह सही है? एक बात तो यह जानना चाहूंगा दूसरी बात यह जानना चाहूंगा पन्ना, २ पर दिया है कि पुलिस पर पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों को तितर-बितर कर दिया। अब यह एक सेट फ़ज हो गया है और हर वक्तव्य में आ रहा है। श्री लक्ष्मण सिंह जी बराबर ऐसे ही वक्तव्य देते हैं। अब शिक्षा मंत्री भी देने लगे हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि तितर-बितर कैसे किया जाता है, प्रेमालाप करके या लाउड-स्पीकर से या आंसू गैस छोड़कर या मारते हैं। कल आपने कहा था कि कह कर। लेकिन आज आप मंत्री जी को ही जवाब देने दें।

श्री कालीचरण—

जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, यदि जुलाई में विश्वविद्यालय खुलने के बाद शान्तिमय वातावरण पठन-पाठन के लिए रहता है तो सितम्बर तक परीक्षाएं प्रारम्भ हो जायेंगी। जहां तक तितर-बितर करने का प्रश्न है श्रीमन्, मैं उसके सम्बन्ध में मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वे क्रियात्मक रूप से अनुभव कर लें तो शायद अच्छी तरह से उनकी समझ में आ जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित दो बातों के सम्बन्ध में जानना चाहूंगा। मंत्री जी ने घोषणा किया है कि विधान सभा के वर्तमान सत्र की समाप्ति के बाद सम्मेलन बुलाया जायगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि उस सम्मेलन में किन लोगों को बुलाया जायगा। इस सम्बन्ध में क्या सरकार ने कोई आधार निर्धारित कर लिया है? यदि हां, तो वह क्या है? दूसरा प्रश्न यह है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र, अभिभावक और अध्यापक सभी ने यह मांग की है कि विश्वविद्यालय तत्काल खोला जाय और वे शान्ति के साथ पढ़ना चाहते हैं। तो क्या सरकार लखनऊ विश्वविद्यालय को इस आशय का निर्देश लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकारियों को करेगी कि वे विश्वविद्यालय को तत्काल खोलने की व्यवस्था करें।

श्री कालीचरण—

श्रीमन्, जो सम्मेलन बुलाया जायगा, उसमें कौन से लोग बुलाए जायेंगे उस वक्त मैंने बता दिया था। थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं। जहां तक छात्रों का सम्बन्ध है, वह विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्रों के विभिन्न संगठन हैं, प्रत्येक संगठन के जो पदाधिकारी हैं वे अथवा उनके द्वारा भेजे जाने वाले प्रतिनिधि को बुलाने की व्यवस्था इसमें की गई है और इस माननीय सदन में भी छात्रों की समस्या के बारे में चिन्तनशील रहने वाले माननीय सदस्यों को भी मैं आमंत्रित

[श्री काली चरण--]

करूंगा, जिससे कि वे समस्या के समाधान के लिए उस सम्मेलन में उपस्थित होकर मार्गदर्शन करें और सहयोग दें और इसके निदान में सहायक बनें। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, जिस तरह की स्थिति उत्पन्न कर दी गई है। यदि पुनः विश्वविद्यालय खोला भी जाता है गर्मी में तो मैं समझता हूं चूंकि भीषण गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में जिन असामाजिक तत्वों की चर्चा माननीय सदस्यों ने की है और उनके साथ कुछ छात्रों के समूह भी सम्मिलित हैं जो उस अशान्ति के वातावरण को बनाए रखने में निरन्तर सक्रिय हैं तो उनकी दिमाग में जो गर्मी है वह वातावरण को शीतल बनाने में कारगर नहीं हो सकती। वैसे हम खोल भी रहे थे, परीक्षाओं को भी करने की व्यवस्था की जा रही थी। लेकिन गर्म वातावरण और गर्मी के कारण विश्वविद्यालय बन्द करना पड़ा।

(संसदीय कार्य मंत्री) मधुकर दिघे--

समय समाप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष--

अभी नहीं।

श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)--

विश्वविद्यालय के कुलपति, अधिकारीगण, कार्यकारिणी, पुलिस एवं स्वयं मंत्री जी विश्वविद्यालय को सुचारु रूप से चलाने में विफल रहे हैं और उनको परिणामस्वरूप बराबर आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है तो क्या वह यूनियन के पदाधिकारी तथा युवक वर्ग के नेताओं को प्रयोग के तौर पर विश्वविद्यालय को चलाने देने की अनुमति देंगे? (हंसी)

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री बलदेव (जिला वाराणसी)--

जब चुनाव के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों में अव्यवस्था पैदा होती रही है, तो क्या मंत्री जी विश्वविद्यालय के संगठनों की सदस्यता ऐच्छिक बनाने का प्रयास करेंगे?

श्री कालीचरण--

जहां तक छात्र समस्याओं के निवारण और नीतियों का प्रश्न है उसमें छात्र संघों के चुनाव की बातों पर भी विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष--

समय समाप्त हो गया। अब हम उठते हैं और सोमवार १ मई, १९७८ को ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर सोमवार, १ मई, १९७८ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२९ अप्रैल, १९७८

परिशिष्ट 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ ९४५ पर)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक, १९७८ में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४७ के अन्तर्गत किए गए आनुषंगिक संशोधनों का विवरण :—

(१) खण्ड ५ में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा १७ के खण्ड (तीन) के उपखण्ड (ख) भाग (३) के अन्त में शब्द "और" बढ़ा दिया गया है।

(२) खण्ड ५ में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा १७ के खण्ड (तीन) के उपखण्ड (ख) के भाग (६) को पुनरांकित करके भाग (४) कर दिया गया है।

विधान सभा सचिवालय

पी० एस० यू० पी०—४४ वि० सभा—१४-९-७८—८४३ (पी० डी०)।